कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 65 अंक : 9 पृष्ठ : 56 जुलाई 2019 मूल्य : ₹22

ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र

नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की 5वीं बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून, 2019 को नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की पांचवीं बैठक में कहा कि भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चुनौतीपूर्ण है लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। राज्यों को अपनी मुख्य क्षमता की पहचान करनी चाहिए और जिला–स्तर को ध्यान में रखते हुए जीडीपी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्यात वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश के कई राज्यों में निर्यात की असीम संभावनाएं हैं जिससे आय और रोजगार में वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री ने सूखे से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आह्वान किया और कहा कि 'प्रति बूंद अधिक फसल' की भावना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे 'जल–संरक्षण' और 'प्रबंधन' के लिए अपने प्रयासों को एकीकृत करें। नवगठित जल शक्ति मंत्रालय जल के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नलों के माध्यम से पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने जल–संरक्षण और प्रबंधन के लिए कुछ राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि जल–संरक्षण और प्रबंधन को भवन–निर्माण के कानूनों में शामिल किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 तक विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करना है। 2025 तक टीबी को जड़ से समाप्त करना है। कुछ राज्यों ने 'आयुष्मान' योजना के अंतर्गत पीएमजेएवाई को लागू नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने उन राज्यों से आग्रह किया कि उन्हें जल्द से जल्द इस योजना को लागू करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2022 तक नए भारत का निर्माण करना है। 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर कैसे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 'सशक्तीकरण' और 'जीवनयापन में आसानी' जैसी सुविधाएं प्रत्येक भारतीय को मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर ध्यान देने पर जोर दिया।

साथ ही, प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लक्ष्य को हासिल करने में नीति आयोग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी लोग मिलकर भारत के विकास के लिए कार्य करें।

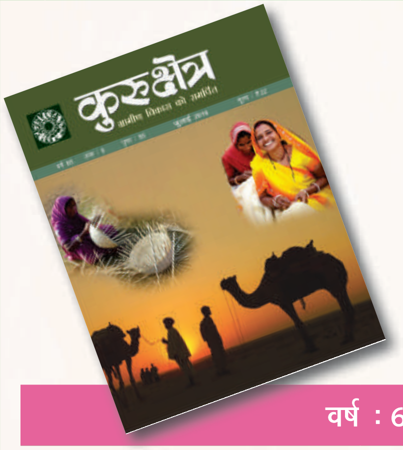

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 65★ मासिक अंक : 9★ पृष्ठ : 56 ★ आषाढ़–श्रावण 1941★ जुलाई 2019

प्रधान संपादक
शमीमा सिद्दीकी
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
शिशिर कुमार दत्ता
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

इस अंक में

कृषितर क्षेत्र: स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास मॉडल ही टिकाऊ — सन्नी कुमार — 5

ग्रामीण कृषितर क्षेत्र को बढ़ावा — डॉ. के. एन. तिवारी — 9

ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन : नए अवसर, नई संभावनाएं — डॉ. जगदीप सक्सेना — 14

वैश्विक पटल पर छाने को तैयार भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग — भुवन भास्कर — 19

हथकरघा एवं हस्तशिल्प: गैर-कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण रोजगार-प्रदाता — हेना नकवी — 23

स्वयंसहायता समूहों की कुछ सफल नायिकाएं — --- — 28

ग्रामीण पर्यटन: कृषितर गतिविधियों का महत्वपूर्ण घटक — डॉ. सुयश यादव — 30

स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के अवसर — आशुतोष कुमार सिंह — 35

ग्रामीण भारत में गैर-सरकारी संस्थाओं, स्वयंसहायता समूहों एवं निजी क्षेत्र की सार्थक भूमिका — डॉ. नीलेश कुमार तिवारी, आकांक्षा गुप्ता — 38

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग का योगदान — नितिन प्रधान — 43

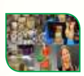
पूर्वोत्तर भारत की कृषितर गतिविधियों के विविध आयाम — डॉ. प्रदीप कुमार मुखर्जी — 47

राजस्थान में 900 इंजीनियरों को शौचालय टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण — --- — 52

उडुपि में ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम — --- — 53

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 56, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 56, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

कृषितर क्षेत्र: स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास मॉडल ही टिकाऊ

–सन्नी कुमार

गैर–कृषि क्षेत्र का विकास देश के सकल विकास के लिए अपरिहार्य है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषितर गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक न तो विषमता समाप्त होगी और न ही प्रवासन की समस्या का ही हल होगा। इसलिए सरकार अवसंरचना विकास, मुद्रा ऋण, स्टार्टअप इंडिया जैसे वित्तीय निवेश के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन दे रही है।

हर राष्ट्र की कुछ विशिष्ट जनांकिकीय तथा आर्थिक विशेषताएं होती हैं जिसका समुचित प्रबंधन कर ही वो सही अर्थों में विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कहीं धन का आधिक्य होता है तो श्रमबल की कमी होती है तो कहीं श्रमिकों की अधिकता होती है किंतु अपेक्षित पूंजी का अभाव होता है। इसलिए विकास की नीति भी इसी अनुरूप बन जाती है। ऐतिहासिक उदाहरण लें तो जहां इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पूंजीपतियों के सहारे संपन्न हुई तो रूस में इसके लिए राजकीय सहायता की जरूरत पड़ी क्योंकि वहां व्यक्तिगत–स्तर पर बड़े पूंजीपतियों का अभाव था। वहीं जापान में यह पूंजीपति तथा सरकार दोनों के सहयोग से संपन्न हुआ। ऐसी ही विकास नीति भारत को भी बनानी पड़ेगी जिससे यहां की विशिष्ट जनांकिकीय और आर्थिक विशेषताओं का समुचित प्रबंधन हो सके।

विकास मॉडल की अमूर्त सैद्धांतिकी की बजाय अगर हम व्यावहारिक मॉडल की बात करें तो मुख्यतः दो तरीके दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, बड़े शहरों में केंद्रीकृत उत्पादन प्रणाली का विकास करना जिसे हम 'बाह्य–स्थान' मॉडल भी बोल सकते हैं तथा दूसरा, स्थानीय संसाधनों का समुचित प्रबंधन कर 'स्व–स्थान' उत्पादन प्रणाली का विकास करना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कौन–सा मॉडल अधिक उपयोगी होगा इसके लिए बेहतर यह होगा कि हम दोनों ही तरीकों का तुलनात्मक अध्ययन करें। पहली प्रकार की उत्पादन प्रणाली अपनी संरचना में काफी विस्तृत एवं जटिल होती है इसलिए इसके लिए विशाल पूंजी, कुशल श्रम, उन्नत प्रौद्योगिकी तथा विकसित आधारभूत संरचना की जरूरत होती है। वहीं दूसरी ओर, स्व–स्थान उत्पादन प्रणाली कम पूंजी, साधारण श्रम कौशल, सामान्य प्रौद्योगिकी तथा औसत आधारभूत संरचना से ही संचालित हो जाती है। जाहिर–सी बात है कि भारतीय सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य दूसरे तरीके को कहीं अधिक बेहतर ढंग से पूरित करने में सक्षम है।

इसी प्रकार, केंद्रीकृत उत्पादन प्रणाली से सिर्फ क्षेत्र विशेष

का विकास ही संभव है जबकि विकेंद्रित प्रणाली समस्त राष्ट्र के विकास को संदर्भित करती है। साथ ही, केंद्रीकृत उत्पादन प्रणाली जहां अनिवार्य रूप से प्रवासन को बढ़ावा देकर शहरों पर अनावश्यक बोझ बढ़ाती है वहीं स्थानीय संसाधनों पर आधारित उत्पादन प्रणाली इस समस्या से मुक्त है। सबसे प्रमुख बात यह है कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में अगर कुछ क्षेत्रों में केंद्रीकृत उत्पादन प्रणाली को विकसित कर भी दिया जाए तो भी बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इसका सर्वाधिक उचित निदान स्थानीय–स्तर पर ही रोजगार अवसरों को उत्पन्न करना है। इसके अतिरिक्त पहला तरीका जहां बड़े पैमाने पर आर्थिक विषमता को जन्म देता है वहीं दूसरा तरीका समावेशी विकास के निकट है।

इस तुलना के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई समस्या नहीं है कि स्थानीय संसाधनों के विकास पर आधारित उत्पादन प्रणाली ही एक समावेशी और टिकाऊ विकास की गारंटी हो सकती है अन्यथा कुछ क्षेत्रों के विकास की कीमत पर अधिकांश क्षेत्र पिछड़े ही रह जाएंगे। इस मूल प्रस्तावना के बाद अब इस पहलू पर विस्तृत चर्चा समीचीन होगी कि यह किस प्रकार रोजगार के साधनों का विकास कर सकेगा और कैसे यह समावेशी विकास को पूरा कर पाएगा।

नॉन फार्मिंग सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का विकल्प नहीं है बल्कि इसे एक पूरक आय प्रदान करने वाले क्षेत्र के रूप देखा जाना चाहिए। चूंकि अधिकांश गैर–कृषि गतिविधियां अपने कच्चे माल व सेवाओं के लिए कृषि व संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर करती हैं इसलिए इनके विकास के लिए यह आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र का भी पर्याप्त विकास हो रहा हो।

क्या है गैर–कृषि क्षेत्र?

किसी भी अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण मुख्यतः ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। पुनः ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जहां कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों के रूप में बांटकर देखा जाता है वहीं शहरी अर्थव्यवस्था के उपविभाजन का आधार इससे भिन्न होता है क्योंकि वहां कृषि गतिविधियां लगभग अनुपस्थित रहती हैं।

अब अगर कृषि गतिविधियों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से फसल उत्पादन, पशुपालन, बाग़वानी, मछली पालन इत्यादि गतिविधियां शामिल हैं जबकि गैर–कृषि गतिविधियों अर्थात नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में कंस्ट्रक्शन, खनन, खाद्य प्रसंस्करण, थोक व खुदरा व्यापार, संचार व यातायात, भंडारण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी द्वितीयक एवं तृतीयक गतिविधियां शामिल की जाती हैं जो अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में ही अवस्थित हों। सरल शब्दों में कहें तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपादित होने वाली वैसी तमाम विनिर्माण और सेवा संबंधी उत्पादन गतिविधियां जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी नहीं होती हैं, गैर–कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इनमें से कुछ जैसे खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि कृषि उत्पादन से सीधे जुड़े होते हैं तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं इनसे एकदम अलग।

ग्रामीण रोजगार व गैर–कृषि क्षेत्र

किसी भी देश के विकास–क्रम में एक सामान्य प्रवृत्ति जो देखी गई है वह यह कि जैसे–जैसे कोई देश विकसित होता जाता है वैसे–वैसे कृषि गतिविधियों में शामिल कुल कामगारों की संख्या में कमी आती है जबकि गैर–कृषि गतिविधियों में शामिल कामगारों की संख्या में इज़ाफा होता है। अब एक सवाल यह उठता है कि क्या यह ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में भी लागू होती है अथवा नहीं? इसे समझने के लिए हम कुछ आंकड़ों को देख सकते हैं।

वर्ष 1977–78 में जहां कृषि व संबद्ध गतिविधियों में शामिल कुल कामगारों का प्रतिशत 84.4 था वहीं 2007–08 में यह घटकर 75 फ़ीसदी रह गया जबकि गैर–कृषि गतिविधियों में शामिल कामगारों का आंकड़ा 1977–78 के 15.6 प्रतिशत की तुलना में 2007–08 तक आते–आते 25 फ़ीसदी हो गया। अर्थात् यह क्षेत्र क्रमशः रोजगार के दृष्टिकोण से उर्वर होता जा रहा है।

सकल संवृद्धि में भी अगर गैर–कृषक क्षेत्र की बात करें तो यह काफी उत्साहजनक है। अर्थात् ग्रामीण आय के क्षेत्रवार वितरण की बात करें तो 1970–71 में कृषि व संबद्ध गतिविधियों का इसमें हिस्सा 72.37 फीसदी था जो 1999–2000 तक आते–आते घटकर 54.41 फीसदी हो गया। दूसरी तरफ, इसी अवधि के दौरान गैर–कृषि गतिविधियों का इसमें योगदान 1970–71 के 27.63 प्रतिशत की तुलना में 1999–2000 तक 45.59 फ़ीसदी हो गया। इन वर्षों के दौरान गैर–कृषि गतिविधियों में जहां खनन, कंस्ट्रक्शन, यातायात व भंडारण, बैंकिंग एवं बीमा, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं में निरंतर वृद्धि देखी गई वहीं विनिर्माण, व्यापार, रेस्तरां व होटल, रियल एस्टेट आदि क्षेत्रों में उतार–चढ़ाव जारी रहे। आंकड़े बताते हैं कि ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी संभावनाशील हैं।

यहां सावधानी से इस बात को समझने की जरूरत है कि भले ही ग्रामीण कामगारों की संख्या तथा ग्रामीण आय में कृषि व संबद्ध गतिविधियां अभी अपनी प्रमुखता बनाए हुए हैं किंतु कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस क्षेत्र की बहुत अच्छी तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और वैकल्पिक क्षेत्र में निवेश की जरूरत की ओर इशारा कर रहे हैं। सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश का लगभग 40 प्रतिशत किसान खेती छोड़ने के लिए तैयार बैठा है किंतु विकल्पों की कमी उन्हें इस अलाभकारी पेशे से बंधे रहने के लिए मजबूर कर रही है। इसी प्रकार 'प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट्स' का अध्ययन हमें यह बताता है कि वर्तमान समय में कृषि गतिविधियों की उत्पादकता में निरंतर ह्रास की स्थिति बनी हुई है और आगे भी इसके जारी रहने की संभावना है। कुछ अन्य आंकड़े भी हैं जो इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमने अपनी कृषि योग्य भूमि का लगभग संपूर्ण भाग

उपयोग कर लिया है और इसमें अब कहीं से भी वृद्धि की संभावना नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठना लाज़िमी ही है कि कृषि व संबद्ध क्षेत्रों पर एक विशाल जनसंख्या की निर्भरता भविष्य में किसी बड़े संकट का कारण तो नहीं बन जाएगी? फिर तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या और उपलब्ध सीमित संसाधनों के बीच आखिर हम किस तरह से संतुलन बैठा पाएंगे? इसलिए आज जरूरत कुछ ऐसे विकल्पों को अपनाने की है जो ना केवल ग्रामीण जनसंख्या को कृषि से इतर आय प्रदान कर सकें बल्कि रोजगार संवृद्धि में भी अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा सकें। नॉन फार्मिंग सेक्टर ऐसा ही एक क्षेत्र है।

इसलिए यह अनायास ही नहीं है कि हालिया समय में यह देखा गया है कि कृषि से इतर गतिविधियों में ग्रामीण जनसंख्या का रुझान बढ़ रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कृषि की अनिश्चित प्रकृति और उसकी शून्य सीमांत उत्पादकता ने जहां लोगों का कृषि के प्रति मोह भंग किया है वहीं कृषितर क्षेत्र में कृषि की तुलना में बेहतर मजदूरी ने उन्हें इस ओर आकर्षित किया है। इसके अलावा, कम पूंजी में एक बड़ी जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने की ग्रामीण कृषितर क्षेत्र की प्रकृति ने भी उन्हें इस ओर आने के लिए प्रेरित किया है। फिर ऐसा भी नहीं है कि कृषितर क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का विकल्प है बल्कि इसे एक पूरक आय प्रदान करने वाले क्षेत्र के रूप देखा जाना चाहिए। चूंकि अधिकांश गैर–कृषि गतिविधियां अपने कच्चे माल व सेवाओं के लिए कृषि व संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर करती हैं इसलिए इनके विकास के लिए यह आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र का भी पर्याप्त विकास हो रहा हो। उदाहरण के लिए कृषितर क्षेत्र कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरक, बीज, कीटनाशक, स्प्रे, कृषि उपकरण व रिपेयर सर्विस आदि उपलब्ध कराता है। ऐसे में अगर कृषि क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो इन चीजों की मांग नहीं रहेगी और जब इनकी मांग नहीं रहेगी तो गैर–कृषि गतिविधियां भी ठप्प पड़ जाएंगी। इसलिए रोजगार व समावेशी संवृद्धि के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इन दोनों घटकों का साथ–साथ विकास जरूरी है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र का विकास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह अपने स्वरूप में टिकाऊ और समावेशी है।

गैर–कृषि क्षेत्र के विकास से होगा प्रवासन की समस्या का हल

अक्सर विकास नीति पर बात करते समय इसके उप–उत्पाद यानी परिणामों के प्रति उदासीनता बरती जाती है जबकि जिस मानव कल्याण हेतु ये नीतियां निर्मित होती हैं उसमें इन उप–उत्पादों का बड़ा महत्व है। प्रवासन भी विकास नीति का ऐसा ही एक परिणाम है जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वस्तुतः बड़ी एवं केंद्रीकृत उत्पादन प्रणाली पर ही अत्यधिक ध्यान देने का दुष्परिणाम यह हुआ है कि भयंकर क्षेत्रगत असमानता फैल गई तथा रोजगार के साधन कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गए। स्वाभाविक रूप से इसने प्रवासन को प्रेरित किया जिसने रोजगार की समस्या का अंशतः समाधान तो किया किंतु नई किस्म की समस्या को जन्म दिया। प्रवासन की गंभीर होती समस्या ने न केवल शहरों पर अतिरिक्त बोझ डाल रखा है बल्कि सांस्कृतिक विलगाव की समस्या को भी पैदा किया है जिससे आए दिन शहरों में अपराध, नशाखोरी, प्रदूषण और भीड़भाड़ की समस्याओं में इज़ाफा देखने को मिल रहा है। भारत मे प्रतिवर्ष एक करोड़ 20 लाख लोग गांव से नगरों में पलायन करते हैं जबकि शहरों की क्षमता इतनी है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में औद्योगिक विकास की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर काफी अधिक है। परिणामतः शहरों के आसपास या उसके अंदर ही झुग्गियों का विकास हो जाता है और लोग वहीं किसी तरह जीवन निर्वाह करने लग जाते हैं क्योंकि ग्रामीण जीवन में लौटने का भावनात्मक जुड़ाव तो बना रहता है किंतु कोई आर्थिक आकर्षण शेष नहीं रह जाने के कारण लौटना संभव नहीं हो पाता।

2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 1.3 करोड़ झुग्गियां थीं और करीब 93 मिलियन लोग इन स्लमों में रह रहे थे। शहरों में बढ़ते स्लमों के कारण नागरिक सेवाओं,अवसरों व स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और लागत में वृद्धि हो जाती है और लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित होने लग जाते हैं। इस विकराल होती समस्या को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां भारत

की औसत जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वहीं अकेले दिल्ली का जन घनत्व 12,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अन्य शहरों की स्थिति भी इससे बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है। प्रदूषण की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट में विश्व के जिन 15 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची दी गई है उसमें 14 शहर भारत में ही अवस्थित हैं। दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी एक बड़ी वजह नगरों में जनसंख्या का अत्यधिक संकेंद्रण है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ए.आर. देसाई के अनुसार "स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही सरकार का पूरा ध्यान ग्रामीण विकास पर रहा जिस कारण नगरों का नियोजन नहीं हुआ। प्रवासी आते गए, नगर बढ़ते गए और अब भारत के लगभग सभी नगर अतिनगरीकरण की समस्या से जूझ रहे हैं।" अतः जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में नॉन फार्म गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक न तो विषमता समाप्त होगी और न ही प्रवासन की समस्या का ही हल होगा। शहर सुरक्षित रहें, इसके लिए गांवों का विकास जरूरी है। इसके लिए ग्रामीण अधोसंरचना का विकास,उचित प्रशिक्षण और सरकारी प्रोत्साहन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

आय का सुचक्र

अगर हम गैर–कृषि गतिविधियों पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि अधिकांश कृषितर गतिविधियां स्थानीय संसाधनों, तकनीकों व सेवाओं से ही जुड़ी हुई होती हैं। शहरी औद्योगिक केंद्रों के विपरीत न तो इसमें ज्यादा भूमि की आवश्यकता होती है, न ज्यादा पूंजी की और न ही जटिल सरकारी प्रक्रियाओं की। साथ ही, इसमें मांग व आपूर्ति भी बाजार के कठोर नियमों से नहीं बल्कि स्थानीय जरूरतों एवं अनुभवों से तय होती है। इसी तरह इसमें शामिल उद्यमी अथवा कामगार सामान्यतया स्थानीय लोग ही होते हैं इसलिए श्रम की आपूर्ति भी इसमें कोई बाधा नहीं बनती है। इसके अलावा, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसकी 'इकोनॉमी' वास्तविक इकोनॉमी से अधिक प्रभावी होती है क्योंकि जो श्रमिक काम की तलाश में शहर की ओर जाता है वह अपने साथ सिवाय अपने श्रम के कुछ भी लेकर नहीं जा पाता है। इसलिए उसे अपने रहने–खाने से लेकर बिजली–पानी तक हर एक चीज की व्यवस्था अपने लिए खरीद कर करनी होती है जिसमें उसकी मजदूरी का एक बड़ा अंश खर्च हो जाता है। वहीं दूसरी ओर, अगर वह नॉन फार्म गतिविधियों से जुड़ा रहेगा तो भले ही शहरों की तुलना में मजदूरी की रकम थोड़ी कम हो जाए किंतु फिर भी उसका वास्तविक व्यय तुलनात्मक रूप से कम ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां न तो उसे घर का किराया देना होगा, न ही अलग से खाने–पीने की व्यवस्था करनी होगी और न ही घर आने–जाने में अनावश्यक व्यय ही करना होगा। इससे न केवल आय–बचत का अनुपात बेहतर होता है बल्कि इस अतिरिक्त बचत से स्थानीय मांग में भी वृद्धि होती है जो अन्यथा प्रवासन के कारण कम होती है। इस मांग की पूर्ति के लिए स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार यह आय का सुचक्र स्थापित करता है।

उपरोक्त विश्लेषण निश्चित ही इस ओर इशारा करता है कि गैर–कृषि क्षेत्र का विकास देश के सकल विकास के लिए अपरिहार्य है। इसलिए सरकार अवसंरचना विकास, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया जैसे वित्तीय निवेश के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन दे रही है। निकट भविष्य में ही इसका सुफल देखा जा सकेगा।

(लेखक दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के संपादक–मंडल में शामिल हैं और विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं तथा ऑनलाइन वेबसाइट्स हेतु नियमित लेखन करते रहते हैं।)

ई–मेल : sunnyand65@gmail.com

ग्रामीण कृषितर क्षेत्र को बढ़ावा

–डॉ. के. एन. तिवारी

कृषि पर ग्रामीण भारत की अत्यधिक निर्भरता को कम करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण कृषितर क्षेत्र का संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि किसानों को आजीविका की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की जा सके। इसके द्वारा छोटे और सीमांत किसानों तथा कृषि से संबंधित मजदूरों का शहरी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पलायन भी रोका जा सकता है। इसी के मद्देनजर में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषितर क्षेत्र में रोजगार और उद्यम पर विशेष बल दिया जा रहा है।

भारत का आधार और आत्मा गांव हैं। यदि भारत का विकास करना है तो गांवों तथा ग्रामवासियों का विकास करना होगा। भारत में हर 10 में से आठ से अधिक व्यक्ति अनौपचारिक श्रम करते हैं या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं तथा रोजगार संबंधी अधिकारों, लाभों और सामाजिक संरक्षण से अब तक वंचित रहे हैं। गैर–कृषि क्षेत्र की आधे से अधिक आबादी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत है और रोजगार वृद्धि निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों, जैसे निर्माण में केंद्रित है। पर्याप्त उत्कृष्ट और उत्पादक नौकरियों का सृजन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, श्रम बाजार में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी दर में निरंतर और उल्लेखनीय विषमता कायम है।

भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावशाली तरीके से बढ़ रही है। अपनी वृहद् जनसंख्या, उच्च निवेश और बचत दर तथा अवसंरचना के क्षेत्र में संसाधनों के आबंटन के साथ देश तेज गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन पिछले दशक में आर्थिक वृद्धि की तेज गति और गरीबी कम करने के उल्लेखनीय प्रयासों तथा समावेशी, उत्पादक और औपचारिक श्रम बाजार के बीच निरंतर अंतराल बना हुआ है। दक्षता विकास में निवेश से यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक और रोजगार की वृद्धि अधिक समावेशी होगी।

गैर–कृषि क्षेत्र

आजीविका की वैकल्पिक सुविधा प्रदान कर कृषि पर ग्रामीण भारत की अत्यधिक निर्भरता को कम करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण कृषितर क्षेत्र का संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा छोटे और सीमांत किसान तथा कृषि से संबंधित मजदूरों का शहरी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पलायन को भी रोका जा सकता है। पिछले तीन दशकों से ग्रामीण कृषितर क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड ने कई पुनर्वित्त और संवर्धनात्मक योजनाएं तैयार की हैं तथा क्षेत्र–स्तर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनका विस्तार करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए अपने प्रयास भी जारी रखे हैं। ऋण के अधिक प्रवाह, वंचितों के लिए ऋण के प्रावधान तथा छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा, हस्तशिल्प के लिए संयोजन हेतु प्रावधान तथा ग्रामीण अंचलों के विकेंद्रीकृत क्षेत्रों में

अन्य ग्रामीण शिल्प तथा सेवा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

खादी एवं ग्रामोद्योगी योजनाएं

"खादी" का अर्थ है कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र। "ग्रामोद्योग" का अर्थ है, ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थायी पूंजी निवेश (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी पचास हजार रुपये से अधिक न हो। इस हेतु परिभाषित 'ग्रामीण क्षेत्र' में समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हजार तक की आबादी वाले कस्बे सम्मिलित हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामोद्योग/परियोजना को सात प्रमुख समूहों में बांटा गया है।

समूह I खनिज आधारित उद्योग

समूह II वनाधारित उद्योग

समूह III कृषि आधारित और खाद्य उद्योग

समूह IV बहुलक और रसायन–आधारित उद्योग

समूह– V इंजीनियरिंग और गैर–परंपरागत ऊर्जा

समूह– VI वस्त्रोद्योग

समूह VII सेवा उद्योग

भारत सरकार के कार्यक्रम और पहल

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यम पर विशेष बल दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य उपलब्धता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। विभाग मनरेगा के अंतर्गत दिहाड़ी रोजगार के अतिरिक्त, कुशल, अर्धकुशल दिहाड़ी मजदूर को पीएनएवाई–ग्रामीण तथा पीएनजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन दे रहा है। सरकार ने रोजगार सृजन और उद्यमिता तथा निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने और मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि लाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को उद्योग से संबंधित दक्षता का प्रशिक्षण और अपनी रोजगारपरकता में सुधार करने का मौका मिल रहा है। युवा वर्ग श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके, इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के दक्षता कार्यक्रम उपलब्ध कराए हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राष्ट्रीय करियर सेवा का उद्देश्य पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से रोजगार से मेल खाने वाली सेवाएं प्रदान करना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए जीविकोपार्जन की सुरक्षा बढ़ाना है। यह उन ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है, जिनके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक रूप से अकुशल मजदूरी करना चाहें। पिछले 5 वर्षों में, स्थायी समुदाय और व्यक्तिगत लाभार्थी संपत्तियों के निर्माण पर भी प्रमुख रूप से जोर दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाएं जैसे बकरी झोंपड़ा, डेयरी झोंपड़ा, प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) में 90–95 दिनों का काम, कुआं, खेत कुंड, कृमि–खाद गड्ढे, पानी सोखने वाले गड्ढे इत्यादि को शामिल किया गया। इन परिसंपत्तियों ने वंचितों को वैकल्पिक स्थायी आजीविका तक पहुंच बनाने में मदद की है। कार्यक्रम की स्थापना के बाद से 4.08 करोड़ पूर्ण कार्यों में से 3.40 करोड़ पूर्ण कार्यों को जियो–टैग किया जा चुका है और यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

आंगनवाड़ी केंद्रों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर लगभग 1,11,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कामों को भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जोकि गांवों की स्वच्छता, उच्च आय और गरीबों के लिए अधिक प्रकार की आजीविका प्रदान करने का प्रमुख माध्यम हैं। यह सभी ग्राम पंचायत–स्तर के बदले जिला–स्तर पर 60:40 अनुपात की अनुमति देने से संभव हो रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एनआरएलएम)

इस कार्यक्रम में विश्व बैंक ने निवेश किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब वर्गों को दक्ष और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान करना और स्थायी जीविकोपार्जन में वृद्धि और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि दक्षता विकास में सतत निवेश किया जाए और उद्यमशीलता के जरिए उत्कृष्ट रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाया जाए। भारत में कौशल की कमी को दूर करने और रोजगारपरकता को बढ़ाने के लिए ऐसी नीतियां और रणनीतियां बनाई जानी चाहिए जो श्रम प्रासंगिक शिक्षा प्रणालियों, करियर मार्गदर्शन, जीवन कौशल और तकनीकी–व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजनाओं तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र में 'ऑन द जॉब' प्रशिक्षण पर केंद्रित हों।

अधिक उत्पादक और उच्च दक्षतापूर्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनेक राष्ट्रीय योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को ग्रीनफील्ड उद्यम लगाने में मदद करने के लिए बैंक ऋण कार्यक्रम) और डिजिटल इंडिया को शुरू किया गया है जिससे रोजगार की मांग और नौकरियों के सृजन में तेजी आए। अटल नवाचार मिशन का प्रयास नए प्रयोगों और उद्यमिता की संस्कृति

को बढ़ावा देना है। इसके लिए वह नए विचारों को उत्पन्न और साझा करने तथा नए विचारों वाले व्यक्तियों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने के लिए एक मंच देता है।

महिला स्वयंसहायता समूहों को मदद

दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएन) के अंतर्गत महिला स्वयंसहायता समूहों के लिए बैंक ऋण संपर्क पर बल दे रहा है ताकि उद्यम को बढ़ावा मिले। अभी 47,000 करोड़ रुपये से अधिक का संपर्क है, जिसका इस्तेमाल कस्टम हायरिंग सेंटर, ग्रामीण परिवहन, कृषि तथा संबंधित कार्य, पशुपालन, बागवानी, हथकरघा तथा हस्तशिल्प, खुदरा व्यापार आदि जैसे उपयोगी उद्यमों को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। पिछले 5 वर्ष में महिला स्वयंसहायता समूहों के लिए बैंक संपर्क दो गुना से अधिक हो गया है। डीडीयू–जेकेवाई तथा आरएसईटीआई के माध्यम से स्वरोजगार कार्यक्रम में प्लेसमेंट आधारित दिहाड़ी रोजगार से परिवारों को आजीविका को बढ़ाने में मदद मिल रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019 में विश्व बैंक से ऋण सहायता (आईबीआरडी क्रेडिट) के जरिए दीनदयाल अंत्योदय योजना –राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के तहत 'राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना' नामक एक बाहरी सहायता प्राप्त योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। एनआरईटीपी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी सहायता एवं परियोजना द्वारा सुगम कराए जाने वाले उच्च–स्तरीय उपायों से आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सुविधा में बढ़ोतरी होगी तथा डिजिटल वित्त एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को बढ़ावा मिलेगा।

डीएवाई–एनआरएलएम निर्धनों में से सबसे निर्धन एवं सबसे निर्बल समुदायों को लक्षित करने एवं उनके वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देता है। एनआरईटीपी के तहत वित्तीय समावेशन के वैकल्पिक माध्यमों का मार्गदर्शन करने, आजीविका संवर्धन में नवोन्मेषी मॉडलों को प्रस्तुत करने एवं डिजिटल वित्त की सुविधा एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी।

स्किल डेवलपमेंट से बढ़े रोजगार के अवसर

कौशल विकास के तहत अब तक 56 लाख से ज्यादा युवा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं जिनमें से करीब 24 लाख अपने हुनर से जुड़े क्षेत्र में रोजगार पा चुके हैं। दरअसल देश में पहली बार मोदी सरकार ने ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक समग्र और राष्ट्रीय नीति तैयार की। इसके लिए 21 मंत्रालयों और 50 विभागों में फैले कौशल विकास के कार्य को विशेष तौर पर गठित हुए कौशल विकास मंत्रालय के अधीन लाया गया है। 12,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू हुई. उद्यमिता और कौशल विकास पहलों के संस्थानीकरण के प्रयास के रूप में नाबार्ड विशिष्ट

> **घर से रोजगार कर रहीं 20 लाख महिलाएं**
>
> डिजिटल लेन–देन के सरकार के प्रयासों में अब होममेकर्स भी बढ़–चढ़कर हाथ बंटा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में घर से बैठकर कम से कम 20 लाख महिलाएं 8 से 9 अरब डॉलर का व्यापार कर रही हैं, जिसमें आने वाले समय में और वृद्धि होने की संभावना है। व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपने द्वारा बनाए गए सामान को लोगों तक पहुंचा रही हैं। ऑनलाइन रि–सेलिंग का व्यापार करने वाली महिलाओं की संख्या में अगले पांच सालों में हर वर्ष 50 से 60 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। इसके साथ ही 2022 तक ये व्यापार 48 से 60 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है।

संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है जैसे रुडसेटी/रुडसेटी की तरह की संस्थाएं/आरसेटी, जो विभिन्न कौशलों पर ग्रामीण युवकों और महिलाओं को उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिससे उन्हें आजीविका के लिए बेहतर विकल्प प्राप्त होते हैं। यह सहायता उन्हीं संस्थाओं को प्रदान की जाती है जो नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हैं जैसे प्रशिक्षण के पश्चात 80 प्रतिशत से अधिक लोगों की प्लेसमेंट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत चार साल में एक करोड़ युवकों को प्रशिक्षित करना है। आंकड़े बताते हैं कि रियल एस्टेट और रिटेल समेत देश के कम से कम 24 सेक्टरों में आने वाले पांच सालों में करीब 12 करोड़ स्किल्ड कामगारों की आवश्यकता होगी, जहां सरकार की योजनाओं के तहत प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे।

ग्रामीण रोजगार के लिए 'आजीविका एक्सप्रेस'

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, इस योजना के तहत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं परिचालित करने की सुविधा प्रदान करवाना है। यह उप–योजना 2017–18 से 2019–20 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए एक पायलट आधार पर देश के 250 ब्लॉकों में लागू की गई है।

प्रायोगिक परियोजनाएं

ग्रामीण आवास और ग्रामीण स्वच्छता हेतु सहायता

नाबार्ड ने केरल, ओड़िशा, राजस्थान और गोवा में ग्रामीण आवासन के अंतर्गत 6 परियोजनाओं के बाबत 1800 लाख रुपये की ऋण सहायता तथा 17 लाख रुपये की अनुदान सहायता मंजूर की है। ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत 777 इकाइयों के लिए 100 लाख रुपये की ऋण सहायता मंजूर की गई है।

प्रायोगिक आधार पर ई – पोर्टल के लिए सहायता

इसे क्रमशः "shilpihaat.com" और "ekraftindia.com" के नाम से प्रारंभ किया गया है। इन पोर्टल्स का शुभारंभ तत्कालीन माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 16 जनवरी, 2015 को किया गया।

नाबार्ड ने मेसर्स जाक़ ई – वेंचर्स, नई दिल्ली और मेसर्स ईफ्रेश पोर्टल प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों के विपणन के लिए पोर्टल के विकास के लिए प्रायोगिक आधार पर योजना बनाई है।

कम ब्याज दरों पर ऋण

सरकार द्वारा कुटीर उद्योग शुरू करने एवं संचालन करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण दिया जाता है। यह ऋण किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए बिना किसी दस्तावेज के मिल जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा मुद्रा ऋण भी दिया जाता है। बैंकों द्वारा दी गई जानकारी को पूरी तरह से समझकर आप लाभ उठा सकते हैं। ऐसे उद्यमी जो कलात्मक शैली के द्वारा या नई पद्धति के द्वारा कुटीर उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सीजीएफटी के तहत ऋण दिया जाता है जिससे वह अपने व्यवसाय में बिना किसी रुकावट के निरंतर प्रगति कर सकें। सरकार ने छोटे–छोटे व्यवसाय को संरक्षित करने के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा है। यह सब्सिडी, ऋण की क़िस्त नियमित रूप से भरने पर अंतिम अवधि में दी जाती है। सरकार ने ऐसी कई विकास योजनाओं को लागू किया है जिसका छोटे उद्यमी लाभ ले सकते हैं। ये योजनाएं इस प्रकार से हैं: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार जेनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि।

मुद्रा योजना से बढ़े स्वरोजगार के अवसर

मुद्रा योजना के तहत अगस्त 2018 तक 8.19 करोड़ लोगों ने ऋण लिया है। यदि कम से कम एक व्यक्ति के रोजगार मिलने का भी औसत मान लिया जाए तो 8.19 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इस योजना के तहत् अब तक 3.42 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं जिनमें ज्यादातर लघु उद्यमी हैं। इनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है जो इससे पहले किसी भी प्रकार के व्यवसाय से नहीं जुड़े थे। मुद्रा ऋण 10 लाख रुपये तक के गैर–कृषि कार्यकलापों के लिए उपलब्ध है।

मुद्रा योजना महिला सशक्तीकरण का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। इस योजना के तहत 30 अगस्त, 2018 तक 8,63,78,23 लोग लाभ ले चुके हैं, इनमें 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। यानी लगभग छह करोड़ से अधिक महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है।

निवेशक पोर्टल – निवेश बंधु की शुरुआत

वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा निवेश बंधु –निवेशक पोर्टल की शुरुआत की गई। इस अनूठे पोर्टल का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। यह किसानों, व्यापारियों और रसद ऑपरेटरों के लिए व्यापार नेटवर्किंग हेतु एक मंच भी उपलब्ध कराता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सात प्रकाशनों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए पोर्टल में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस पोर्टल में फूड मैप ऑफ इंडिया को भी शामिल किया गया है। खाद्य मानचित्र, निवेशकों को अपनी परियोजनाओं के विषय में पता लगाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाता है, क्योंकि खाद्य मानचित्र द्वारा अधिशेष उत्पादन क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता का मानचित्रण दिखाया जाता है।

स्टैंडअप इंडिया

इस योजना से देशभर में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर बैंक को कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दलित, पिछड़े और महिलाओ को खोज कर इस स्कीम से उन्हें जोड़ें। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने कुटीर उद्योग को बेहतर बनाने की कोशिश की है। कुटीर उद्योग के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बैंक या जिला उद्योग केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। आप कुटीर उद्योग को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने का फायदा यह है कि आपको बड़ा ऋण मिलने की संभावना बढ़ जाती है जिससे आप अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन होने से आप ग्राहक को पक्का बिल भी दे सकते हैं। आप अपने व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन एसएसएआई (SSAI) में करवा सकते हैं। कुटीर उद्योगों को जिला उद्योग केंद्र द्वारा संरक्षण भी दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र का सहयोग

दक्षता, उद्यमिता और रोजगार सृजन पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र प्राथमिकता समूह सरकार के सहयोग से श्रम बाजार की सूचना प्रणालियों को मजबूती देता है, स्कूल से कार्यस्थल पर संक्रमण की रणनीतियों को सहयोग प्रदान करता है तथा राज्य–स्तर पर रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य, गुणवत्ता एवं पहुंच को सुधारने में मदद करता है। वह सरकार की रोजगार सृजन और उद्यमिता रणनीतियों और कार्यक्रमों को समर्थन देता है जिससे यह सुनिश्चित हो कि उसमें युवा, महिलाएं, प्रवासी श्रमिक और दूसरे सीमांत समूह शामिल हो। निम्न आय वाले राज्यों और जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्यमों (एमएसएमई) के विकास, ग्रामीण श्रम बाजार, श्रम गहन मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, अवसंरचना विकास और नए क्षेत्रों जैसे हरित उद्योग और किफायती आवास जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

समूह ने कौशल अंतराल के मूल्यांकन और कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति के निरूपण के लिए मिज़ोरम सरकार को सहयोग प्रदान किया है। वह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण तथा उसके अनुवर्तन

पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उच्च–स्तरीय पैनल के भारतीय सलाहकार को समर्थन दे रहा है।

ग्रामीण नवोन्मेष निधि

ग्रामीण नवोन्मेष निधि एक ऐसी निधि है इसे नवोन्मेषी, जोखिम की दृष्टि से अनुकूल, कृषि, कृषितर और सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में गैर– पारंपरिक प्रयोगों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों और रोजगार संवर्धन के लिए सहायता मिलने की संभावना बढ़ सके। ग्रामीण नवोन्मेष निधि के अंतर्गत ऋण/अनुदान/इंक्यूबेशन निधि सहायता अथवा इन सभी तीनों घटकों के रूप में सहायता उपलब्ध होती है।

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय

खाद्य एवं कृषि–आधारित प्रसंस्करण इकाई और कोल्डचेन के बुनियादी ढांचे को ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तौर पर कृषि गतिविधियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त ऋण भी उपलब्धता कराया गया है। पूर्व–कंडीशनिंग, प्री–कोडिंग, खुदरा पैकेजिंग और फलों व सब्ज़ियों के लेबलिंग पर सेवा कर में कोल्ड श्रृंखला परियोजनाओं में छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता को बढ़ाने और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ऑन–लाइन सॉफ़्टवेयर का निर्माण किया गया है, ताकि बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं के दावों को दर्ज किया जा सके।

नाबार्ड में 8000 करोड़ रुपये के डेयरी प्रसंस्करण और विकास निधि की स्थापना की गई है। सहकारी क्षेत्र में विशेष रूप से पुराने और अप्रचलित दूध प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। परिणामस्वरूप दूध प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे किसानों के उत्पाद को अधिक मूल्य प्राप्त होगा तथा उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

मेगा फूड पार्क

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ–साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मूल्यवान बनाने तथा आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में मेगा फूड पार्क योजना को लागू किया गया है। सामान्य और बुनियादी सुविधाओं को सक्षम बनाने हेतु केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित किया गया है। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये तक की आर्थिक मदद मुहैया कराई जा रही है। एक मेगा फूड पार्क से 5000 लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रोज़गार मिलने के अलावा लगभग 25,000 किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है। नाबार्ड द्वारा 10 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के लिए 'फूड प्रोसेसिंग फंड' के अंतर्गत 2000 करोड़ में से 427.69 करोड़ का ऋण और 2 प्रसंस्करण इकाइयों को 81.10 करोड़ की राशि वितरित की गई है। नाबार्ड के साथ विशेष फंड से सस्ता ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में 157 नामित खाद्य पार्कों को अधिसूचित किया गया है।

हालांकि भारत सरकार के अधीन प्रसंस्करण मंत्रालय भी गठित किया गया है, लेकिन उत्पादकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया के सरलीकरण और उसे युक्तिसंगत बनाए जाने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाक़ी है। इसी से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का सपना पूरा होगा। जनसांख्यकीय असंतुलन बढ़ने से शहरों पर भी दबाव निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन लघु एवं कुटीर प्रसंस्करण उद्योगों में यदि प्राणवायु फूंक दी जाए तो समग्र और संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

(लेखक इंटरनेशनल प्लांट न्यूट्रिशन इंस्टिट्यूट, इंडिया प्रोग्राम में निदेशक रह चुके हैं और कृषि एवं ग्रामीण विकास लेखन में विशेष रुचि रखते हैं।)

ई–मेल : kashinathtiwari730@gmail.com

परंपरागत उद्योगों का संरक्षण जरूरी

आज जब भारत के गांव बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में गांवों में चल रहे परंपरागत व्यवसायों को भी नया रूप देने की जरूरत है। गुजरात के राजकोट निवासी मनसुख भाई ने कुछ ऐसा ही नया करने का बीड़ा उठाया है। पेशे से कुम्हार मनसुख ने अपने हुनर और इनोवेटिव आइडिया का इस्तेमाल करके न सिर्फ अच्छा बिजनेस स्थापित किया, बल्कि नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। आज उनके नाम और काम की तारीफ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। उनके मिट्टी के बर्तन विदेशों में भी बिक रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने उन्हें 'ग्रामीण भारत का सच्चा वैज्ञानिक' कहा।

उत्तर प्रदेश में डेढ़ करोड़ के करीब हस्तशिल्पी, हथकरघा एवं अन्य कुटीर उद्योग के बुनकर शामिल हैं। इसमें वाराणसी का साड़ी उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग सहित विभिन्न उद्योग जुड़े हुए हैं। देश को करोड़ों डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित करा रहे इस उद्योग को रोजगार गारंटी से नहीं जोड़ा गया। इससे पिछले दो साल के दौरान हस्तशिल्पी, हथकरघा, कालीन, साड़ी उद्योग से बुनकरों का पलायन होने लगा और इनकी कमी लगातार बढ़ती जा रही है। आर्डर मिलने के बाद भी बुनकर नहीं मिल रहे हैं। इससे करोड़ों का नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है। चार हजार करोड़ का कारोबार भदोही जीआई क्षेत्र से होता है, लेकिन हाथ से बुने कालीन में बुनकरों की संख्या कम होना चिंतनीय है। सरकार अगर इस उद्योग को 100 दिन की गारंटी योजना से जोड़ दे तो यह उद्योग नई ऊंचाइयों को छूने लगेगा। लेकिन सरकार की ओर से कोई विशेष पैकेज न दिए जाने से बुनकरों का पलायन लगातार बढ़ रहा है। महिलाओं कारीगरों की स्थिति भी चिंताजनक होती जा रही है। कालीन समेत हथकरघा, दरी आदि उद्योगों को मनरेगा में शामिल करने से इन उद्योगों को बचाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन : नए अवसर, नई संभावनाएं

–डॉ. जगदीप सक्सेना

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से इतर रोजगार और आमदनी के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इन नेक इरादों को हकीकत में बदलने के लिए राष्ट्रीय मंचों पर नई संभावनाएं तलाशी गई हैं, नए विकल्प ढूंढे गए हैं और इन्हें जांच–परखकर नई योजनाओं के रूप में लागू भी किया जा रहा है। ऐसी ही एक बहुआयामी और बहु–उद्देशीय योजना है 'कुसुम'। यह महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा के उत्पादन द्वारा अतिरिक्त आमदनी का अवसर प्रदान करती है। स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2018 में गोबर–धन नाम से एक योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत जैविक व्यर्थ से ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि गांव साफ–सुथरे रहें।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और कृषक, दोनों ही नई चुनौतियों के साथ नई संभावनाओं के दौर से भी गुजर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, तपती धरती और बढ़ती मौसमी आपदाओं ने कृषि को जोखिम भरा बना दिया है, जिससे किसानों की आमदनी और आजीविका संकट में फंस गई है। दूसरी ओर, कृषि की बढ़ती लागत और घटती लाभदायकता ने भी कृषि क्षेत्र के लिए एक विकट चुनौती खड़ी कर दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। परंतु आशा की उजली किरण के रूप में भारत सरकार ने सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का लक्ष्य तय किया और कृषि उत्पादन को सतत् बनाकर खाद्य सुरक्षा की निरंतरता बनाए रखने का संकल्प भी लिया है। इस संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से इतर रोजगार और आमदनी के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इन नेक इरादों को हकीकत में बदलने के लिए राष्ट्रीय मंचों पर नई संभावनाएं तलाशी गई हैं, नए विकल्प ढूंढे गए हैं और इन्हें जांच–परखकर नई योजनाओं के रूप में लागू भी किया जा रहा है। ऐसी ही एक बहुआयामी और बहुउद्देशीय योजना है 'कुसुम' यानी 'किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान'। यह महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा के उत्पादन द्वारा अतिरिक्त आमदनी का अवसर प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध बंजर भूमि पर भी सौर बिजलीघर बनाया जा सकता है। साथ ही, वर्षा जलसंग्रह की संभावना बनती है और देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन

और उपयोग को बढ़ावा भी मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए भी यह एक सुअवसर है।

सोलर बिजली से आर्थिक सुधार

विस्तृत आर्थिक अध्ययनों और सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि किसानों, ग्राम पंचायतों, सहकारी संघों आदि की बंजर और खेतिहर भूमि पर सौर पैनल लगाकर सौर बिजली का पर्याप्त उत्पादन किया जा सकता है। बिजली का इतना उत्पादन संभव है कि किसान अपनी घरेलू और कृषि संबंधी बिजली आवश्यकताएं पूरी करने के बाद बिजली कंपनियों को शेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकें। इसमें वह ऊर्जा भी शामिल है, जिसका उपयोग कर सिंचाई पंपों को सोलर बिजली से चलाया जा सकेगा। बंजर और अनुपयोगी भूमि के स्वामी भी इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इस तकनीकी संभावना को नीतिगत और वित्तीय साधनों से पोषित कर भारत सरकार ने मार्च, 2019 में 'कुसुम' नामक महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकृत कर लागू किया। इस व्यापक योजना को विशिष्ट उद्देश्यों के साथ तीन घटकों में बांटकर लागू किया जा रहा है, जिसके लिए कुल 34,422 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। आशा है तीनों घटकों के लागू होने से सन् 2022 तक सोलर बिजली की क्षमता में 25,750 मेगावॉट की बढ़ोतरी की जा सकेगी।

पर्यावरण की दृष्टि से सोलर बिजली का उत्पादन 'स्वच्छ तथा हरित' ऊर्जा की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे पर्यावरण के लिए हानिकारक कार्बन–डाई–ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन नहीं होता। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाकर बताया है कि 'कुसुम' योजना के अंतर्गत सोलर बिजली उत्पादन से हवा में प्रति वर्ष 27 मिलियन कार्बन–डाई–ऑक्साइड की कटौती होगी। उल्लेखनीय है कि इसी गैस को धरती का तापमान बढ़ाने (ग्लोबल वार्मिंग) का प्रमुख दोषी करार दिया गया है। साथ ही, सिंचाई पंप को सोलर बिजली से चलाने से प्रति वर्ष 1.2 अरब लीटर डीजल की बचत होगी। डीजल की अधिकांश मात्रा का विदेशों से आयात होता है, इसलिए बड़ी मात्रा में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। इस योजना में रोजगार की बड़ी संभावना को देखा जा रहा है। इससे एक ओर तो ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कुशल तथा गैर–कुशल श्रमिकों को भी प्रति वर्ष 6.31 लाख रोजगार मिलने की संभावना है।

'कुसुम' योजना के घटक 'ए' के अंतर्गत कुल 10,000 मेगावॉट क्षमता के ग्रिड से जुड़े सोलर बिजलीघर स्थापित करने का लक्ष्य है। वैसे इसके अंतर्गत किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित बिजलीघर भी लगाए जा सकते हैं। यह अवसर उन सभी किसानों के लिए हैं, जिनके पास बंजर या कृषि के लिए अयोग्य भूमि है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतें, सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन भी अपनी भूमि पर सोलर बिजलीघर लगाकर अतिरिक्त आमदनी और रोजगार के अवसर जुटा सकते हैं। इन बिजलीघरों की क्षमता भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार 500 किलोवॉट से दो मेगावॉट तक हो सकती है। इसके लिए ऐसे खेत या भूमि को प्राथमिकता दी जाएगी, जो बिजली सब–स्टेशन के पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर हों। इससे ट्रांसमिशन लाइंस लगाने की लागत कम हो जाती है और बिजली का नुकसान भी कम होता है। सोलर बिजलीघर में दिन के समय तैयार होने वाली बिजली की पूरी खरीद बिजली वितरण कंपनियां एक निश्चित कीमत पर करेंगी, जिसे राज्य के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा तय किया जाएगा। इसके लिए कंपनी और भूमि/बिजलीघर स्वामी के बीच बिजली खरीद के लिए 25 वर्ष का समझौता करने का प्रावधान किया गया है। सोलर के अलावा पवन, बायोमास, कृषि व्यर्थ या लघु पनबिजली जैसे स्रोतों पर आधारित बिजलीघरों के लिए भी यही व्यवस्था की गई है। बिजली वितरण कंपनियों को इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से बिजली खरीदने पर खरीद–आधारित प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है, जिसकी दर 40 पैसे प्रति यूनिट या 6.60 लाख रुपये प्रति मेगावॉट प्रति वर्ष निधारित की गई है। यह राशि बिजलीघर सक्रिय होने के बाद केवल पांच वर्ष तक ही जाएगी यानी बिजली वितरण कंपनी को अधिकतम 33 लाख रुपये प्रति मेगावॉट की प्राप्ति होगी। यदि कोई किसान या कृषक संगठन सोलर बिजलीघर लगाने के लिए आवश्यक धनराशि (इक्विटी) की व्यवस्था करने में असमर्थ है तो स्थानीय बिजली वितरण कंपनी इसमें सहायता कर सकती है और इस दशा में किसान को भूमि का किराया (लीज रेंट) देय होगा जो भूमि के क्षेत्र के अनुसार तय किया जा सकता है या प्रति यूनिट बिजली उत्पादन के आधार पर भी निर्धारित करने की व्यवस्था है। यदि बिजली वितरण कंपनी के अलावा कोई अन्य एजेंसी सोलर बिजलीघर लगाती है तो बिजली वितरण कंपनी को अधिकार होगा कि वो एजेंसी को बिजली का भुगतान करने से पहले भू–स्वामी को देय किराया काटकर सीधे उसके बैंक खाते में जमा करवा दे। इस तरह किसान को बिना किसी समस्या के नियमित रूप से किराया मिलता रहेगा। योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की राज्य–स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा भूस्वामी को सोलर बिजलीघर स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए नोडल एजेंसी को 0.25 लाख रुपये प्रति मेगावॉट की दर से सेवाशुल्क देय होगा। इस तरह भूस्वामी को कम से कम 25 वर्ष तक निरंतर आय प्राप्त होगी। किसान भाई चाहें तो अपनी फसलों के साथ सोलर बिजलीघर लगाकर अपनी आजीविका को सुरक्षित कर सकते हैं। इस योजना का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति कम कीमत पर की जा सकेगी, क्योंकि बिजली कंपनी को कहीं बाहर से बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। सोलर बिजली की उपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक सुधार की बुनियाद को मजबूती मिलेगी।

सिंचाई की सुविधा के साथ आमदनी भी

'कुसुम' योजना के घटक 'बी' का लक्ष्य ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हरित ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है, जहां आज भी बिजली का अभाव है और किसान भाई डीजल–आधारित सिंचाई पंप का उपयोग करते हैं। डीजल की ऊंची कीमत की समस्या के साथ ये पंप ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत भी हैं। इसके लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 7.5 हॉर्स पॉवर का सोलर सिंचाई पंप लगाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत मंत्रालय द्वारा सिंचाई पंप की कुल लागत का 30 प्रतिशत वहन किया जाएगा; 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध होगी; और 40 प्रतिशत राशि किसानों को स्वयं वहन करनी होगी। परंतु किसानों को 30 प्रतिशत राशि बैंक से आसान ऋण के रूप में प्राप्त हो जाएगी, इस तरह किसान को अपनी जेब से केवल 10 प्रतिशत राशि का भुगतान ही करना होगा। इस पंप के लिए लगाई गई सोलर बिजली की व्यवस्था को ग्रिड से जोड़ा जा सकेगा। इस तरह यदि पंप का उपयोग कम होता है तो बची हुई बिजली को ग्रिड में भेजकर आमदनी हो सकेगी। अनुमान है कि आगामी चार वर्षों में लगभग 17.5 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

'कुसुम' योजना के घटक 'सी' का लक्ष्य उन ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर सिंचाई पंप लगाना है, जहां पहले से ही बिजली से सिंचाई पंप चलाए जा रहे हैं। यानी बिजली से चलने वाले सिंचाई पंपों को सोलर बिजली से चलने की शक्ति दी जाएगी और इसके लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था की जाएगी। पंप की क्षमता उसकी दुगुनी क्षमता की सोलर बिजली उत्पादन प्रणाली पंप के साथ जोड़ी जाएगी। इस तरह किसान को दोहरा लाभ प्राप्त होगा। एक तो उसे पंप चलाने के लिए बिजली के बिल का भुगतान नहीं करना होगा और दूसरे, शेष बिजली को ग्रिड में भेजकर वह अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकेगा। इसके अंतर्गत किसान को वित्तीय सहायता की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार है, जैसी घटक 'बी' में है। यानी किसान को लागत की केवल 10 प्रतिशत राशि अपनी जेब से खर्च करनी होगी। इसका एक लाभ यह भी होगा कि किसान अपनी आमदनी की संभावना के कारण पंप का समुचित और कुशल उपयोग करेगा, जिससे भूजल का भी तर्कसंगत और कुशल उपयोग होगा, बर्बादी पर अंकुश लगेगा।

तकनीक का सहयोग

ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर बिजली उत्पादन के उद्यम को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष सोलर बिजली उत्पादन प्रणाली विकसित की गई है, जिसे 'एग्री वोल्टाइक' प्रणाली कहते हैं। इस तकनीक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जोधपुर स्थित केंद्रीय मरूक्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। प्रायोगिक तौर पर 25 किलोवॉट और 105 किलोवॉट क्षमता की प्रणालियां विकसित की गई हैं और इन्हें खेतों में लगाकर परीक्षण भी किया गया है। इस प्रणाली के आधार पर 240 से 480 किलोवॉट क्षमता के सोलर बिजलीघर की स्थापना लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र में भी की जा सकती है। इसका डिजाइन सामान्य सोलर पैनल से अलग हटकर तैयार किया गया है ताकि पैनल्स के बीच और इसके नीचे भी फसलें उगाई जा सकें। वैज्ञानिकों ने फसलों की ऊंचाई और छाया की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त फसलें भी सुझाई हैं। पैनल्स के बीच पड़ी खाली जगहों में मूंग, मोठ, लोबिया, ईसबगोल, जीरा, चना और ऐलोवेरा जैसे औषधीय पौधे उगाने की सिफारिश की गई है, जबकि सोलर पैनल्स के नीचे मिर्च, प्याज और लहसुन जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। सोलर पैनल्स के साथ एक विशेष व्यवस्था कर इसे वर्षा जलसंग्रह प्रणाली का रूप भी दिया गया है। लगभग एक एकड़ भूमि पर स्थापित 'एग्री वोल्टाइक' प्रणाली से डेढ़ लाख लीटर वर्षा जल का संग्रह किया जा सकता है, जिससे फसलों की 37.5 मिलीमीटर तक सिंचाई की जा सकती है। सूखे और पानी की कमी से जूझते ग्रामीण क्षेत्रों में यह सिंचाई किसी वरदान से कम नहीं है। सभी सहायक प्रणालियों के साथ 105 किलोवॉट क्षमता की 'एग्री–वोल्टाइक' प्रणाली की स्थापना लागत लगभग 60 लाख रुपये बैठती है, जबकि अकेले बिजली उत्पादन से प्रति वर्ष 7.60 लाख रुपये की आमदनी संभावित है। खेती से होने वाली आय अलग है। इस तरह लगभग 9 से 10 वर्षों में कुल लागत की वसूली हो जाती है। सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता ने इस उपक्रम को लगाने की राह आसान कर दी है।

> व्यर्थ पदार्थों से बायोगैस उत्पादन के बाद बचने वाली स्लरी एक उत्कृष्ट जैविक खाद है, जिसकी किसानों के बीच अच्छी मांग है। इसकी उपलब्धता बढ़ने से महंगे और हानिकारक रासायनिक उर्वरकों की खपत में कटौती होगी। व्यर्थ पदार्थों के सदुपयोग से प्रदूषण कम होगा और ग्रामीण क्षेत्र स्वच्छता की ओर अग्रसर होंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जा रहे शौचालयों को बायोगैस संयंत्र से जोड़ने का भी प्रावधान है।

धान की भूसी से बिजली उत्पादन

सोलर बिजली उत्पादन से आगे बढ़ें तो ग्रामीण क्षेत्रों में धान की भूसी एक आसानी से और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधन हैं, जिसका उपयोग कर बिजली बनाई जा सकती है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों को रोशन कर आमदनी भी की जा सकती है। यह उद्यम तकनीकी और व्यावहारिक रूप से देश के अनेक क्षेत्रों में सफल हो चुका है। धान से चावल अलग करने वाली मिलों में आमतौर पर भूसी को एक व्यर्थ के रूप में देखा जाता है, जिसका कोई विशेष उपयोग नहीं होता। परंतु बायो–गैसीफायर तकनीक से चावल की भूसी को ईंधन की तरह इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर गैस बनाई जाती है, जिसके माध्यम से इंजन द्वारा बिजली उत्पादन

किया जाता है। बिहार, छत्तीसगढ़ तथा कई अन्य प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के गांवों में, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है या बिजली की उपलब्धता कम है, वहां यह प्रणाली एक लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित है। मुख्य रूप से युवा उद्यमी इसे रोजगार के रूप में अपनाकर सफलता की कहानियां लिख रहे हैं। उन्होंने स्वयं के लिए रोजगार का एक सशक्त माध्यम विकसित कर लिया है, स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं, गांवों में लोगों के घरों तक बिजली पहुंचा कर उनके जीवन को खुशहाल बना रहे हैं, और पर्यावरण सुधार में भी अहम् योगदान कर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के तमकुहा गांव में एक निजी कंपनी द्वारा धान की भूसी पर आधारित एक लघु बिजलीघर की स्थापना की गई थी। इस पहल को यदि 'केस स्टडी' के रूप में देखें तो आज इस कंपनी का नेटवर्क 70 लघु बिजलीघरों का है, जिससे लगभग 250 गांवों और बस्तियों के लगभग 30,000 घरों में बिजली पहुंचाई जा रही है और लगभग डेढ़ लाख लोगों के जीवन में बदलाव आया है। प्रत्येक लघु बिजलीघर 25 किलोवॉट क्षमता का है, जिससे 400 घरों में बिजली की एक निश्चित मात्रा पहुंचाई जाती है। प्रत्येक लघु बिजलीघर के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 42,000 लीटर कैरोसीन और 18,000 लीटर डीजल की बचत होती है। इन बिजलीघरों को संचालित करने के लिए कंपनी ने 300 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार दिया है।

यदि 25 किलोवॉट क्षमता के लघु बिजलीघर की लागत और लाभ की विवेचना करें तो यह एक लाभदायक और कल्याणकारी उद्यम के रूप में सामने आता है। इसकी स्थापना लागत लगभग 16 लाख रुपये बैठती है, जिसका 50 प्रतिशत यानी आठ लाख रुपये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होता है। बिजली कनेक्शन के इच्छुक घरों को 100 रुपये स्थापना शुल्क के रूप में जमा करना पड़ता है और 15 वॉट के सीएफएल के लिए 45 रुपये का मासिक शुल्क लिया जाता है, जबकि दुकानों के लिए इस शुल्क की दर 80 रुपये है। पंखा, टेलीविजन आदि के लिए भी इसी आधार पर शुल्क तय किया जाता है। इस दर में स्थान और अन्य आवश्यक संसाधनों की कीमत के अनुसार बदलाव हो सकता है। परंतु औसतन 25 किलोवॉट के लघु बिजलीघर से 35,000 रुपये प्रति महीने का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जिसे इसकी लागत के अनुपात में आकर्षक कहा जा सकता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यावसायिक संभावना एक आकर्षक उद्यम के रूप में सामने आई है।

गोबर–धन से ऊर्जा आत्मनिर्भरता

ग्रामीण भारत में पशुओं के गोबर, मानव मल, कृषि व्यर्थ आदि के रूप में बड़ी मात्रा में जैविक पदार्थ उपलब्ध होता है, जिसे अधिकांशतः ईंधन में रूप में जला दिया जाता है या यह कचरे के रूप में गंदगी का स्रोत बनता है। स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2018 में गोबर–धन (गैलवेनाइजिंग आर्गेनिक बायो–एग्रो रिसोर्सेज–धन) नाम से एक योजना प्रारंभ की गई है,

गुजरात में सौर ऊर्जा से आमदनी

गुजरात उन चंद राज्यों में से एक है, जिन्होंने अपने राज्य में विशेष योजना लागू कर ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है। इस योजना का नाम है 'सूर्य शक्ति किसान योजना' जिसे पिछले वर्ष गुजरात सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। प्रारंभिक दौर में इसके अंतर्गत राज्य के 33 जिलों को शामिल किया गया है, जिससे चुने गए 12,400 किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में 137 फीडर लगाए जाएंगे और पायलट प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 870 करोड़ रुपये आंकी गई है। योजना के अंतर्गत किसानों की बंजर भूमि या उपयुक्त खेतिहर भूमि पर सोलर पैनल्स लगाकर सोलर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। किसान इस बिजली का उपयोग कृषि कार्यों तथा सिंचाई के लिए कर सकेंगे और बची हुई बिजली को बिजली वितरण कंपनी को बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी कर सकेंगे। योजना में सोलर बिजलीघर की लागत की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि किसान या भू–स्वामी को कुल लागत का केवल पांच प्रतिशत अपनी जेब से खर्च करना होगा। लागत की 60 प्रतिशत राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी। शेष 35 प्रतिशत राशि किसान को बैंक से कर्ज के रूप में दी जाएगी, परंतु इसके ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कर्ज के भुगतान की समय–सीमा सात वर्ष आंकी गई है। किसान और बिजली वितरण कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार कंपनी द्वारा किसान को सात रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाएगा जिसका आधा कंपनी द्वारा दिया जाएगा और आधे का वहन राज्य सरकार करेगी। किसान के भुगतान के लिए बनी कुल राशि में से कर्ज की किश्त काटकर बाकी रकम सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। इस तरह किसान की जेब से खर्च रकम की भरपाई केवल 8 से 18 महीनों में ही पूरी हो जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार को भी लाभ होगा, क्योंकि तब सरकार को किसानों को सप्लाई की जाने वाली बिजली पर सब्सिडी नहीं देनी होगी। सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करने पर किसान केवल 50 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करते हैं और राज्य सरकार को इसके लिए हर साल 4,500–5,000 करोड़ रूपये सब्सिडी के रूप में खर्च करने पड़ते हैं। अनुमान है कि इस तरह सोलर बिजली की बुनियादी संरचना पर सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च की भरपाई पांच से सात वर्ष में हो जाएगी। हिसाब लगाया गया है कि यदि कोई किसान खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पॉवर की मोटर लगाता है तो उसे 4–5 किलोवॉट क्षमता का सोलर बिजलीघर लगाना होगा और इससे वह प्रति वर्ष 500 यूनिट बिजली बेच भी सकेगा। अनेक लाभों और आजीविका में सुधार के कारण गुजरात सरकार की सूर्य शक्ति किसान योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक सुधार की वाहक बनकर उभर रही है।

जिसके अंतर्गत जैविक व्यर्थ से ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि गांव साफ–सुथरे रहें। उल्लेखनीय है कि जैविक व्यर्थ से गैस के रूप में ईंधन उत्पादन की प्रभावशाली तकनीकें उपलब्ध हैं, जो गांव के स्तर पर व्यावहारिक व व्यावसायिक रूप से सफल भी रही हैं। इस ईंधन गैस की ग्रामीण घरों में आपूर्ति की जाती है, जिसका इस्तेमाल खाना पकाने और बिजली के रूप में रोशनी के लिए किया जाता है। 'गोबर–धन' भारत सरकार के स्तर पर पहली योजना है, जो विभिन्न संबंधितों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण भारत में एक नई ज्योति जलाना चाहती है। गांवों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता स्थापित करना इस योजना का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। सरकार का मानना है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता से गांव आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होंगे और लोगों के जीवन–स्तर में भी सुधार आएगा। घरों में स्वच्छ बिजली उपलब्ध होने से महिलाओं को जलाऊ लकड़ी एकत्र करने की मशक्कत से मुक्ति मिलेगी जो उनके सामाजिक सशक्तिकरण की ओर एक प्रमुख कदम है। इससे स्थानीय–स्तर पर रोजगार बढ़ने की प्रबल संभावना है। स्थानीय युवा इसे उद्यम के रूप में अपना सकते हैं, जबकि अर्ध–कुशल कामगार इससे जुड़े कई कार्यों में संलग्न हो सकते हैं, जैसे व्यर्थ को इकट्ठा करना, इसका बायोगैस संयत्र तक परिवहन, बायोगैस संयंत्र का प्रबंधन, संचालन और देख–रेख, बायोगैस तथा बायो–स्लरी की बिक्री और वितरण आदि। व्यर्थ पदार्थों से बायोगैस उत्पादन के बाद बचने वाली स्लरी एक उत्कृष्ट जैविक खाद है, जिसकी किसानों के बीच अच्छी मांग है। इसकी उपलब्धता बढ़ने से महंगे और हानिकारक रासायनिक उर्वरकों की खपत में कटौती होगी। व्यर्थ पदार्थों के सदुपयोग से प्रदूषण कम होगा और ग्रामीण क्षेत्र स्वच्छता की ओर अग्रसर होंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जा रहे शौचालयों को बायोगैस संयंत्र से जोड़ने का प्रावधान भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि गोबर–धन योजना लागू होने से मलेरिया, डेंगू जैसे मच्छर से होने वाले रोगों और डायरिया आदि गंदगी से होने वाले रोगों के प्रकोप में कमी आएगी। साथ ही, बायोगैस से खाना पकाने से महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति मिलेगी।

गोबर–धन योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में कुल 700 परियोजनाएं लागू करने का प्रावधान किया गया है। राज्यों से प्रत्येक जिले में कम से कम एक परियोजना शुरू करना अपेक्षित है, जिसके अंतर्गत व्यावहारिकता के अनुसार अधिकतम गांवों को शामिल किया जाए। इस योजना को स्वच्छ भारत अभियान–ग्रामीण के 'ठोस एवं द्रव व्यर्थ प्रबंधन' घटक के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह कार्य मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के तत्वाधान में किया जाएगा, इसलिए ग्राम पंचायतों को

एक निश्चित दर से आर्थिक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। कुल 150 या इससे कम घरों वाली ग्राम पंचायत को अधिकतम सात लाख रुपये दिए जाएंगे, 300 घरों तक 12 लाख, 500 घरों तक 15 लाख और इससे अधिक घर होने पर अधिकतम 20 लाख रुपये देने का प्रावधान है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का योगदान क्रमशः 60 तथा 40 प्रतिशत है। बायोगैस संयंत्र की स्थापना और परिचालन के लिए मुख्य रूप से तीन मॉडल प्रस्तावित हैं। पहले मॉडल में इसके संचालन का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा, जो किसी उपयुक्त तकनीकी एजेंसी के सहयोग से यह कार्य करेगी। ग्राम पंचायत को इसके लिए वित्तीय अनुदान और प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। दूसरे मॉडल के अंतर्गत यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वयंसहायता समूहों के संघ द्वारा किया जाएगा। यदि संघ में तकनीकी कौशल नहीं हैं तो तकनीकी एजेंसी की सहायता लेना अनिवार्य होगा। इस मॉडल में भी संघ को एक निश्चित दर पर वित्तीय अनुदान और सहायता राशि देय होगी। तीसरे मॉडल के अंतर्गत यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास हेतु उद्यमी द्वारा अपनाया जा सकता है। यदि उद्यमी में स्वयं इससे संबंधित अनुभव नहीं है तो तकनीकी एजेंसी की सहायता लेना अनिवार्य होगा। उद्यमी को भी वित्तीय सहायता तथा प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। गोबर–धन योजना की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में यह उद्यम एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। भारत सरकार की योजनाओं और नीतियों के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन सामाजिक–आर्थिक सुधार के एक नए अवसर के रूप में सामने आया है। इसकी अपार संभावनाएं ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के एक नए शिखर तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान संपादक (हिंदी) रह चुके हैं।)

ई–मेल : jgdsaxena@gmail.com

वैश्विक पटल पर छाने को तैयार भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

–भुवन भास्कर

फूड प्रोसेसिंग उद्योग हालांकि देश में एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी इसमें आगे बढ़ने की अथाह संभावनाएं हैं। खास बात यह है कि इन संभावनाओं का दोहन केवल देश के औद्योगिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि आय के समान वितरण और सामाजिक समरसता के लिए भी आवश्यक है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला देश का 'किसान' है।

लगातार बदलती जीवनशैली में एक चीज जो सबसे ज्यादा बदली है और लगातार बदल रही है, वह है खाने–पीने का तरीका। यह तरीका देश में भी बदला है और विदेशों में भी। मेट्रो जीवनशैली के प्रसार और परिवार में पति–पत्नी दोनों के नौकरी में होने के बढ़ते चलन के बीच रेडी–टू–ईट और रेडी–टू–कुक खाद्य पदार्थों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। आज भारतीय फूड प्रोसेसिंग सेक्टर दुनिया में छठे नंबर पर है। देश के उद्योगों में देखा जाए तो इसका स्थान पांचवें नंबर पर है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसकी हिस्सेदारी 6.3 प्रतिशत है। कुल औद्योगिक उत्पादन में इसका हिस्सा 19 प्रतिशत और निर्यात में 13 प्रतिशत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा जनवरी 2011 में जारी विज़न 2030 के मुताबिक आने वाले एक दशक में प्रोसेस्ड फूड की मांग में जबर्दस्त वृद्धि होने की संभावना है। विज़न में कहा गया है कि वर्ष 2000 की तुलना में 2030 तक दालों के प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग 114.9 प्रतिशत, अनाजों की 209 प्रतिशत, गेहूं की 48.44 प्रतिशत, चावल की 92.59 प्रतिशत, मांस की 233.33 प्रतिशत, मछली की 166.67 प्रतिशत, अंडों की 235.29 प्रतिशत, फलों की 155.81 प्रतिशत, सब्जियों की 93.55 प्रतिशत और दूध के प्रोसेस्ड फूड की मांग 139.47 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। ग्रांट थॉर्नटन और एसोचैम की एक संयुक्त रिपोर्ट में 2020 के अंत तक भारतीय प्रोसेस्ड फूड बाजार के 482 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि महज 5 साल पहले 2015 में यह लगभग 258 अरब डॉलर का था। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2021–22 तक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में करीब 33 अरब डॉलर का निवेश लाने के अवसर पैदा हो सकेंगे और इससे 90 लाख कार्यदिवसों का सृजन होगा।

इन तमाम आंकड़ों को यहां प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य यह दर्शाना है कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग हालांकि देश में एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी इसमें आगे बढ़ने की अथाह संभावनाएं हैं। खास बात यह है कि इन संभावनाओं का दोहन केवल देश के औद्योगिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि आय के समान वितरण और सामाजिक समरसता के लिए भी आवश्यक है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला देश का किसान है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय किसान सालाना तौर पर फूड प्रोसेसिंग के लिए 45 करोड़ टन कच्चा माल तैयार करता है। जाहिर है कि किसानों को इसका

अधिकांश हिस्सा बिना प्रोसेसिंग के खुले बाजार में ही बेचना पड़ता है, जिसका सीधा असर उसे मिलने वाली कीमत पर पड़ता है। सवाल यही है कि यदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए देश में सभी तत्व मौजूद हैं, तो फिर इसके सामने उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने से इसे कौन रोक रहा है? इसे दो तरह से समझना होगा। पहला, भारतीय खाद्य बाजार में उपभोक्ता अभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए उस स्तर तक तैयार नहीं हैं कि यहां पैदा होने वाला कच्चा माल यहीं के उद्योग में खप जाए। और दूसरा, भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अपनी प्रगति के लिए बहुत हद तक निर्यात पर निर्भर है। इसलिए इस उद्योग के विकास के लिए एक ओर तो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में तेज वृद्धि की रणनीति आवश्यक है और दूसरा, देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करने की जरूरत है ताकि बड़े पैमाने पर इस सेक्टर में निवेश आकर्षित हो। इस प्रक्रिया का तीसरा पहलू यह है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आने वाला निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित हो। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि किसानों के कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा और दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का बड़ा साधन भी खड़ा होगा।

औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के मुताबिक अप्रैल 2000 से मार्च 2017 के बीच देश में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 7.54 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 के आम बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ऑटोमैटिक रूट से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी। इसके बाद 2016–17 में पिछले साल की तुलना में करीब 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 72 करोड़ डॉलर से कुछ अधिक रहा। वर्ष 2017–18 में यह 24 प्रतिशत बढ़कर 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन अब भी यह उद्योग जगत की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चंद के अनुसार निजी क्षेत्र की दरअसल दो मांगें हैं जो उन्होंने सरकार के सामने रखी हैं। एक तो निजी उद्योग चाहता है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार कर कम से कम फलों और सब्जियों को तुरंत इस दायरे से बाहर किया जाए, ताकि किसानों से उसकी सीधी खरीद की जा सके और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए ताकि उद्योग की जरूरत के मुताबिक सही गुणवत्ता के कृषि उत्पाद हासिल हो सकें।

सरकार इन मांगों पर विचार कर रही है और कुछ राज्यों ने तो पहले ही फलों, सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करने के लिए आवश्यक सुधार पारित भी कर दिए हैं। उद्योग संगठन सीआईआई का अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में यह सेक्टर 33 अरब डॉलर निवेश खींच पाने में सफल रहेगा। अमेजॉन, पारले एग्रो, कारगिल, उबर टेक्नोलॉजीज इंक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अभी से लेकर अगले 5 वर्षों में अरबों डॉलर के निवेश की योजना लेकर तैयार हैं। यानी यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में कम से कम निवेश के मोर्चे पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक आशाजनक तस्वीर उभर रही है। हालांकि इस उम्मीद को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए कई मोर्चों पर 'फोकस्ड अप्रोच' अपनाए जाने की जरूरत है। इन मोर्चों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता हैः उचित कच्चे माल की उपलब्धता (बैकवर्ड इंटीग्रेशन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना (एमएसएमई अप्रोच) और बाजार तक पहुंच की तैयारी (फॉरवर्ड इंटीग्रेशन)।

> सरकार ने 2016 के आम बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ऑटोमैटिक रूट से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी। इसके बाद 2016–17 में पिछले साल की तुलना में करीब 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 72 करोड़ डॉलर से कुछ अधिक रहा। वर्ष 2017–18 में यह 24 प्रतिशत बढ़कर 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया।

यह समझना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ सॉस, चटनी, जैम, मुरब्बे, प्यूरी, अचार, डब्बाबंद भोजन, रेडी–टू–ईट, रेडी–टू–कुक इत्यादि उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियां लगने से खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर का समुचित विकास नहीं हो सकता। बड़ी सफलता तभी हासिल की जा सकती है जब इस सेक्टर के विकास में किसानों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए सबसे पहले किसानों में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है ताकि वे फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए कच्चे माल की सप्लाई करने की सोच और तैयारी के साथ खेती करें। इसके लिए किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) एक बेहतर रास्ता हो सकता है। एसएफसी और नाबार्ड जैसी संस्थाएं, जो एफपीओ के गठन में केंद्र सरकार की ओर से नोडल एजेंसी की भूमिका निभा रही हैं, फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए कच्चा माल पैदा करने के लिहाज से किसानों का संगठन कर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और सहायता दे सकती हैं। इसमें हार्वेस्टिंग के बाद सफाई, ग्रेडिंग, असेईंग जैसे फसल की गुणवत्ता में सुधार के तरीके शामिल होंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप एपीएमसी एक्ट में सुधार का होना चाहिए, जिससे किसान या एफपीओ सीधे फैक्ट्रियों को अपना माल बेच सकें। यह किसानों को बेहतर भाव दिलाने और उन्हें बिचौलियों के चुंगल से बचाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। भारत पहले से ही कृषि उत्पादों के दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ निर्यातकों में 15वें स्थान पर है। कृषि से जुड़े निर्यात में पिछले करीब 8 वर्षों में 16.45 प्रतिशत सीएजीआ की दर से बढ़ोतरी हुई है और यह 2009–10 के 11.3 अरब डॉलर की तुलना में 2017–18 में बढ़कर 38.21 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग के विकास में भारतीय किसान अगुवा की भूमिका नहीं निभा सकते।

विकेंद्रीकरण को बढ़ावा जरूरी

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने वाली नीतियां तैयार करना है। इस संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि इस उद्योग

से किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ तभी हो सकेगा यदि बाजार में अधिकतम प्रतिस्पर्धा होगी। ऐसे में सरकार को इस तरह की नीतियां तैयार करनी चाहिए, जिससे अति लघु, छोटे और मझोले उद्योग (एमएसएमई) इस क्षेत्र में आने को प्रोत्साहित हों। फिलहाल देश में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लगभग 80 प्रतिशत पर केवल मुट्ठीभर पूंजीपतियों का कब्जा है। इसे विकेंद्रित करने की जरूरत है। इसके लिए एक तरीका विशेष निर्यात क्षेत्र (एसईजेड) तैयार करना हो सकता है, जहां एमएसएमई को टैक्स ब्रेक मिले। एसईजेड को बड़े शहरों से दूर ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाए, जहां से उद्योगों को अपने लिए कच्चा माल हासिल करने में सुविधा हो और किसानों को मंडी के बजाए सीधे वहीं अपना माल डिलीवर करने की सहूलियत हो जाए। उदाहरण के लिए लहसुन, प्याज, दालें, गेहूं, संतरा, चना और आलू के लिए मध्य प्रदेश के केंद्र में एक ऐसी जगह एसईजेड तैयार किया जा सकता है, जहां राज्य के हर कोने से माल लाने की सहूलियत हो। इसी तरह, असम में अदरक, राजस्थान में धनिया और जीरा, महाराष्ट्र में अंगूर, आम, फूल, प्याज, केला, संतरा और अनार से तैयार होने वाले प्रोसेस्ड फूड के केंद्र बनाए जा सकते हैं। किसानों को माल परिवहन में समय और खर्च की बचत हो, इसके लिए हर जिले में एक संग्रहण केंद्र खोला जा सकता है, जिसकी रखरखाव और परिचालन की जिम्मेदारी किसी अच्छे एफपीओ के जिम्मे की जा सकती है। इससे एफपीओ के लिए आय का एक माध्यम भी खुलेगा और किसानों के लिए आपसी लेने–देन और व्यवहार में सुविधा भी रहेगी। जिलों से एसईजेड तक माल पहुंचाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से एक एक्सक्लूसिव लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार होना चाहिए जिससे कम से कम खर्च में माल बेहतरीन गुणवत्ता और तय समय–सीमा के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच जाए।

बुनियादी ढांचे का विस्तार

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की जरुरत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देश में फूड टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आने वाले वर्षों में भारी निवेश करने वाला है। प्राधिकरण की योजना मौजूदा 59 फूड टेस्टिंग अनुसंधान केंद्रों को रि–डिजाइन करने के अलावा 62 नए केंद्रों की स्थापना करने की भी है जिसमें 7.23 करोड़ डॉलर निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही देशभर में सड़क, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि जैसी दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को भी बेहतर करने की जरूरत है। सड़क निर्माण के क्षेत्र में मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014–15 के दौरान प्रतिदिन 12 किलोमीटर की रफ्तार से बन रही सड़कें अब 30 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच चुकी हैं। सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी हालांकि इसे 40 किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य घोषित कर चुके हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। भारत में ट्रक से हर दिन तय की जाने वाली औसत दूरी जो कुछ समय पहले तक भारत में 300–350 किलोमीटर थी। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य कर और चुंगी हटने के कारण इसमें 100–150 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है और यह दूरी 400–500 किलोमीटर तक पहुंच गई है, लेकिन

अब भी वैश्विक–स्तर पर ट्रकों द्वारा प्रतिदिन औसतन 600–800 किलोमीटर प्रतिदिन के आंकड़े से तुलना करने पर स्थिति की गंभीरता का अंदाजा होता है। भारतीय सड़कें अमूमन 16 टन वजन सहने लायक बनाई जाती हैं, जबकि अमेरिका में यह 36 टन है। जाहिर है कि इस दिशा में अभी काफी कुछ और किए जाने की आवश्यकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा कोल्ड स्टोरेज का है। भारत फलों और सब्जियों में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यहां कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण सिर्फ 2 प्रतिशत उत्पादन का इस्तेमाल ही प्रोसेसिंग के लिए हो पाता है, जबकि मलेशिया, फिलिपींस, अमेरिका, थाईलैंड और चीन जैसे देशों में यह औसत क्रमशः 83, 78, 65, 30 और 23 प्रतिशत है।

कोल्ड स्टोरेज एक महंगा कारोबार है, जिसमें न केवल शुरुआती खर्च बहुत ज्यादा है, बल्कि कामकाजी खर्च (ऑपरेटिंग कॉस्ट) भी काफी है। एक 10000 टन क्षमता का मल्टी–कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज बनाने में 20 करोड़ रुपये तक निवेश की आवश्यकता होती है और इससे आमदनी शुरू होने में 6–7 साल लगते हैं। जाहिर है, बिना अनुकूल सरकारी नीति और मदद के इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना मुश्किल होगा। सरकार ने इस बारे में प्रयास किए भी हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इसके लिए 10 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50 प्रतिशत सब्सिडी भी देता है। लेकिन कामकाजी खर्च पर काबू करने के लिए सौर–ऊर्जा जैसे स्रोतों को बढ़ावा देने की जरूरत है।

क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच कोल्ड स्टोरेज सेक्टर की वृद्धि दर 13–15 प्रतिशत रहने की उम्मीद है और इस दौरान इसमें करीब 21,000 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है। हालांकि इसमें एक अन्य समस्या डायवर्सिफिकेशन की भी है। देश में फिलहाल कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता 3.7–3.9 करोड़ टन है, जिनमें से 68 प्रतिशत का इस्तेमाल केवल आलू के लिए किया जाता है। केवल 30 प्रतिशत क्षमता ही एक से ज्यादा कमोडिटी के रखरखाव में काम आने लायक है। निवेश को बढ़ावा देते वक्त इस असंतुलन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनाज, दालें या अन्य तरह की कृषि उपज के भंडारण में वेयरहाउस सेक्टर की भूमिका भी कोल्ड स्टोरेज जितनी ही महत्वपूर्ण है। पिछले पांच साल में इस क्षेत्र में असाधारण गति से काम हुआ है। रियल एस्टेट सर्विस फर्म जोंस लैंग लसाल (जेएलएल) ने देश में वेयरहाउस सेक्टर के विकास पर जो अध्ययन हाल ही में प्रकाशित किया है, उसके मुताबिक 2022 तक भारत में 34.4 करोड़ वर्गफुट वेयरहाउसिंग स्पेस होगा, जोकि 16.9 करोड़ वर्ग फुट मौजूदा जगह का लगभग दोगुना और साल 2015 में मौजूद देश में वेयरहाउसिंग स्पेस का तिगुना है। केंद्र सरकार के इस सेक्टर पर खास ध्यान देने और अनुकूल नीतिगत हस्तक्षेप की वजह से निजी क्षेत्र की इसमें रुचि काफी बढ़ी है और वारबर्ग पिंकस, ब्लैकस्टोर और केकेआर जैसे भारी–भरकम वैश्विक खिलाड़ियों ने पहले ही इस सेक्टर में करीब 10 अरब डॉलर निवेश की घोषणा कर दी है। वहीं एवरस्टोर जैसे कुछ छोटे फंड भी हैं, जिन्होंने स्थानीय कंपनियों के साथ गठजोड़ कर निवेश की रणनीति अपनाई है। बड़े कॉरपोरेट का इस सेक्टर में आना एक अच्छी बात है क्योंकि इससे वेयरहाउस की गुणवत्ता और नियामक डब्ल्यूडीआरए के मानकों का पालन सुनिश्चित कराने में सरकार को सुविधा होगी। बेहतर गुणवत्तायुक्त वेयरहाउसिंग सेक्टर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। साथ ही, इनके होने से किसानों को कमोडिटी फाइनेंस की सुविधा का लाभ भी मिल सकेगा। इसके तहत बैंक और गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफसी) वेयरहाउस में रखी किसानों की फसल पर बाजार भाव के 65–75 प्रतिशत तक कर्ज उपलब्ध कराते हैं। इस सुविधा के विस्तार के साथ ही किसानों को औने–पौने भाव पर डिस्ट्रेस सेल (मजबूर न बिक्री) से मुक्ति मिलेगी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अपेक्षाकृत स्थिर भाव पर बेहतरीन गुणवत्ता वाली कमोडिटी की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी।

केंद्र सरकार ने फूड प्रोसेसिंग को कृषि मूल्य श्रृंखला के एक अत्यावश्यक आयाम के रूप में स्वीकार किया है और उसे तमाम नीतिगत समर्थन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मेगा फूड पार्क, समेकित कोल्ड स्टोरेज और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज योजना, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएफपी) ऐसी योजनाएं हैं जो पिछले कुछ वर्षों में शुरू की गई हैं और जिनके नतीजे अगले 4–5 वर्षों में पूरी तरह स्पष्ट होने लगेंगे। इनमें एनएमएफपी की अवधारणा खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग में सभी राज्यों को साथ लेकर चलने की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2012 को शुरू हुई इस योजना में राज्यों और जिलों के स्तर पर भी इसी तरह का मॉडल विकसित करने का लक्ष्य है और इसके जरिए पूंजी, तकनीक, कौशल निर्माण और मदद को अंतिम पायदान तक ले जाया जा रहा है। इन योजनाओं और सेक्टर के महत्व पर तैयार दूरगामी राष्ट्रीय दृष्टिकोण को देखते हुए यह उम्मीद किए जाने का पक्का आधार है कि आने वाले एक दशक में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वैश्विक–स्तर पर अपनी एक अलग पहचान कायम करेगा और किसानों की आमदनी को ऊंचे–स्तर पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

(लेखक कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हैं और लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : bhaskarbhuwan@gmail.com

हथकरघा एवं हस्तशिल्पः गैर-कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण रोजगार-प्रदाता

–हेना नकवी

गैर–कृषि क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों के रूप में आंचलिक हथकरघा तथा हस्तशिल्प जैसे उप–क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार की इस प्रतिबद्धता से एक ओर जहां सदियों पुराने कौशलों का संरक्षण होगा, वहीं दूसरी ओर, अपने ही गांवों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध होने से बुनकरों एवं हस्तशिल्पकारों का पलायन भी रुकेगा। इस प्रकार, ग्रामीण समाज में संतुलन बना रहेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर–कृषि क्षेत्र अपने–आप में एक वृहद् क्षेत्र है। इसके तहत वह गतिविधियां आती हैं जो कृषि पर आधारित नहीं होतीं और आमतौर पर गैर–कृषि ऋतुओं में संपन्न की जाती हैं। इस प्रकार के कौशलों अथवा रोजगारपरक गतिविधियों में हथकरघा एवं हस्तशिल्प के नाम लिए जा सकते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने वाली यह सांस्कृतिक विरासत आर्थिक सांचे में ढलती गई और आज यही विरासत गैर–कृषि ऋतुओं में ग्रामीण जनों के लिए आय का एक वैकल्पिक साधन बन चुकी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हथकरघा देशभक्ति और भारतीयता के प्रतीक के रूप में उभरा। वर्तमान समय में देश के विभिन्न क्षेत्रों के हथकरघा उत्पादों की विशालकाय श्रृंखला अपने–अपने उत्पादन क्षेत्र के लिए गौरव के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। मणिपुर का फाणेक, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू शाल, नगालैंड की नागा शाल, आंध्र प्रदेश की कलमकारी, कर्नाटक का मैसूर सिल्क, बिहार का भागलपुरी सिल्क, मध्य प्रदेश का चंदेरी सिल्क, मेघालय का एरी सिल्क, केरल का कसावू आदि कुछेक ऐसे विख्यात हथकरघा उत्पाद हैं जो अपने–अपने क्षेत्र और उत्पादक–समुदायों की पहचान हैं।

ऐसा ही गौरव देश के हस्तशिल्प उत्पादों को भी हासिल है। हस्तशिल्प उत्पादों की संख्या हमारे देश में असख्य है। यही नहीं, इस परंपरागत हुनर का अस्तित्व देश के लगभग हर प्रदेश, हर अंचल में मौजूद है। असम के बांस एवं बेंत के उत्पाद, उत्तर प्रदेश की ज़री, चिकनकारी एवं गुलाबी मीनाकारी, राजस्थान की शीशा–जड़ी कशीदाकारी, पंजाब की फुलकारी, गुजरात की बंधेज, केरल की नारियल–खोपड़ा आधारित कला, तमिलनाडु की तंजौर पेंटिंग, बिहार की मधुबनी पेंटिंग और सुजनी कला आदि उस समृद्ध विरासत के कुछेक गिने–चुने नाम हैं। जैसाकि नाम से ही पता चलता है, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, दोनों ही हस्त–आधारित कौशल हैं। समय के साथ एवं बाजार की मांगों के अनुसार इन दोनों पारंपरिक क्षेत्रों में हल्की प्रौद्योगिकी का प्रवेश हुआ। वर्तमान समय में यह दोनों क्षेत्र (कालीन उत्पादन क्षेत्र समेत) असंगठित कुटीर उद्योग का अंग हैं।

भारतीय कृषि व्यवस्था के वर्षा–आधारित स्वरूप के कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भारतीय किसानों और खेतिहर मजदूरों को खेती के माध्यम से कृषि ऋतु में मौसमी रोज़गार ही मिल पाता है। गैर–कृषि ऋतुओं में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद बुनकरों

प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल, वाराणसी का मुआयना करते हुए

एवं हस्तशिल्पकारों के लिए जीविका का साधन बनते हैं। रोजगार के अवसरों का सृजन कर यह दोनों हुनर ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा जैसी आर्थिक समस्या को भी उभरने से रोकते हैं। रोजगार प्रदान कर यह कौशल ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाले पलायन को रोकते हैं। इन कौशलों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यह भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक मुद्दों का समाधान देकर यह कौशल बुनकरों एवं हस्तशिल्पकारों के लिए समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान का ज़रिया भी बनते हैं। इस तरह से, ग्रामीण समाज में संतुलन एवं सामंजस्य का सिलसिला बना रहता है।

इन उत्पादों का उत्पादन बुनकरों एवं हस्तशिल्पकारों के लिए आय का प्रत्यक्ष माध्यम तो है ही, इनके उत्पादन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों जैसे कच्चे माल का निर्माण, उनकी आपूर्ति तथा तैयार माल का विपणन आदि से भी कामगारों के एक बड़े वर्ग को रोजगार मिलता है। इस तथ्य की पुष्टि कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के वर्ष 2017–18 के वार्षिक प्रतिवेदन से होती है। प्रतिवेदन के अनुसार, हथकरघा क्षेत्र 43 लाख से अधिक बुनकरों एवं संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। प्रतिवेदन के अनुसार इस संख्या में से लगभग 77 प्रतिशत महिलाएं एवं संबंधित कारीगर हैं। प्रतिवेदन में दिए गए एक अन्य आंकड़े के अनुसार, हस्तशिल्प क्षेत्र से 68.86 लाख हस्तशिल्पकार जुड़े हैं जिसमें से लगभग 38.61 लाख महिलाएं हैं। महिलाओं के समावेशन पर आधारित इन आंकड़ों से देश की महिलाओं के सशक्तीकरण में इन क्षेत्रों की भूमिका भी सामने आती है। यह दोनों कौशल देश के निर्यात क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर विदेशी मुद्रा अर्जन का साधन भी बनते हैं। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2016–17 में हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात (रत्न एवं आभूषण को छोड़कर) से देश को 34394.30 करोड़ रुपये तथा हथकरघा उत्पादों के निर्यात से 2392.23 करोड़ रुपये की आमदनी हुई।

अपने इस दमखम के बावजूद यह दोनों ही क्षेत्र वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उपभोक्ताओं की तेज़ी से बदलती पसंद–नापसंद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चुनौतियां, सस्ते विकल्पों की सुलभ उपलब्धता तथा बुनकरों–हस्तशिल्पकारों की युवा पीढ़ी में अपने परंपरागत शिल्प के प्रति उदासीनता ऐसे ही कुछ तथ्य हैं जो इन उद्यमों के लिए चिंता का कारण हैं। इन तथ्यों एवं चुनौतियों के दृष्टिगत सरकार द्वारा इन दोनों क्षेत्रों के विकास हेतु किए गए कुछ हालिया प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। उनमें से कुछ प्रयासों की यहां चर्चा की गई है।

हथकरघा–आधारित उत्पादन– शुरुआत करते हैं हथकरघा क्षेत्र से। इस क्षेत्र में 'नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम' एक छत्र योजना है जिसके दो मुख्य घटक हैं–हथकरघा क्षेत्र का समग्र विकास तथा बुनकरों का कल्याण। 'बुनकर मुद्रा योजना' एक रियायती ऋण योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में उक्त

छत्र योजना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में की गई। योजना के तहत तीन वर्ष की अवधि हेतु 6 प्रतिशत की रियायती दर पर बुनकरों को ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत प्रत्येक बुनकर को 10,000 रुपये तक की मार्जिन राशि तथा ऋण गारंटी प्रदान की जाती है। अभी तक इस योजना का लाभ पचास हज़ार से अधिक बुनकरों को मिला है। ब्लॉक–स्तरीय क्लस्टर परियोजनाओं का उद्देश्य ब्लॉक–आधारित क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर अपने–आप में एक पैकेज है जिसके तहत हथकरघा उत्पादन में तकनीकी एवं पेशेवर सहयोग जैसे तत्वों के नाम लिए जा सकते हैं। वर्ष 2017–18 (31 दिसंबर तक) में इस योजना के तहत कुल 43 ब्लॉक–स्तरीय क्लस्टरों को अनुमोदन दिया गया। 12 राज्यों में फैले इन क्लस्टरों द्वारा पैंतीस हज़ार से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचने की आशा है।

स्टॉल के माध्यम से हथकरघा उत्पादों के विपणन क्रेता तथा विक्रेता को एक मंच पर लाने जैसी गतिविधियां आयोजित कर उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रौद्योगिकी की सहायता से हथकरघा क्षेत्र के बाज़ार का विस्तारीकरण भी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए देश की 21 अग्रणी ई–कॉमर्स कंपनियों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। बुनकरों की पेशेवर जिज्ञासाओं के समाधान के लिए वर्ष 2017 में 'बुनकर मित्र' नामक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों में एक अनूठा प्रयास है–वाराणसी में दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल की स्थापना। सितम्बर, 2017 में राष्ट्र को समर्पित यह संकुल एक कला सह–व्यापार केंद्र होने के अतिरिक्त कला संग्रहालय भी है। प्रचार–प्रसार का माध्यम होने के साथ–साथ इस केंद्र का उद्देश्य बुनकरों एवं हस्तशिल्पकारों को स्तरीय विपणन सुविधाएं भी प्रदान करना है।

भारतीय हथकरघा उत्पादों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में एक प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 'द इंडिया हैंडलूम ब्रांड' (आईएचबी) ऐसी ही एक पहल है जिसके द्वारा प्रमुख हथकरघा उत्पादों के लिए बाज़ार स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आईएचबी की शुरुआत दिनांक 07 अगस्त, 2015 को प्रथम 'हथकरघा दिवस' के अवसर पर की गई। इसके तहत व्यापक स्तरीय जन–जागरूकता, ब्रांड स्थापना संबंधित गतिविधियां, ई–विपणन तथा प्रतिष्ठित रीटेल स्टोर्स के साथ साझेदारी आदि शामिल हैं। उपभोक्ताओं को हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता का भरोसा दिलाने के लिए 'हैंडलूम मार्क' की शुरुआत की गई है।

सरकार द्वारा बुनकरों एवं उनकी नई पीढ़ी को उनके पुश्तैनी रोजगार के प्रति आकर्षित करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय मेधा प्रमाणपत्र ऐसे ही कुछ प्रेरक उपाय हैं। इस क्षेत्र के विकास के दूरगामी उपायों के रूप में हथकरघा क्षेत्र की तकनीकों पर आधारित पेशेवर पठन–पाठन की चर्चा भी यहां आवश्यक है। वाराणसी (उत्तर प्रदेश), सलेम (तमिलनाडु), जोधपुर (राजस्थान), गुवाहाटी (असम), बारगढ़ (ओडीशा) एवं फुलिया–शांतिपुर (प. बंगाल) स्थित केंद्र–क्षेत्र के छह, तथा वेंकटगिरि (आंध्र प्रदेश), गडग (कर्नाटक), चंपा (छत्तीसगढ़) एवं कन्नूर (केरल) स्थित राज्य–क्षेत्र के चार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी (आई.आई.एच.टी) के माध्यम से हथकरघा तकनीकों पर आधारित पेशेवर पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। यह पाठ्यक्रम हथकरघा जगत की विभिन्न तकनीकों जैसे, बुनाई, डिज़ाइनिंग एवं प्रसंस्करण पर आधारित हैं। यह सभी केंद्र हथकरघा जैसे परंपरागत क्षेत्र को एक पेशेवर दिशा देने के लिए समर्पित हैं।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एम.जी.बी.बी.वाई) तथा स्वास्थ्य बीमा योजना (एच.आई.एस), बुनकरों के कल्याण को लक्षित कल्याणकारी उपाय हैं। सरकार द्वारा इग्नू (इंदिरा गांधी नेशनल ओपेन यूनिवर्सिटी) एवं एनआईओएस (नेशनल स्कूल ऑफ ओपेन स्कूलिंग) के माध्यम से हथकरघा बुनकरों की संतानों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

सरकार द्वारा हाल के वर्षों में हथकरघा क्षेत्र की ही तरह हस्तशिल्प क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। 'नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवेलपमेंट प्रोग्राम' (एन.एच.डी.पी) नामक योजना हस्तशिल्प क्षेत्र के समेकित विकास को समर्पित है जबकि 'कॉम्प्रिहेन्सिव हैंडीक्राफ्स डेवलपमेंट स्कीम' (मेगा क्लस्टर स्कीम) बुनियादी संरचनाओं के विकास, प्रौद्योगिकी

ज्यॉग्रफिकल इंडिकेशन (जीआई): विश्वसनीयता की पहचान

ज्यॉग्रफिकल इंडिकेशन (जी.आई) बाज़ार में उत्पादों की विश्वसनीयता स्थापित करने का एक उपाय है। सरकार द्वारा हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के प्रयासों के क्रम में 57 हथकरघा एवं 92 हस्तशिल्प उत्पादों को द ज्यॉग्रफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन) एक्ट, 1999 के तहत पंजीकृत किया गया है। गुजरात की कच्छ कशीदाकारी, बिहार की मधुबनी पेंटिंग एवं सिक्की घास उत्पाद, लखनऊ की चिकनकारी, शांतिनिकेतन के चमड़े के उत्पाद, कोणार्क की पाषाण कला, पुडुचेरी का विल्लानूर टेराकोटा, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बस्तर की लौहकला, तमिलनाडु की तंजौर पेंटिंग आदि कुछ ऐसे हस्तशिल्प हैं जिन्हें ज्यॉग्रफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है। इसी प्रकार, जम्मू–कश्मीर का पश्मीना, मध्य प्रदेश की चंदेरी, बिहार का भागलपुरी सिल्क, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू शाल, असम का मूंगा सिल्क, गुजरात का पाटन–पटोला, बनारस की ब्रोकेड और बनारसी साड़ी, तेलंगाना की नारायणपेट साड़ी आदि उक्त एक्ट के तहत पंजीकृत किए गए कुछेक हथकरघा उत्पाद हैं।

उन्नयन तथा कुछेक असंगठित हस्तशिल्प क्लस्टरों में उत्पादों के विविधिकरण के लिए प्रयासरत है। एनएचडीपी के तहत अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत मुख्य घटकों, सह–योजनाओं जैसे डिज़ाइन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव विकास संसाधन, प्रत्यक्ष लाभ, बुनियादी संरचना, प्रौद्योगिकी सहयोग, अनुसंधान एवं विकास तथा विपणन सहयोग एवं सेवाओं के जरिए हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गांधी शिल्प बाज़ार, क्राफ्ट बाज़ार, सूरजकुंड, भारत–पर्व जैसे धरातलों से हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन किए जाने से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इन उत्पादों की मांग बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर इन उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेलों में हस्तशिल्पकारों की सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुद्रा ऋण इस क्षेत्र को एक आत्मनिर्भर तथा समृद्ध कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करने के उपायों में से एक हैं। इस कदम से अब तक देश के तीन हजार से अधिक हस्तशिल्पकार लाभान्वित हुए हैं। हस्तशिल्पों की विविधता के आधार पर नौ मेगा–क्लस्टरों की स्थापना की गई है। यह मेगा क्लस्टर हैं–श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर–भदोही, लखनऊ, बरेली, जोधपुर, कच्छ एवं नरसापुर। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना, कौशल–आधारित प्रशिक्षण, हस्तशिल्पकारों को प्रत्यक्ष सहयोग, उत्पादों की डिज़ाइनिंग एवं विकास तथा विपणन आदि क्लस्टर की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं।

उत्तराखंड, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, वाराणसी तथा तेलंगाना जैसे क्लस्टरों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दस 'इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स प्रोजेक्ट' का अनुमोदन किया गया है।

हथकरघा क्षेत्र 43 लाख से अधिक बुनकरों एवं संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इस संख्या में से लगभग 77 प्रतिशत महिलाएं हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र से 68.86 लाख हस्तशिल्पकार जुड़े हैं जिसमें से लगभग 38.61 लाख महिलाएं हैं। महिलाओं के समावेशन पर आधारित इन आंकड़ों से देश की महिलाओं के सशक्तीकरण में इन क्षेत्रों की भूमिका भी सामने आती है। यह दोनों कौशल देश के निर्यात क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर विदेशी मुद्रा अर्जन का साधन भी बनते हैं।

हालिया कदम, 'हैंडीक्राफ्ट मार्क' एक ट्रेडमार्क प्रमाणीकरण है जिसके द्वारा उत्पाद की विश्वसनीयता स्थापित करने के साथ–साथ उन्हें एक पहचान दी जाती है। वर्ष 2016 में शुरू की गई 'पहचान', कार्ड योजना का उद्देश्य हस्तशिल्पकारों को सरलतापूर्वक उनके अधिकारों से जोड़ना है। कैलेंडर वर्ष 2017 के अंत तक ग्यारह लाख हस्तशिल्पकारों को पहचान–पत्र प्रदान कर दिए गए हैं। विपणन प्रयासों को मज़बूती प्रदान करने के लिए अनेक क्षेत्रगत गतिविधियां संपन्न की जा रही हैं जिनमें क्रेता–विक्रेता बैठकें, भारतीय हस्तकला एवं उपहार मेले तथा हस्तकला शिविर आदि प्रमुख हैं। आम आदमी बीमा योजना (ए.ए.बी.वाई), कठिन परिस्थितियों में सहयोग तथा ऋण में राहत आदि हस्तशिल्पकारों के लिए कुछेक कल्याणकारी कदम हैं। शिल्प गुरु, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय मेधा प्रमाणपत्र आदि इस क्षेत्र में अपनाए जा रहे कुछ प्रेरक कदम हैं। इस क्षेत्र में भी इग्नू तथा एनआईओएस के माध्यम से हस्तशिल्पकारों के बच्चों की औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

सरकार के उपरोक्त प्रयास विविधतापूर्ण एवं समय की मांग पर आधारित तो हैं ही, इनसे सरकार की दूरदृष्टि भी झलकती है। वह दूरदृष्टि है, इन दोनों क्षेत्रों को एक सतत् तथा सक्षम रोज़गारप्रदाता के रूप में परिणत करने की, ऐसे आय–सृजन क्षेत्र के रुप में सुदृढ़ करने की जो देश के ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी तथा बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निराकरण कर सकें। उक्त उपायों से गति पाकर हथकरघा एवं हस्तशिल्प दोनों ही क्षेत्र स्वावलंबन की ओर अग्रसर हैं। ऐसा लगता है, महात्मा गांधी का एक स्वप्न साकार होने की राह पर है।

(लेखिका बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के 'सक्षम' (SAKSHAM) में राज्य कार्यक्रम प्रबंधक–संचार एवं शोध के तौर पर कार्यरत हैं।)

ई–मेल : hena.naqvipti@gmail.com

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद 1 जून, 2019 को कृषि भवन में कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने मंत्रियों का स्वागत किया और उन्हें विभाग की प्रमुख पहलों और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने प्रभागों और संस्थानों के कार्यक्रमों, नीतियों और गतिविधियों के बारे में बताया।

श्री तोमर ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विज़न की याद दिलाते हुए अधिकारियों से अपने काम में जुटने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। श्री तोमर ने कृषि व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए ई–नाम को मजबूत और त्वरित बनाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक में सभी किसानों के लिए आय सहायता योजना पीएम–किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार को मंजूरी दी और किसानों के लिए पेंशन योजना (पीएम–किसान पेंशन योजना) को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने आगामी कृषि मौसम में मानसून और सूखे की स्थिति की कड़ी निगरानी रखने की जरूरत पर भी अधिकारियों को सचेत किया। उन्होंने किसानों तक पहुंच व्यापक बनाने और विस्तार के लिए राज्य सरकारों के साथ तालमेल करते हुए क्षेत्र संस्थानों को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से अपने–अपने क्षेत्र में अखंडता, टीम भावना और केंद्रित दृष्टिकोण के साथ स्थायी योगदान करने का अनुरोध किया ताकि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो और किसानों का कल्याण हो।

दोनों राज्य मंत्रियों– श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी ने भी अपने संबोधन में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री के विज़न पर जोर दिया और इसके लिए अधिकारियों से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का अनुरोध किया।

इस बीच, श्री तोमर ने 13 जून, 2019 को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में भारत सरकार की तीन प्रमुख योजनाओं– प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम–किसान), लघु और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को लागू करने के बारे में विचार–विमर्श किया गया। उन्होंने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सभी पात्र किसान परिवारों और लाभार्थियों की समयबद्ध रूप से नामांकन प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया, जिससे अप्रैल से जुलाई, 2019 की अवधि के लिए पीएम–किसान के तहत लाभ सीधे ही किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा सके। उन्होंने सभी 18–40 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने के बारे सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जानकारी दी और इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने का भी अनुरोध किया। कृषि मंत्री ने सभी राज्यों से अगले 100 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक करोड़ किसानों को शामिल करने के लिए गांव–गांव में अभियान चलाने का अनुरोध किया।

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर 1 जून, 2019 को कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए। साथ में, कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोतम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी भी हैं।

स्वयंसहायता समूहों की कुछ सफल नायिकाएं

दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। मिशन भारत सरकार की ग्रामीण गरीबी दूर करने की प्रमुख योजना है। 2011 में स्थापित इस मिशन का मार्च 2018 तक 29 राज्यों और 5 संघशासित प्रदेशों के 584 जिलों के 4456 ब्लॉकों में प्रसार हो चुका है। और सबसे गरीब और हाशिए के परिवारों की 4.7 करोड़ महिलाओं को 39.9 लाख स्वयंसहायता समूहों से जोड़ा गया है जो 2.20 लाख ग्रामीण संगठनों और 19,000 संकुल–स्तरीय परिसंघों से जुड़े हैं। इन महिला स्वयंसहायता समूहों द्वारा 15,516.27 करोड़ रुपये की धनराशि बचाई जा चुकी है और औपचारिक वित्तीय प्रणालियों के तहत बैंकों से 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का ऋण लाभ उठाया जा चुका है। मिशन ग्रामीण महिलाओं को कृषि एवं गैर–कृषि दोनों क्षेत्रों में आजीविका अपनाने में मदद कर रहा है। मिशन के तहत स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) जैसी उपयोजनाओं के सफल कार्यान्वयन से ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता क्षमता सामने आई है।

इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को संगठित होकर अपने स्वयं का व्यवसाय या उद्यम स्थापित करने हेतु न केवल प्रोत्साहित किया जाता है बल्कि बैंकों से ऋण तथा कौशल प्रशिक्षण का प्रबंध भी किया जाता है। साथ ही, उनके द्वारा तैयार वस्तुओं या सेवाओं को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए भी सहायता दी जाती है। इस आलेख में हम कुछ ऐसी महिला उद्यमियों का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं जिन्होंने इस मिशन की मदद से सफल उद्यमी बन सफलता की नई कहानियां रच दी हैं।

रंपा गिरिजन महिला समाख्या इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

आदिवासी महिलाओं को रोजगार प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए एलईडी लाइट निर्माण उद्यम क्लस्टर स्थापित करने का विचार बी.टेक स्नातक वीरा लक्ष्मी के दिमाग की उपज है। एनआरएलएम ने एलईडी बल्ब का निर्माण करने के लिए रंपाचोडावरम, पूर्वी गोदावरी में रंपा गिरिजन महिला समाख्या इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के गठन और 40 आदिवासी महिलाओं से हाथ मिलाने के लिए इन्हें प्रेरित किया। आज कुल वार्षिक कारोबार 3 करोड़ रुपये के करीब है, जबकि इस उद्यम क्लस्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की कुछ संख्या 50 है।

यह उद्यम क्लस्टर पिछले डेढ़ वर्ष से प्रचालन में है तथा इसकी शुरुआत 32.42 लाख रुपये के स्टार्टअप ऋण से हुई। इसके द्वारा हथियाई गई परियोजनाओं में श्रीसैलम देवस्थानम को 3000 एलईडी ट्यूबलाइट, पूर्वी गोदावरी जिले की सभी पंचायतों को स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति तथा ईस्टर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल) से एक परियोजना शामिल हैं। 50 सदस्यों के साथ इसका आज वार्षिक कारोबार 3 करोड़ रुपये के करीब है।

उद्यम की विशेषताएं– यह उद्यम क्लस्टर इस समय एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट (रेट्रोफिट एवं बैटन), स्ट्रीट लाइट, सीलिंग लाइट और इमरजेंसी लाइट का उत्पादन कर रहा है। इस यूनिट ने 100 और बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करके अपना विस्तार करने की योजना बनाई है। काकीनाडा कलेक्टरी में यूनिटें स्थापित की गई हैं। वीरालक्ष्मी इस उद्यम को अधिक महत्वपूर्ण बाजार तक पहुंचाना चाहती हैं तथा सुनिश्चित करना चाहती है कि वे ऊर्जा के एलईडी स्रोतों के लिए राज्य की मांग को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएं।

डीएवाई–एनआरएलएम सहायता– एनआरएलएम ने इस उद्यम क्लस्टर को विपणन एवं प्रचार में सहायता प्रदान की

है। इसने बाजार तक पहुंच प्राप्त करने में उनकी मदद की है जिससे यह उद्यम क्लस्टर महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्राप्त करने में सफल हुआ है।

संघमित्रा खाद्य उत्पादक कंपनी

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की गृहिणी गुंडम्मा ने जनवरी

2016 में एक खाद्य उत्पादक कंपनी का गठन किया। एक उद्यम क्लस्टर का निर्माण करने के लिए अन्य महिलाओं के साथ हाथ मिलाने के लिए एनआरएलएम ने इन्हें प्रेरित किया। आज इनकी संघमित्रा खाद्य उत्पादक कंपनी पूरे क्षेत्र में मिष्ठानों की आपूर्ति करती है तथा इसका वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपये के आसपास है। 20 लाख रुपये के स्टार्टअप ऋण से गुंडम्मा ने अपना उद्यम स्थापित किया। यह उद्यम एक क्लस्टर में परिवर्तित हो गया तथा इस समय इसमें 5 निदेशक, 5 प्रमोटर तथा कुल 20 कर्मचारी हैं।

उद्यम की विशेषताएं– संघमित्रा खाद्य उत्पादक कंपनी कई तरह के मिष्ठान बनाती है। इसने अपने उत्पादों के लिए प्रमुख बाजारों की शिनाख्त की है जिसमें अनंतपुर की स्थानीय दुकानें तथा स्वीट डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं। यह राज्य में आयोजित विशिष्ट कार्यक्रमों में मिष्ठानों की आपूर्ति करती है। इस उद्यम क्लस्टर ने दिल्ली में वालमार्ट से पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां गुंडम्मा को सर्वश्रेष्ठ निदेशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंडम्मा समाचार–पत्रों पेंफलेट, सरकारी समारोहों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा अपने उत्पादों का प्रचार कर अपनी कंपनी का और विस्तार करना चाहती है।

डीएवाई–एनआरएलएम सहायता– एनआरएलएम बाजार सहलग्नता के माध्यम से इस उद्यम क्लस्टर की मदद कर रहा है। इसने बंगलौर के वाणिज्यिक केंद्र के आसपास बाजारों की शिनाख्त करने तथा विस्तार रणनीति के अंग के रूप में स्वीट डिश की आपूर्ति करने के लिए भारतीय रेल के साथ अनुबंध करने में मदद की है।

प्रभा सीमेंट ब्रिक्स

कई व्यवसायों में असफल होने के बाद प्रभावती आघातों से उबरकर एक सफल ईंट उद्यम संचालिका के रूप में मजबूती से उभरी हैं। एनआरएलएम द्वारा इनके उद्यम को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़े जाने के कारण आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इनकी 14 माह पुरानी ईंट यूनिट ने 72 लाख रुपये का कारोबार किया है।

प्रभावती ने कृषि औजारों जैसेकि पैडी प्रेशर और सनफ्लावर मशीन के छोटे–मोटे व्यवसायों में अपने हाथ आजमाए परंतु बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण अपने उपकरण के बदले में उचित कीमत प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाई। इसके बाद प्रभा ने 2.40 लाख रुपये का सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने के बाद प्रभा सीमेंट ब्रिक्स नामक एक ईंट यूनिट आरंभ की। इन्हें बैंक द्वारा भी 11 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया। आज प्रभा सरकार की भवन निर्माण की विभिन्न गतिविधियों के लिए ईंट की आपूर्ति करती हैं। वह कहती हैं कि ईंट ऐसी यूनिट है जिसकी मांग में कभी कमी नहीं होगी। यह उद्यम के वार्षिक कारोबार में प्रतिबिंबित हुआ जो लगभग 72 लाख रुपये है।

उद्यम की विशेषताएं– इस उद्यम ने 8 लोगों को रोजगार दिया है तथा प्रतिभा का वर्तमान लाभ 11,000 रुपये से 12,500

रुपये प्रति टिपर की रेंज में है। प्रभा अपने उद्यम को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती हैं जिसके द्वारा वह अपने ग्राहकों के विशिष्ट आर्डर को पूरा कर सकें और उनकी मांग के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

डीएवाई–एनआरएलएम सहायता– प्रभा को यह सफलता यूं ही हासिल नहीं हुई। एनआरएलएम ने उन्हें स्वच्छ भारत मिशन तथा आवास कार्यक्रमों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके माध्यम से इनकी ईंटों की मांग कई गुना बढ़ गई है। एनआरएलएम की सहायता से अब प्रभा सीमेंट ब्रिक के अलावा सीमेंट रिंग बनाना शुरू करने और अपने उत्पादों की आपूर्ति करके सरकार के स्वच्छ भारत एवं आवास कार्यक्रमों में योगदान देने की योजना बना रही हैं।

ग्रामीण पर्यटनः कृषितर गतिविधियों का महत्वपूर्ण घटक

–डॉ. सुयश यादव

ग्रामीण समुदायों का जरूरी कायाकल्प करने और सैलानियों को पर्यटन का संपूर्ण अनुभव प्रदान करने में ग्रामीण पर्यटन के संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि ग्रामीण पर्यटन की पूरी क्षमता विकसित कर दी जाए तो यह उन ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर सकता है, जिनका शहरों की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है। इससे कई मृतप्राय पारंपरिक शिल्पों को नया जीवन दिया जा सकता है। सामाजिक रूप से यह ग्रामीण मानस को बाहरी दुनिया के नए विचार ग्रहण करने का मौका दे सकता है।

भारत मुख्य रूप से गांवों का देश है, जहां दो–तिहाई आबादी और 70 प्रतिशत श्रमबल गांवों में ही रहता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि कृषि में स्वरोजगार वाले ग्रामीण परिवारों में 20 प्रतिशत से भी ज्यादा की आय गरीबी–रेखा से कम है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय बताना आसान है, अमल में लाना मुश्किल है क्योंकि उनके लिए लंबे समय तक लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। देश की आय में 46 प्रतिशत हिस्सेदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की है। शहरीकरण बढ़ने के बावजूद आबादी के अनुमान बताते हैं कि 2050 तक भारत मोटे तौर पर ग्रामीण ही बना रहेगा और उसके बाद शहरी जनसंख्या ग्रामीण आबादी से अधिक हो सकती है (संयुक्त राष्ट्र 2012)। इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास ही पूरे देश के समावेशी विकास की कुंजी है।

2017 में प्रकाशित नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि आम धारणा यही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है, लेकिन हकीकत में करीब दो–तिहाई ग्रामीण आय कृषि से इतर गतिविधियों से आ रही है। इसलिए ग्रामीण भारत का रुझान कृषि के बजाय अधिक उत्पादक गैर–कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण उत्पादन में कृषि का हिस्सा केवल 39 प्रतिशत है और बाकी विनिर्माण, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रों से आता है। इस लेख में यह बताने का प्रयास किया गया हैं कि गैर–कृषि क्षेत्र के हिस्से के रूप में ग्रामीण पर्यटन सकल ग्रामीण आय बढ़ाने में क्या भूमिका निभाता है।

ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र का महत्व

अलग–अलग देशों और अलग–अलग भौगोलिक क्षेत्रों में ग्रामीण गैर–कृषि गतिविधियां भी अलग–अलग हो सकती हैं।

विद्वान बताते हैं कि एक ही देश के भीतर भी अलग–अलग क्षेत्रों में गतिविधियों का अनुपात और प्रकार अलग–अलग हो सकते हैं (आर्टेम्यन 2015)। गैर–कृषि क्षेत्र को हाल के वर्षों में इन कारणों से खासी मान्यता मिल रही है।

यह रोजगार बढ़ाने में मदद कर सकता है; यह बड़ी संख्या में ग्रामीणों का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोक सकता है; यह खेती से चलने वाले परिवारों को जोखिम कम करने में मदद करता है। इसके अंतर्गत आने वाली गतिविधियों से कृषि आय के अलावा कमाई होती है। यह गांवों की गरीब आबादी को खेती खराब होने की हालत में लगने वाले झटके से बचने का साधन प्रदान करता है।

ग्रामीण पर्यटन की भूमिका

पर्यटन विभाग के अनुसार, जिस पर्यटन में ग्रामीण स्थलों पर जाकर ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और धरोहर का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे वहां के समुदाय को आर्थिक और सामाजिक फायदा होता है तथा पर्यटन के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के बीच संवाद कराया जाता है, 'उसे ग्रामीण पर्यटन' कहा जा सकता है। पारंपरिक पर्यटन के उलट ग्रामीण पर्यटन में कुछ खासियत होती हैं, जैसे यह अनुभव पर केंद्रित होता है, पर्यटन स्थलों की आबादी कम होती है; वहां का वातावरण मुख्य रूप से प्राकृतिक ही होता है, स्थानीय कार्यक्रम होते हैं और यह संस्कृति, धरोहर तथा परंपराओं के संरक्षण पर आधारित होता है (इक्वेशंस 2008)। 2002 में आई भारत की राष्ट्रीय पर्यटन नीति में ग्रामीण पर्यटन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। 2003 में पर्यटन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने एक संयुक्त प्रयास आरंभ किया, जिसे अंतर्जात पर्यटन परियोजना/ग्रामीण पर्यटन योजना कहा गया। पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत भर में 52 ग्रामीण स्थलों को हरी झंडी दी गई है। उनमें से हरेक की कोई अनूठी विशेषता है। यूएनडीपी इस परियोजना से अलग हो गया, लेकिन पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के जरिए ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय मदद जारी रखी। 'स्वदेश दर्शन' (केंद्र सरकार के विषय या थीम–आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास की योजना) के अंतर्गत तेरह थीम आधारित सर्किट चिह्नित किए गए हैं, जिनमें ग्रामीण सर्किट विकास भी शामिल है।

2015 में जारी राष्ट्रीय पर्यटन नीति के दृष्टिपत्र के मसौदे में भारत को "मस्ट एक्सपीरिएंस" और "मस्ट री–विज़िट" स्थान के रूप में विकसित करने और ख्याति दिलाने का लक्ष्य है। आज पर्यटन का अर्थ 'अनुभव' है। अब पर्यटक केवल किसी जगह जाना और देखकर लौटना नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने बातचीत की है, उनकी जानकारी और अनुभव में बढ़ोतरी हुई है और उन्होंने समाज के बारे में कुछ और जाना है। पर्यटन को कभी–कभी अमीर तबके का शौक मान लिया जाता है। ग्रामीण पर्यटन में उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर और मानव संसाधन के सशक्तीकरण पर जोर देकर पर्यटन को अधिक समावेशी बनाने की क्षमता है।

पर्यटन के लिए ग्रामीण संसाधनों की पहचान

भारत के गांवों में कुछ ऐसा है, जो उन्हें अनूठा बनाता है। ऐसे संसाधनों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण आरंभ किया जा सकता है ताकि आकर्षण प्रदर्शित किए जा सकें और उन्हें पयर्टन उत्पादों में बदला जा सके। हालांकि पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 52 ग्रामीण स्थलों में से हरेक में कुछ अनूठी बात (ग्रामीण संसाधन) है, लेकिन लेखक ने ग्रामीण संसाधनों को तीन श्रेणियों में बांटने का प्रयास किया है।

1. क्षेत्र कि भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी विशेषताओं के कारण मिलने वाले संसाधन जैसे जीव–जंतु एवं पेड़–पौधे, नदियां, भूमि, प्राकृतिक सौंदर्य आदि।
2. ग्रामीण संस्कृति के पहलू जैसे ग्रामीण लोककथाएं, हस्तशिल्प, कपड़े के उत्पाद, सामाजिक बंधन आदि।
3. कृषि उत्पाद एवं तौर–तरीके जैसे बुआई, कटाई आदि।

उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले ग्रामीण पर्यटन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों में से कुछ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैः

1. भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी विशेषता (ईको टूरिज्म/रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म)

कलप गांव (उत्तराखंड) में होम स्टेः खेती के मामले में पिछड़े पहाड़ी इलाकों में गैर–कृषि क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे स्थानों का एक उदाहरण उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसा गांव कलप है, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य अचरज में डाल देता है। कलप 'नए जमाने' के उन पर्यटकों के लिए एकदम उपयुक्त है, जो प्रयोग करने और अनुभव करने की इच्छा रखते हैं, जिम्मेदार पर्यटक बनना चाहते हैं और समुदाय को वापस कुछ देना चाहते हैं (यहां पर्यटन का पूरा काम स्थानीय लोग ही संभालते हैं, स्थानीय जैविक शाकाहारी भोजन परोसा जाता है), मेजबान समुदाय से घुलना–मिलना चाहते हैं (पारंपरिक मकानों को बुनियादी सुविधाओं वाले होमस्टे में बदल दिया जाता है, स्थानीय किस्सागोई भी आकर्षण है)।

पुरुषवाड़ी गांव (महाराष्ट्र) में काजवा महोत्सवः पुरुषवाड़ी महाराष्ट्र के अकोला ज़िले में पश्चिमी घाट में स्थित आदिवासी गांव है। इसे एक ऐसे गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) ने गोद लिया है, जो गांवों में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीणाों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। पुरुषवाड़ी में हर वर्ष उस समय काजवा या जुगनू महोत्सव होता है, जब मॉनसून भारत पहुंचने वाला होता है। पर्यटक पारंपरिक ग्रामीण जीवन का आनंद ले सकते हैं। यहां होमस्टे और कैंपिंग के टेंटों में सभी जरूरी सुविधाएं होती हैं। सैलानी नदी में तैरने की कोशिश भी कर सकते हैं।

2. सांस्कृतिक पहलू (सांस्कृतिक पर्यटन)

रघुराजपुर गांव (ओडिशा) में पत्थर का शिल्प और पट्टचित्र: रघुराजपुर ओडिशा के पुरी जिले में बसा धरोहर शिल्पग्राम है। यहां पीढ़ियों से वे कलाकार रहते आ रहे हैं, जो चित्रकारी की अनूठी शैली 'पट्टचित्र' में माहिर हैं। ताड़पत्र पर चित्र बनाने, नक्काशी करने, मुखौटे बनाने और लकड़ी पर चित्र उकेरने में वे सिद्धहस्त होते हैं। पर्यटकों को सीधे स्थानीय कलाकारों से सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसा करने से पर्यटक जिम्मेदार और समुदाय के प्रति केंद्रित भी हो सकता है क्योंकि वह स्थानीय कला की अनूठी शैली को बढ़ावा देता है, मुश्किलों से जूझ रहे शिल्पकार समुदाय को विश्वास प्रदान करते हैं और यादगार के तौर पर एक खूबसूरत चित्र खरीदते हैं। पर्यटकों को साइकिल पर गांवों की यात्रा का मौका भी दिया जा सकता है।

बिश्नोई गांव (राजस्थान) में आदिवासी संस्कृति की झलक: आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है 'मूल निवासी'। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 2013 में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में आदिवासियों की संख्या 8.6 प्रतिशत है। जनजातीय या आदिवासी पर्यटन में पर्यटक ऐसी संस्कृति की झलक पाने के लिए आदिवासी गांवों की यात्रा करते हैं, जो उनकी संस्कृति से पूरी तरह अलग होती है। इससे जनजातियों के लिए वित्तीय मौके तैयार हो सकते हैं; भारत में मूल निवासियों के प्रति जागरूकता बढ़ सकती है। इसका एक उदाहरण राजस्थान में जोधपुर के निकट बिश्नोई जनजाति के गांव हैं। बिश्नोई जनजाति पशु सुरक्षा और वृक्ष संरक्षण के मामले में तय सिद्धांतों पर चलती है। ध्यान रहे कि आदिवासी पर्यटन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नतीजे अक्सर जनजातियों के लिए फायदेमंद कम और नुकसानदेह ज्यादा होते हैं। इसीलिए समुचित प्रबंधन जरूरी है।

सराय मोहना गांव (वाराणसी, उत्तर प्रदेश) और पोचमपल्ली (तेलंगाना) में वस्त्र ग्राम की सैर: सराय मोहना उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक गांव है। यह रेशम बुनने के लिए मशहूर है क्योंकि अधिकतर स्थानीय लोग इसी शिल्प में लगे रहते हैं। इन बुनकरों की बनाई बनारसी साड़ियां भारत में सबसे अच्छी साड़ियों में गिनी जाती हैं और सोने–चांदी के बेलबूटों या जरी, महीन रेशम तथा कशीदाकारी के लिए मशहूर हैं। एक साड़ी तैयार होने में 15 दिन से एक महीना और कभी–कभी छह महीने तक का समय लग जाता है। वस्त्र ग्राम की यात्रा में ऐसे क्षेत्रों में ले जाया जाता है, जहां करघे लगे होते हैं। साथ ही बुनकरों से बातचीत का मौका भी दिया जाता है। पर्यटकों के लिए खरीदारी का मतलब शोरूम से साड़ी खरीदना भर नहीं होता। वे जानना चाहते हैं कि कपड़ा बुनने में कितने हुनर और प्रयास की जरूरत होती है क्योंकि यह उनके लिए जानकारी बढ़ाने वाला नया अनुभव होता है। तेलंगाना में पोचमपल्ली भी ऐसा ही स्थान है।

3. कृषि उत्पाद एवं पद्धतियां: खेत, कृषि अथवा उद्यान पर्यटन (फार्म, एग्रो या हॉर्टि–टूरिज्म) में सीखने के लिए, मनोरंजन के लिए या काम में हाथ बंटाने के लिए बगीचे (फलों या सब्जियों या सजावटी पौधों के बगीचे) में जाना शामिल होता है।

मलीहाबाद (उत्तर प्रदेश) और रत्नागिरि (महाराष्ट्र) में आम: आम पर्यटकों को बगीचों की ओर खींचने वाले संसाधन का काम कर सकते हैं। आम पर्यटन में बैलगाड़ी में बैठकर आम के बगीचों में घूमना, गाइड के साथ समझते हुए बगीचे में घूमना, पेड़ों में चढ़कर आम तोड़ना और खाना शामिल है। इसमें विशेषज्ञ किसानों से पौधरोपण की प्रक्रिया समझना, आम की विभिन्न किस्मों पर चर्चा करना और आम खाने की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। उत्तर प्रदेश के मलीहाबाद में कलीमउल्ला खान अब्दुल नर्सरी चलाते हैं। खान को बागवानी में उनके योगदान के लिए 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद से वह मलीहाबाद के 'मैंगो मैन' के नाम से मशहूर हो गए हैं। उन्होंने आम का एक ऐसा बाग लगाया है, जहां 300 अलग–अलग किस्मों के आम पैदा किए गए हैं। लखनऊ की आम पट्टी मलीहाबाद दशहरी आम के लिए विख्यात है। महाराष्ट्र के दक्षिण–पश्चिमी हिस्से में रत्नागिरि जिला अल्फांसो आम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उसे भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से जीआई (भौगोलिक पहचान) टैग भी मिला है।

कश्मीर (जम्मू–कश्मीर) के बादाम, केसर, अखरोट, सेब: जम्मू–कश्मीर शायद देश का इकलौता राज्य है, जहां बादाम और केसर की खेती होती है। अखरोट, सेब, खुमानी, आड़ू, चेरी, जैतून, कीवी आदि के मामले में इस राज्य का एकछत्र राज है। कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर के पर्यटन विभाग ने 2017 में घाटी के टूर ऑपरेटरों और हाउसबोट मालिकों के लिए फैमिलियराइजेशन यानी जानकारी देने वाला दौरा आयोजित किया था। इसके तहत यात्रा उद्योग से करीब 30 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को नर्सरियों और खेतों की यात्रा कराई गई थी और फलों–सब्जियों की अधिक उपज देने वाली किस्मों से उनका परिचय कराया गया था। ग्रामीण खेतों में इसी प्रकार की गतिविधियों को जानने की इच्छा बढ़ाने के लिए भी ऐसा आयोजन किया जा सकता है।

नासिक (महाराष्ट्र), नंदी हिल्स (कर्नाटक) में अंगूर के बगीचे: वाइन पर्यटन वह यात्रा होती है, जो अक्सर वाइन बनाने के स्रोत पर या उसके नजदीक वाइन चखने, उपभोग करने या खरीदने के लिए की जाती है। इसमें अंगूर के बगीचों की यात्रा होती है और वाइन महोत्सव तथा कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं। प्रमुख वाइन उत्पादक क्षेत्रों जैसे कर्नाटक के बेंगलूरु जिले में डोड्डाबल्लारपुर के नजदीक नंदी हिल्स और महाराष्ट्र में नासिक के इगतपुरी तालुका में स्थित वाइनरी की यात्रा ग्रामीण पर्यटन का प्रमुख हिस्सा हो सकती है।

केरल में इडुक्की जिले के कुमिली गांव में मसालेः केरल के इतिहास में मसालों का अभिन्न स्थान है। वास्कोडिगामा कोझिकोड आया और भारतीय मसाले लादकर पुर्तगाल लौटा। केरल पर्यटन मसाला पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। पर्यटकों को मसालों के खेतों की यात्रा करने का मौका मिलता है, उन्हें राज्य में उगने वाले विभिन्न मसालों, उनके प्रसंस्करण के तरीकों, ग्रेडिंग, अच्छी पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के उपायों की जानकारी तो दी ही जाती है, यादगार के तौर पर मिलावट–रहित शुद्ध मसाले खरीदने का मौका भी मिलता है। केरल पर्यटन केरल से पश्चिमी देशों के बीच के दो सहस्राब्दियों पुराने मसाला मार्ग यानी स्पाइस रूट को फिर सजीव करने का प्रयास भी कर रहा है। इसके लिए वह मुजिरिस या मुचिरी से खुदाई में निकले पुरातात्विक प्रमाण पेश कर रहा है। मुचिरी मसालों के प्राचीन कारोबार के लिए पश्चिम से भारत में प्रवेश कराने वाला प्रमुख बंदरगाह था।

क्षमता निर्माण एवं सरकारी योजनाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय को एकजुट करना और क्षमता निर्माण करना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण पर्यटन उन लोगों को आजीविका प्रदान कर सकता है, जो आतिथ्य, शिल्प या पर्यटकों की जरूरत वाली किसी अन्य सेवा के जरिए पर्यटन में हिस्सा ले सकते हैं। अतिथि सत्कार और उदारता की भावना ग्रामीण भारत के मुख्य गुण हैं। पर्यटन के कामकाजी पहलुओं से परिचित कराया जाए तो ग्रामीण आसानी से पर्यटकों के लिए दरवाजे खोल देंगे। गांव में शिक्षित लोगों को बुनियादी तकनीकी कौशल (पर्यटन में स्मार्टफोन का इस्तेमाल) दिया जा सकता है ताकि वे यात्रा से पहले और बाद में पर्यटकों के संपर्क में रह सकें और आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद विभिन्न सेवा प्रदाताओं से जुड़े रह सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की ऐसी ही योजनाएं आतिथ्य, हाउसकीपिंग, केटरिंग यानी खानपान, प्राथमिक अकाउंटिंग आदि में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में मददगार हो सकती हैं। 'हुनर से रोजगार' योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय–स्तर पर पर्यटक गाइडों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी क्षमता निर्माण में मदद कर सकता है। चूंकि हरेक राज्य में अलग–अलग ग्रामीण पर्यटन स्थल होते हैं, इसलिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में पर्यटन विभागों का सहयोग भी लिया जा सकता है।

हितधारकों में तालमेल

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आकर्षणों (ग्रामीण संसाधनों), सुगमता, रहने के स्थान तथा सुविधाओं में तालमेल होना चाहिए। संसाधन होने भर से पर्यटन को अपने–आप बढ़ावा नहीं मिल जाता। इसलिए ग्रामीण स्थलों तक पहुंचाने के लिए परिवहन, ठहरने की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, एटीएम, दूरसंचार सुविधा, इंटरनेट की सुविधा जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। ई–पर्यटक वीज़ा की योजना में इंटरनेट के जरिए आवेदन के 72 घंटे के भीतर ई–मेल पर ही वीज़ा को मंजूरी दे दी जाती है, जिससे भारत में विदेशियों की आमद बहुत बढ़ गई है। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य भारत को साफ एवं स्वच्छ स्थान की छवि देना है। गुजरात में कच्छ के रण में होडका विलेज रिसॉर्ट ग्रामीण पर्यटन के सबसे सफल प्रयोगों में से एक है। होडका की कहानी बताती है कि किसी भी ग्रामीण पर्यटन–स्थल पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली ग्राम पर्यटन समिति (पंचायत समिति) की भूमिका कितनी अहम है। पंचायत के पदाधिकारियों को ग्रामीण पर्यटन के विचार और फायदों के बारे में समझाना जरूरी है। राज्य सरकारों के राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और पंचायती राज एवं पर्यटन विभागों का सहयोग इसमें उत्प्रेरक का काम कर सकता है।

ग्रामीण पर्यटन के सफल क्रियान्वयन में मार्केटिंग बड़ी चुनौती है। ग्रामीण समुदायों के पास उत्पादों की मार्केटिंग के लिए बहुत कम संसाधन होते हैं। इनका प्रचार सरकारी पत्रिकाओं, साप्ताहिक न्यूजलेटरों, टेलीविज़न, सरकारी पोर्टलों और ई–मेल के जरिए किया जा सकता है। यात्रा लेखकों और ब्लॉगरों को ग्रामीण स्थलों की यात्रा कराई जा सकती हैं ताकि वे उनसे परिचित हो सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। विमानों के भीतर रखी जाने वाली पत्रिकाओं में इस क्षेत्र की सफलता गाथाओं पर लेख होने चाहिए। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी मुख्य वेबसाइट पर ग्रामीण पर्यटन स्थलों को प्रमुखता से दिखाकर इसमें योगदान किया है। केरल पर्यटन जैसे विभिन्न राज्य पर्यटन विभागों ने ग्रामीण पर्यटन का जोर–शोर से प्रदर्शन किया है। पर्यटन मंत्रालय ने शिल्पकारों को दिल्ली हाट और देश के विभिन्न शहरों में होने वाले विशाल शिल्प मेलों में पहुंचने में भी मदद की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और विभिन्न हितधारकों के एक साथ आने से इसकी मार्केटिंग में कमाल हो सकता है।

निष्कर्ष

पूरे देश के लिए वृद्धि का टिकाऊ मॉडल चाहिए तो ग्रामीण भारत की आर्थिक तस्वीर फौरन सुधारनी पड़ेगी। ग्रामीण समुदायों का जरूरी कायाकल्प करने और सैलानियों को पर्यटन का संपूर्ण अनुभव प्रदान करने में ग्रामीण पर्यटन के संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि ग्रामीण पर्यटन की पूरी क्षमता विकसित कर दी जाए तो यह उन ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर सकता है, जिनका शहरों की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है। इससे कई मृतप्राय पारंपरिक शिल्पों को नया जीवन दिया जा सकता है। सामाजिक रूप से यह ग्रामीण मानस को बाहरी दुनिया के नए विचार ग्रहण करने का मौका दे सकता है। शहरी जीवन नीरसता, थकावट, नौकरी के तनाव और प्रदूषण से भरा है। ग्रामीण पर्यटन तनाव दूर करने का काम कर सकता है।

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)
ईमेल : yadav.suyash@gmail.com

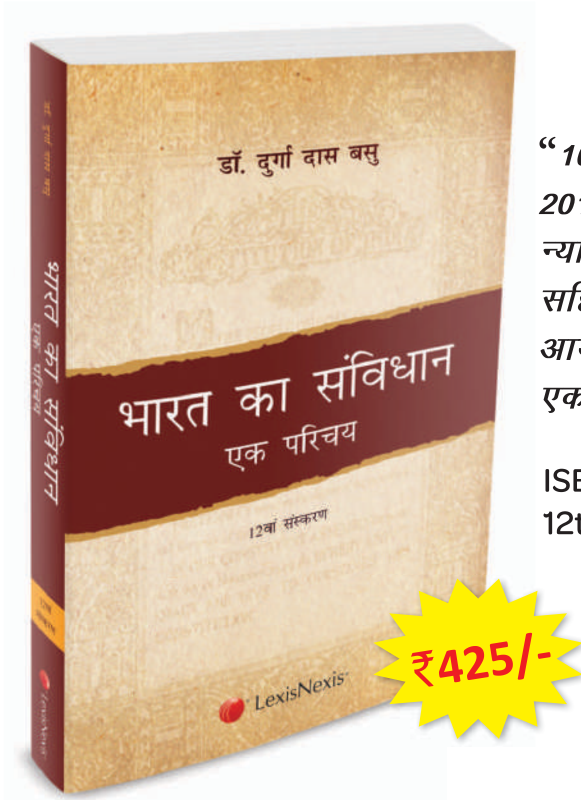

"103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019 और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के उल्लेखनीय निर्णयों सहित, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोजित परीक्षाओं हेतु एक उत्कृष्ट पुस्तक"

ISBN: 9789388548182
12th Edition 2019 | Softcover

डी डी बसु का भारत का संविधान एक परिचय एक अग्रणी काम है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जो भारत के संविधान की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना चाहते हैं। यह शीर्षक सामान्य पाठकों, राजनेताओं, पत्रकारों, राजनीतिज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए संविधान पर एक परिचयात्मक अध्ययन के रूप में कार्य करता है। यह *LL.B.*, *LL.M.*, *B.A.* और *M.A.* (राजनीति विज्ञान) पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं के साथ-साथ संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

Also Available

D D BASU
INTRODUCTION TO THE CONSTITUTION OF INDIA, 23/e
9789386515728 | 23rd Edition 2018 | Softcover

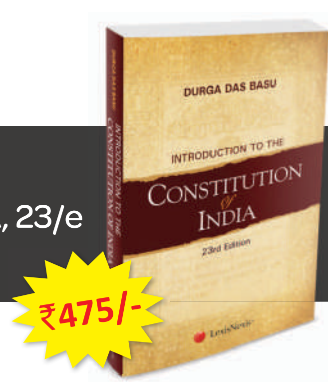

For more details, write to us at **marketing.in@lexisnexis.com**
or call us on our **Toll Free Nos. Airtel: 1800-102-8177,**
BSNL: 1800-180-7126 (Mon - Fri, 8:30 am to 5 pm)

LexisNexis®

स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के अवसर

–आशुतोष कुमार सिंह

भारत में मानव संसाधन की कमी नहीं है। वैश्विक–स्तर पर बहुत तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। बावजूद इसके रोजगार एक प्रमुख समस्या के रूप में भारत में विद्यमान है। 'सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले', इस कड़ी में भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र भी एक प्रमुख घटक के रूप में उभर कर सामने आया है। रोजगार की संभावनाएं इस सेक्टर में प्रबल हुई हैं। निजी एवं सरकारी दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। खासतौर से सरकारी क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना सहित तमाम परियोजनाएं शुरू हुई हैं, जहां पर रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं।

स्वास्थ्य एक व्यापक क्षेत्र है। परिवार कल्याण व स्वास्थ्य मंत्रालय हो, आयुष मंत्रालय हो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो या स्वच्छता एवं जल संबंधी मंत्रालय इन सभी मंत्रालयों के अधीन होने वाले कार्य स्वास्थ्य की जद में आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो भारत में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विस्तार से सीधे तौर पर रोजगार की व्यापक संभावनाएं पैदा हुई हैं। इस क्षेत्र में रोजगार विस्तार को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि किस विभाग के अंतर्गत कितने लोग काम कर रहे हैं या यूं कहें कि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की आगे क्या संभावना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

भारत की 130 करोड़ की आबादी में तकरीबन 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। ऐसे में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्य स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अहम हो जाता है। गांवों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए बहुत बड़े मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है और बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना भी इस योजना के अंतर्गत बनती रही है। भारत सरकार द्वारा 2013 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस मिशन में तकनीकी मानव संसाधन की संख्या 2013 तक 1.49 लाख थी जिसमें आयुष सहित 23,079 चिकित्सक, 35,172 स्टाफ नर्स, आयुष सहित 20,011 पेरा मेडिक्स और 70,891 एएनएम की तैनाती हो चुकी थी और इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए 2013 तक 10,311 स्टॉफ काम कर रहा था। जिसमें 590 जिला कार्यक्रम प्रबंधक, 601 जिला अकाउंट प्रबंधक, 4,579 अकाउंट स्टाफ ब्लॉक लेवल पर और 4,541 प्राथमिक स्वास्थ्य के स्तर पर तैनात किए जा चुके थे। 2013 के आंकड़ों की बात की जाए तो 8.90 लाख 'आशा' वर्कर पूरे देश में काम कर रही थी जो अब अनुमानतः दस लाख से अधिक होगी। इस तरह देखा जाए तो एनआरएचएम एवं एनएचएम के तहत लाखों लोगों को रोजगार मिला है और आगे भी रोजगार की संभावनाएं बनी हुई हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा

भारत सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत 1963 में की और 1982 में इसको फिर से नया स्वरूप दिया गया। इस सेवा से देश के तमाम सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में लोग काम करते हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, श्रम मंत्रालय, असम राइफल्स आदि इकाइयों में इसी सेवा से नियुक्तियां होती हैं। इसी तरह, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा व गोवा जैसे राज्यों ने स्वास्थ्य इकाइयों में अपना अलग कैडर तैयार किया है। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा ने अपने को और विस्तारित किया है। वर्ष 2017–18 की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर चार प्रकार के सब–कैडर हैं। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सबकैडर–2,198, टिचिंग स्पेशलिस्ट सब–कैडर–1,466, नॉन टिचिंग

स्पेशलिस्ट सब–कैडर–595 एवं पब्लिक हेल्थ–104। इसके अलावा, उच्च प्रशासनिक कार्य हेतु 19 पद सृजित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करने वाले मानव संसाधन की बात की जाए तो यहां पर ग्रुप 'ए' में 5,875, ग्रुप 'बी' में 4,636 ग्रुप 'सी' (एक्स–स्वीपर)–8,375 ग्रुप 'सी' (स्वीपर) 873 के पद पर तैनाती है।

आयुष्मान भारत–योजना

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को दी गई है। इसके तहत एक ओर जहां 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा दिए जाने की योजना पर काम हो रहा है वहीं दूसरी तरफ, स्वास्थ्य मंत्रालय देशभर में 1 लाख 50 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर में तब्दील करने की योजना पर काम कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्डधारक का परिवार 5 लाख रुपये तक का सालाना इलाज निःशुल्क करा सकता है। लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिले और इसमें उन्हें किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए 'जन आरोग्य मित्र' आयुष्मान मित्र की बहाली की जा रही है। देश भर के सभी निजी अस्पतालों में, जो आयुष्मान भारत से जुड़े हैं, को प्रधानमंत्री जन आरोग्य मित्र बहाल करना है। इस तरह देखा जाए तो इस समय तकरीबन 15 हजार से ज्यादा निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। इस प्रकार कम से कम 15 हजार निजी अस्पतालों में ही जनआरोग्य मित्र के रूप में नव रोजगार का सृजन हुआ है। इसी तरह जब 1 लाख 50 हजार वेलनेस सेंटर बनाने की योजना पर काम हो रहा है तो इस क्षेत्र में भी लाखों रोजगार सृजन की संभावना है।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना

देश के लोगों को सस्ती दवा मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू हुई इस योजना से विगत 2 वर्षों में दस हजार से ज्यादा रोजगार का सृजन हुआ है। वर्तमान समय में पूरे देश में 5,300 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खुल चुके हैं। इन केंद्रों पर गर एक फार्मासिस्ट एवं एक असिस्टेंट यानी दो पदों की भी बात की जाए तो इस योजना से कम से कम 10 हजार लोगों को रोजगार मिला है। और अब इस योजना को प्रखंड–स्तर तक ले जाने की योजना है। इससे सिर्फ इस वर्ष 1200 और जनऔषधि केंद्र खुलने वाले हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एलोपैथिक चिकित्सकों की तैनाती

भारत सरकार के परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के 31 मार्च, 2017 तक के आंकड़ों को देखे तो मालूम चलता है कि भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 27,124 ऐलोपैथिक चिकित्सक तैनात हैं। गर 10 शीर्ष राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों का आंकड़ा देखें, जहां सबसे ज्यादा चिकित्सक तैनात हैं तो उनमें क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल एवं असम आते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,929, तमिलनाडु में 2,759, राजस्थान में 2,382, उत्तर प्रदेश में 2,209, कर्नाटक में 2,136, बिहार में 1,786, आंध्र प्रदेश में 1,644, गुजरात में 1,229, केरल में 1,169 एवं गुजरात में 1,148 एलैपैथिक चिकित्सक काम कर रहे हैं। 31 मार्च, 2017 तक के प्राप्त सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश के सामुदायिक केंद्रों पर 14,350 एलोपैथिक जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर भी तैनात किए जा चुके थे। सामुदायिक केंद्रों पर जिन पांच राज्यों में जीडीएमओ के पद पर सबसे ज्यादा तैनाती हुई है, वे राज्य क्रमशः तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। तमिलनाडु में 2,547, राजस्थान में 1,045, केरल में 1,019, गुजरात में 966 और पश्चिम बंगाल में 871 जीडीएमओ की तैनाती हुई है जोकि देश में कुल तैनाती के 44.93 फीसदी हैं।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 तक भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 864 फिजिशियन तैनात थे। तैनाती के मापदंड पर शीर्ष पांच राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा 189, कर्नाटक में 106, उत्तरप्रदेश में 103, ओड़िशा में 58 एवं आंध्र प्रदेश में 56 फिजिशियनों की तैनाती हुई है।

शीर्ष 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की स्थिति

31 मार्च, 2017 तक भारत में कुल 56,263 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप–स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत थे जिसमें गुजरात में 7,888, महाराष्ट्र में 4,570, छत्तीसगढ़ में 3,856, उत्तर प्रदेश में 3,885 और मध्य प्रदेश में 3,707 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप–स्वास्थ्य केंद्रों पर काम कर रहे हैं। इन प्रमुख 5 राज्यों में भारत में कुल पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मुकाबले 42.04 फीसदी स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। यानी इन राज्यों में रोजगार की संभावना ज्यादा है। इसी तरह ओड़िशा में 3,617, केरल में 3,401, कर्नाटक में 3,252, आंध्र प्रदेश में 2,964 एवं असम में 2,783 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उपरोक्त शीर्ष 10 राज्यों के उप–स्वास्थ्य केंद्रों पर इसी श्रेणी के कुल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 70.87 फीसदी लोग काम कर रहे हैं।

स्वास्थ्य उपकेंद्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/एएनएम की तैनाती

ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के 31 मार्च, 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1,98,356 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा एएनएम की तैनाती की जा चुकी थी। यदि उन पांच राज्यों की चर्चा करें जहां उपकेंद्रों पर सबसे ज्यादा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है, तो वे हैं– उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। 28,250 महिलाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में जबकि बिहार में 20,151, पश्चिम बंगाल में 18,253, राजस्थान में 14,271 एवं आंध्र प्रदेश में 12,073 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती हुई है। देखा जाए तो शीर्ष के इन पांच राज्यों में देश के कुल महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तुलना में 46.88 फीसदी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम कर रही हैं।

फार्मासिस्टों की स्थिति

राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत फार्मासिस्टों की संख्या 31 मार्च, 2017 तक 25,193 है। शीर्ष के पांच राज्यों जहां पर सबसे ज्यादा फार्मासिस्ट पद स्थापित हैं वे हैं– उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओड़िशा एवं मध्य प्रदेश। इन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा 11.44 फीसदी फार्मासिस्ट अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। कर्नाटक में 2,523, महाराष्ट्र में 2,082, ओड़िशा में 1,691 एवं मध्य प्रदेश में 1,687 फार्मासिस्ट 31 मार्च, 2017 तक काम कर रहे थे। इस तरह देखा जाए तो पूरे देश में जितने फार्मासिस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक केंद्र पर तैनात किए गए हैं उसका 43.13 फीसदी सिर्फ उपरोक्त पांच राज्यों में हैं।

आयुष के क्षेत्र में रोजगार

जबसे आयुष मंत्रालय अलग से बना है, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति अंतरराष्ट्रीय–स्तर पर विश्वास बढ़ा है। आयुष चिकित्सकों की मांग बढ़ी है। प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। नई शिक्षा नीति में सरकार 'योग' को अनिवार्य रूप से पढ़ाने जा रही है। ऐसे में योग–शिक्षक के रूप में भी रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं।

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ढांचागत विकास व रोजगार

देश में स्वास्थ्य सेवा संरचना के विस्तार के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे 2019–20 तक जारी रखने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। इसके लिए 14,832 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन है। इस योजना के अंतर्गत नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए जा रहे हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाया जा रहा है। नए एम्स की स्थापना से न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव आएगा बल्कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पेशेवर लोगों की कमी दूर होगी। नए एम्स का संचालन और रखरखाव भी पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्नयन कार्यक्रम में व्यापक रूप से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों/ट्रामा सेंटरों आदि के निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार किया जाएगा। देश में बढ़ते अस्पताल एवं एम्स के निर्माण से महत्वपूर्ण फायदा यह होगा कि इससे रोजगार बढ़ेगा। ऐसा अनुमान है कि विभिन्न राज्यों में नए एम्स की स्थापना से विभिन्न एम्स के फैकल्टी और गैर–फैकल्टी पदों के लिए लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एम्स के आसपास शॉपिंग सेंटर, कैंटीनों आदि की सुविधाओं और सेवाओं से अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार का सृजन होगा। इस योजना के तहत विगत 17 वर्षों में 20 एम्स एवं 73 मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन की योजना रही है।

चिकित्सा पर्यटन एवं रोजगार

भारत में खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल टूरिज़्म बढ़ रहा है। भारत की जलवायु, यहां का मौसम एवं यहां की आयुर्वेदिक पद्धति विदेशी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सा पर्यटन में 22–25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 2022 तक स्वास्थ्य सेवा बाजार 9 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में चिकित्सा पर्यटकों का आगमन जनवरी 2017 के 0.98 मिलियन से बढ़कर जनवरी 2018 में 1.07 मिलियन हो गया है। भारत की 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर लेकर आया है।

निष्कर्ष

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार बहुत है। चिकित्सा सेवा, औषधि निर्माण, लैब टेक्निशियन, ओ टी. टेक्निशियन, एक्स–रे टेक्निशियन से लेकर पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए व्यवस्थागत मानव संसाधन की जरूरत तक से इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। उन सभी संभावनाओं को एक लेख में समेट पाना संभव नहीं है। हमने सिर्फ सरकारी क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देश के उपराष्ट्रपति एम. वेंकया नायडू जी के कथनानुसार अभी भी देश के 32 फीसदी मरीज ही सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। 68 फीसदी निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। अपने देश में 1700 लोगों पर एक चिकित्सक है जबकि कम से कम 1000 लोगों पर एक चिकित्सक होना चाहिए। नीति आयोग ने 187 और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की संस्तुति की है। विकसित देशों में 10,000 लोगों पर 40 बेड होते हैं जबकि अपने यहां सिर्फ 9 बेड की व्यवस्था हो सकी है। इस क्षेत्र में अभी बहुत काम होने बाकी है इस लिहाज से रोजगार की संभावनाएं भी असीम हैं खासतौर से ग्रामीण भारत में।

(लेखक समाचार–विचार पोर्टल 'स्वस्थ भारत' के संस्थापक और स्वस्थ भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं।)

ई–मेल : ashutoshinmedia@gmail.com

ग्रामीण भारत में गैर-सरकारी संस्थाओं, स्वयंसहायता समूहों एवं निजी क्षेत्र की सार्थक भूमिका

–डॉ. नीलेश कुमार तिवारी, आकांक्षा गुप्ता

न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' तथा 'सबका साथ सबका विकास' की तर्ज पर नए भारत की अवधारणा बहुत ही महत्त्वाकांक्षी एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। नए भारत से अभिप्राय माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के विज़न और संकल्पों से एक ऐसे भारत के निर्माण से है जो विभिन्न सामाजिक विषमताओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, निराशा, भेदभाव, अन्याय, गंदगी, भ्रष्टाचार एवं महिला एवं बाल उत्पीड़न इत्यादि से मुक्त हो। साथ ही, नवीन भारत का विकास जन–आंदोलन एवं सार्वजनिक भागीदारी से परिपूर्ण हो सके। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्थाएं एवं स्वयंसहायता समूह अपने एकीकृत प्रयास से बेहद सहायक हो रहे हैं।

वर्ष 2016 की भारत सरकार के प्रमुख विभागों के सचिव समूहों और कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन प्रतिवेदन के अनुसार, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था का 10 प्रतिशत दर से विस्तार हो सके तो आगामी वर्ष 2032 में भारत 10 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ–साथ गरीबी–रहित देश होने का गौरव प्राप्त कर सकेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में दहाई की गति प्राप्त करना तथा निरंतरता बनाए रखना बहुत ही महत्त्वाकांक्षी प्रतीत होता है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि कैसे आज के बदलते भारत में विभिन्न महत्त्वपूर्ण चुनौतियों; जैसे सभी राज्यों में संतुलित एवं समान आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव, आगामी पीढ़ियों के मद्देनजर मानव–हित में पर्यावरणीय संरक्षण व संतुलन बनाते हुए 2030 तक समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से रणनीतिक तौर पर प्राप्त किया जा सकेगा?

साथ ही, इन सभी चुनौतियों से निपटने व इन सभी पहलुओं पर बेहतर ढंग से कार्य करने हेतु क्या केवल सरकार ही प्रतिबद्धता से कार्य करेगी या फिर समाज, संस्थाएं एवं निजी क्षेत्र भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? क्योंकि, सीमित संसाधनों से इन सभी मुद्दों पर गुणवत्तायुक्त कार्य कर पाना सरकारों के लिए हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है।

दूसरी ओर, निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्थाएं एवं स्वयंसहायता समूह अपने एकीकृत प्रयास से ग्रामीण भारत की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य समस्याओं का समाधान एवं प्रबंधन बेहतर तरीके से करने में बेहद सहायक हो रहे हैं।

गैर–कृषि क्षेत्र एवं सतत ग्रामीण विकास

भारत जैसे विकासशील एवं कृषि प्रधान देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि क्षेत्र है।

वहीं भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार कृषि क्षेत्र जो भारत में कुल कार्यबल का 50 प्रतिशत से अधिक रोजगार प्रदान करने में सहायक है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17–18 प्रतिशत योगदान देता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे समय पर सिंचाई सुविधा की अनुलब्धता, बेहतर उत्पादकता हेतु किसानों द्वारा मशीनों का समुचित उपयोग न कर पाना, प्राकृतिक आपदा इत्यादि से जूझ रहा है। ऐसी दशा में गैर–कृषि क्षेत्र विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यहां गैर–कृषि क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, पर्यटन, लोक–कला व संस्कृति, व्यापार, संचार, विनिर्माण, हस्तशिल्प, प्रसंस्करण, मरम्मत, निर्माण और सेवा क्षेत्र आदि जैसे मानव–श्रम आधारित क्षेत्र शामिल हैं। गैर–कृषि क्षेत्र ग्रामीण भारत के छोटे और सीमांत कृषि परिवारों को पूरक रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं (मुखोपाध्याय एवं अन्य, 2008)।

गैर–कृषि क्षेत्र का ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्त्व

- सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन देने में सहायक।
- ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकने में सहायक।
- श्रम–आधारित उद्योगों एवं मानव संसाधनों के विकास के साथ–साथ नए रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा।
- नवाचार एवं रचनात्मक उद्योग (क्रिएटिव इंडस्ट्रीज) को प्रोत्साहन।
- रोजगार, स्वरोजगार व उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन में सहायक।
- विभिन्न संसाधनों (मानव, वित्तीय, प्राकृतिक एवं अन्य) के समुचित उपयोग से स्थानीय मांगों (डिमांड्स) के अनुरूप वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना।
- स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग को विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध कराना।
- क्षेत्रीय आर्थिक व सामाजिक असमानता को कम करने में सहायक।

गैर–सरकारी संस्थाएं एवं ग्रामीण भारत का सामाजिक–आर्थिक विकास

ग्रामीण भारत में गैर–सरकारी संस्थाएं समाज के विभिन्न अंगों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती रही हैं। दूसरी तरफ, गैर–सरकारी संस्थाएं अपनी स्वायत्ततापूर्ण व सुगम कार्यपद्धति के कारण विभिन्न सामाजिक पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पर्यावरण संरक्षण, दिव्यांगता, तृतीय लिंग, महिला एवं बाल विकास इत्यादि संबंधी विषयों पर प्राथमिकता के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से रणनीतिक तौर पर कार्यक्रमों को बेहतर रूप से संपादित करने में सक्षम होते हैं। पुरुष–प्रधान समाज में ये संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन लाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण सहायक होती हैं जिनसे लैंगिक समानता, समावेशन और सशक्तीकरण को प्रोत्साहन मिलता है।

वित्तपोषण सहायक गैर–सरकारी संस्थाएं व्यक्तियों, महिलाओं, दिव्यांगजनों व स्वयंसहायता समूहों इत्यादि को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें स्वयं का व्यवसाय या स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करती हैं। साथ ही, ये संस्थाएं शिक्षा विशेषकर कौशल, रचनात्मकता, प्रशिक्षण एवं सूचना, संचार इत्यादि के माध्यम से जनमानस में आत्मविश्वास प्रदान करने तथा उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होती हैं। गैर–सरकारी संस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं को आरेख–2 के माध्यम से समझा जा सकता है।

आरेख–1: गैर–सरकारी संस्थाओं की सामाजिक–आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका

स्रोतः लेखक का विश्लेषण

सतत विकास लक्ष्य 2030, गैर–सरकारी संस्थाएं एवं ग्रामीण भारत

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य राष्ट्रों, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, ने वैश्विक–स्तर पर विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के मद्देनजर 17 प्रमुख लक्ष्यों को 'सतत विकास लक्ष्य' के रूप में अपनाया। जिनके अंतर्गत स्पष्ट रूप से 169 परिभाषित लक्ष्यों को, जिनमें 232 संकेतक भी शामिल हैं, वर्ष 2030 तक योजनाबद्ध रूप से प्राप्त करने का ध्येय रखा है। ये सतत विकास लक्ष्य जनसामान्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को निश्चित संकेतकों व समय सीमाओं में प्राप्त करने की दिशा में

अग्रसर कदम हैं। अतः इन सभी लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पहल है।

परंतु इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों को सभी हितधारकों जैसे जनसामान्य, सिविल सोसाइटी, गैर–सरकारी संस्थाओं, ग्राम व नगर पंचायतों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं को एकीकृत रूप में जोड़कर ही बदलते, आकांक्षी व आधुनिक भारत की आधारशिला को मजबूती प्रदान की जा सकती है। ऐसे में ग्रामीण भारत की दिशा व दशा रूपांतरण की प्रकिया में गैर–सरकारी संस्थाओं, स्वयंसहायता समूहों एवं निजी क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

ग्रामीण भारत में जनसामान्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं अन्य महत्त्वपूर्ण आयामों में परिवर्तन हेतु सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने में गैर–सरकारी संस्थाओं की लक्ष्यवार भूमिका को तालिका–1 के माध्यम से समझा जा सकता है।

स्वयंसहायता समूह–आर्थिक सशक्तीकरण का प्रमुख माध्यम

बांग्लादेश में 1970 के दशक के दौरान गरीब और समाज के निम्न तबके के लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु 'स्वयंसहायता समूह' की अवधारणा को 'बांग्लादेश ग्रामीण बैंक' के रूप में जीवंत रूप प्रदान करने वाले नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. मोहम्मद यूनुस का योगदान अविस्मरणीय है। विगत चार दशकों के बाद आज भी 'स्वयंसहायता समूह' बहुत प्रासंगिक हैं। वहीं इन समूहों के माध्यम से सभी सदस्य अपनी सामूहिक बचत निधि से ज़रूरतमंद सदस्य को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते है जिससे वह सदस्य स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका उपार्जन हेतु अपनी उद्यमशीलता को आकार प्रदान करता है।

विकासशील देशों के लिए स्वयंसहायता समूह ज़मीनी–स्तर पर जनसामान्य के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम हैं। वहीं दूसरी ओर इस अवधारणा को न केवल सामान्य लोगों द्वारा अपनाया जाता है अपितु दुनिया भर की सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाएं भी स्वयंसहायता समूह के महत्त्व को बखूबी समझती हैं।

भारत में आर्थिक उदारीकरण (1991–92) के दौरान स्वयंसहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया तथा इस प्रक्रिया में नाबार्ड की भूमिका प्रमुख रही। वहीं भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के दौरान स्वयंसहायता समूहों को ज़मीनी–स्तर पर विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में उपयोग में लाया गया।

स्वयंसहायता समूहों का ग्रामीण भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान

- सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन देने में सहायक।
- लोगों में उद्यमशीलता, प्रबंधकीय गुणों जैसे नेतृत्व व निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि का विकास।
- आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धक वस्तुओं का उत्पादन।
- नवाचार एवं रचनात्मक उद्योगों (क्रिएटिव इंडस्ट्रीज) को प्रोत्साहन।
- रोजगार, स्वरोजगार व उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन में सहायक।
- विभिन्न संसाधनों (मानव, वित्तीय, प्राकृतिक एवं अन्य) के समुचित उपयोग से स्थानीय मांगों (डिमांडस) के अनुरूप वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना।
- महिला स्वयंसहायता समूहों द्वारा छत्तीसगढ़ के 50 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका।
- महिला स्वयंसहायता समूहों द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य–पदार्थों जैसे अचार, पापड़, बड़ी, दलिया, आटा, अगरबत्ती, मुरब्बा इत्यादि की सुगम उपलब्धता से महिलाओं व बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान।
- छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की महिलाओं ने गणवेश सिलाई और कोरिया जिले की महिलाओं ने गृह उद्योगों से आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास पाया।
- ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकने में सहायक।
- स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन।
- श्रम–आधारित नए रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा।
- क्षेत्रीय आर्थिक व सामाजिक असमानता को कम करने में सहायक।

भारत के विभिन्न राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, ओड़िशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना इत्यादि में महिला स्वयंसहायता समूह विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की श्रीमती फूलबासन यादव ने मां बम्लेश्वरी महिला स्वयंसहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का आदर्श मॉडल पूरे देश के समक्ष प्रस्तुत किया। फुलबासन यादव ने वर्ष 2001 में महिला स्वयंसहायता समूह की शुरुआत मात्र दो मुट्ठी चावल और दो रुपये से की थी।

भारत सरकार ने फुलबासन यादव को उनके उल्लेखनीय महिला सशक्तिकरण कार्य के लिए वर्ष 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया। श्रीमती यादव ने शुरुआती दिनों में महिलाओं को बकरी पालन से जोड़ा। फिर कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण इत्यादि को बम्लेश्वरी ब्रांड से उत्पादों को बाजार में लोगों के लिए उपलब्ध कराया।

वहीं दूसरी ओर अब छत्तीसगढ़ में लगभग 13 हजार छोटे–बड़े स्वयंसहायता समूहों में 5 लाख से भी अधिक महिलाएं कार्यरत हैं

तालिका–1 : ग्रामीण भारत में गैर–सरकारी संस्थाओं की सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भूमिका

सतत विकास लक्ष्य 2030	गैर–सरकारी संस्थाओं की भूमिका
1–गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर	शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा आजीविका हेतु कृषि एवं गैर–कृषि क्षेत्र में सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) के माध्यम से बेहतर जीवनयापन करने में ग्रामीण जनमानस चेतना व सहयोग करना।
2–खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण व सतत कृषि	
3–लोगों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु कार्य	
4–समावेशी, गुणवत्तापूर्ण व आजीविका उपार्जन में सहायक शिक्षा पर जोर।	
5–महिला सशक्तीकरण व लैंगिक समानता हेतु विशेष रूप से प्रयास	पुरुष–प्रधान समाज में महिलाओं का परिवार व देश के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान को विभिन्न क्षेत्रों में समकालीन/वर्तमान आदर्शों (रोल मॉडल्स) के माध्यम से प्रस्तुत कर समाज के व्यवहार परिवर्तन (बिहेवियरल चेंज) से महिला सशक्तीकरण व लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने का कार्य।
6–पानी और स्वच्छता प्रबंधन पर विशेष ध्यान	स्वच्छता अपनाने से विभिन्न बीमारियों के कारण अचानक व आवांछनीय जेब खर्च (आउट ऑफ़ पॉकेट एक्सपेंडीचर) को कम करने हेतु जनमानस को सचेत करते हुए पानी के प्रबंधन हेतु विभिन्न विधियों और तकनीकियों में प्रशिक्षित करना।
7–सभी के लिए सस्ती व आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना	सरकारों व निजी संस्थाओं के सहयोग से जनसामान्य को सुलभ व सस्ती उपलब्ध होने वाली ऊर्जा में वित्तीय व गैर–वित्तीय सहायता प्रदान करना।
8– सतत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन तथा उत्पादकता पर विशेष जोर	सूचना प्रौद्योगिकी व उपभोक्तावादी दुनिया में नवाचार व रचनात्मकता को प्रोत्साहित करके उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर देना तथा रोजगार के नए अवसरों की खोज में योगदान देना। युवाओं को विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका उपार्जन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग करना।
9–नवाचार व औद्योगीकरण को प्रोत्साहन	
10–असमानता को देशों (में व मध्य) कम करना	
12–सतत खपत व उत्पादन पर ध्यान	
13–जलवायु परिवर्तन हेतु त्वरित कार्य	जनसामान्य को प्रदूषण (जल, थल एवं वायु) से मानव जीवन पर पड़ रहे विनाशकारी प्रभाव से सचेत कराना। जैसाकि विगत वर्षों में पंजाब और हरियाणा में गेहूं और अन्य रबी फसलों की बुवाई हेतु खेतों को जल्दी तैयार करने के उद्देश्य से धान की कटाई खत्म होते ही अधिकांश किसान फसल अवशेषों को जला देते हैं जिससे फसलों के अवशेष कार्बन–डाई–ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन–मोनो–ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर–डाई–ऑक्साइड और सूक्ष्म कण उत्सर्जित करते हैं तथा दिल्ली की वायु गुणवत्ता ख़राब होती है और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अतः जल, थल, स्थलीय पारिस्थितिकी–तंत्र, जैव विविधता, जंगलों, मरुस्थलों व भूमि ह्रास के प्रबंधन में जनमानस को सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) के माध्यम से जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन हेतु प्रोत्साहित करना।
14–जलीय (वेटलैंड) संसाधनों का संरक्षण व संवर्धन।	
15– स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, जंगलों, मरुस्थलों व भूमि ह्रास का प्रबंधन	
16–शांतिपूर्ण व समावेशी समाज तथा संस्थाएं	पंचायतों, ग्रामसभाओं के माध्यम से लोगों को विशेषकर युवाओं को विभिन्न सामाजिक बुराइयों से उनके जीवन पर पड़ने वाले दुष्परिणामों से सचेत कराना तथा रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों हेतु प्रेरित कर उन्हें आवश्यक संसाधन व प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे शांतिपूर्ण व समावेशी समाज विकसित हो सके।

स्रोतः लेखक का विश्लेषण एवं सतत विकास लक्ष्य 2030

जो लगभग 25 करोड़ रुपये तक की बचत कर चुकी हैं। फुलबासन यादव देश के महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में स्वयंसहायता समूहों की भूमिका को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण और प्रभावी मानती हैं।

स्वयंसहायता समूहों द्वारा महिलाएं 'जिमीकंद' (सूरन), जिसमें पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है और जिसे आयुर्वेदिक औषधि के तौर पर गठिया, कब्ज और पेट से जुड़ी विभिन्न बीमारियों में रामबाण के रूप में उपयोग में लाया जाता है, की खेती कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाएं स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से डेयरी व्यवसाय में भी बेहतर कार्य कर अपने आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर और सशक्त हो रही हैं।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का कचरा प्रबंधन मॉडल एवं स्वयंसहायता समूह

अंबिकापुर कचरा प्रबंधन मॉडल

अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का छोटा शहर व नगर निगम जनसंख्या 214,575 (2011 जनगणना) है। कचरे को संसाधनों के रूप में सुनियोजित तरीके से उपयोग कर स्वच्छता के साथ–साथ आय अर्जित करने में छत्तीसगढ़ शासन ने राष्ट्रीय–स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। अंबिकापुर देश का पहला डम्पिंग यार्ड रहित शहर है जहां शत–प्रतिशत कचरे का प्रबंधन महिला स्वयंसहायता समूहों द्वारा होता है। गीले कचरे से जैविक खाद व सूखे कचरे को बेचकर करोड़ रुपये से अधिक आय उपार्जन होता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा महिला सशक्तीकरण हेतु अनुकरणीय कदम उठाए गए।

अंबिकापुर मॉडल : विशेष क्यों?

- महिला स्वयंसहायता समूह द्वारा घर–घर जाकर कचरा संग्रहण का उल्लेखनीय कार्य।
- महिलाओं को शासकीय योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की उपलब्धि।
- टिकाऊ वित्तीय प्रबंधन मॉडलः कचरा संग्रहण हेतु आवासीय भवनों से प्रतिमाह 50 रुपये तथा व्यावसायिक भवनों से 100 रुपये प्रतिमाह यूजर चार्ज।
- **स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण :** बत्तख पालन से तालाबों की सफाई तथा अंडों से अतिरिक्त आय उपार्जन।
- देश में महिला स्वयंसहायता समूह कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, आजीविका मिशन में रोल मॉडल।

अतः इस प्रकार स्वयंसहायता समूह देश के विभिन्न राज्यों में अनेक गतिविधियों द्वारा न केवल महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं अपितु समाज में सकारात्मक व रचनात्मक वातावरण को विकसित करने में भी सहायक हैं।

ग्रामीण भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका

भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय है। ग्रामीण भारत के विकास में निजी क्षेत्र के योगदान को दो प्रकार से समझा जा सकता है– पहला, विभिन्न संसाधनों चाहे वह प्राकृतिक संसाधन जैसे, वायु, जल, प्राकृतिक गैस, लोहा, पवन ऊर्जा, कोयला, लकड़ी तथा तेल इत्यादि हों, या फिर मानव निर्मित सूचना प्रौद्योगिकी, कारखाने, सड़कें व तकनीकी इत्यादि, इनके समुचित उपयोग से विभिन्न दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुओं के निर्माण और सेवाओं द्वारा निजी क्षेत्र जनसामान्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं।

उदाहरणस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी की 4 जी तकनीकी को ही देखा जाए तो आज भारत दुनिया के सबसे ज्यादा 4जी इंटरनेट डाटा उपयोग करने वाले देशों में शामिल हो गया है। इसके साथ ही, सस्ती मोबाइल 4जी तकनीकी ने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सभी आय, धर्म व क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। मोबाइल 4जी तकनीकी ने शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

दूसरा, निजी क्षेत्र अपने सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा ग्रामीण भारत में विभिन्न क्षेत्रों जैसे; शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, आजीविका इत्यादि, में अनेक गतिविधियों से ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

यहां यह भी समझना आवश्यक है कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां निजी क्षेत्र, कानूनन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को अनिवार्य रूप से पूरा करता है। जी हां, भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानानुसार, 500 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति, 1000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार या 5 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ वाली कंपनियों को अपने वार्षिक लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत करना आवश्यक है (3 वर्षों में औसतन)।

इस प्रकार निजी क्षेत्र, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत गैर–सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देते रहे हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त सभी पहलुओं पर गौर करने और समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास में गैर–सरकारी संस्थाओं, स्वयंसहायता समूहों एवं निजी क्षेत्र की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। ये सभी संस्थाएं अपनी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों और कार्यों से नए भारत के निर्माण में तथा विभिन्न सामाजिक विषमताओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, भ्रष्टाचार एवं महिला एवं बाल उत्पीडन इत्यादि को जन–आंदोलन एवं भागीदारी से दूर करने में सरकार व समाज को अपना बहुमूल्य योगदान दे सकती हैं।

(डॉ. नीलेश छत्तीसगढ़ के बस्तर विश्वविद्यालय, (जगदलपुर) में असिस्टेंट प्रोफेसर है और आकांक्षा गुप्ता गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं।)

ई–मेल : **nileshtiwariprsu@gmail.com**

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग का योगदान

–नितिन प्रधान

देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर आज भी लघु उद्योग क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर करती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में कम पूंजी की मदद से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यही नहीं इसके जरिए अधिक मात्रा में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ग्रामीण भारत में लघु व सूक्ष्म उद्योगों के योगदान को देखते हुए सरकार भी इन पर विशेष ध्यान दे रही है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस दिशा में काफी तेजी से काम किया है। आयोग न केवल देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्र द्वारा तैयार वस्तुओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 152 लाख लोगों को स्थायी रोजगार भी प्रदान करता है।

स्वरोजगार भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल में रहा है। खासतौर पर देश के ग्रामीण हिस्से में यह स्वाभाविक तौर पर विकसित हुआ। कुटीर उद्योग या आज की भाषा में कहें तो सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों ने देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। आज भी देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर इसी लघु उद्योग क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर करती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लघु उद्योगों ने समाज में आर्थिक रूप से बने अंतर को एक सीमा में रखने में तो मदद की। लेकिन यह विडंबना ही है कि यह क्षेत्र ग्रामीण भारत में इतने वर्षों के बाद भी कृषि क्षेत्र पर लोगों की निर्भरता को खत्म नहीं कर पाया। आज भी भारत की दो तिहाई आबादी गांवों में रहती है। लेकिन ग्रामीण भारत पूरी तरह खेती पर ही निर्भर है। आजादी के सात दशक बीतने के बाद भी ग्रामीण भारत में ऐसे वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पाए हैं जिनसे लोगों की खेती पर निर्भरता कम हो। यह सार्वभौमिक तथ्य है कि जहां श्रमबल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पूंजी का अभाव है, वहां भी लघु और कुटीर उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं। इस वजह से बहुसंख्यक ग्रामीणों की आर्थिक समस्या का निराकरण भी अभी तक नहीं हो पाया है। सभी जानते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योगों में कम पूंजी की मदद से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए अधिक मात्रा में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र के लिए अभी तक स्वरोजगार के इच्छुक लोग सस्ते और आसान कर्ज की उपलब्धता से वंचित रहे।

यह कहना भी गलत होगा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी तक प्रयास ही नहीं हुए। देश के स्वतंत्र होने के बाद से ही लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयास शुरू हो गए थे। आज़ादी के एक वर्ष बाद ही 1948 में देश में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हो गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इनके विकास की दिशा में 42 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। आने वाले

वर्षों में औद्योगिक नीति के जरिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को काफी महत्व दिया गया। सबके मिले–जुले प्रयासों से लघु उद्योगों की प्रगति तो हुई तथा इससे देश में बेरोजगारी दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने मे काफी मदद भी मिली है। लेकिन इन उपायों के बावजूद इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार बहुत अधिक तीव्र नहीं हो सकी।

इतने प्रयासों के बावजूद लघु और कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती का प्रमुख विकल्प नहीं बन पाए। जबकि इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बाजार उपलब्ध था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 20 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, शेष 80 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन मिल व पॉवरलूम क्षेत्र में होता है। जो 20 प्रतिशत उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, उस पर संकट के बादल घिरे रहते हैं। गांधी जी का कहना था कि हथकरघे के लिए सूत की उपलब्धि हाथ की कताई या चरखे से होनी चाहिए। अगर गांधी के इस सुझाव पर अमल किया जाता तो हाथ से बुने कपड़े का उत्पादन एक प्रतिशत से भी कम के स्थान पर 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए। गांवों में घर–घर में हथकरघा विकास के लिए अधिक सुदृढ़ प्रयास करने की आवश्यकता है।

रोजगारों का अभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को निरंतर प्रभावित करता रहा है। आज की तारीख में भी यह एक ज्वलंत मुद्दे के समान उसी रूप में विद्यमान है जैसाकि दो दशक पूर्व था। शिक्षित युवाओं के लिए तो रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की चुनौती है ही, साथ ही देश के ग्रामीण क्षेत्र में भी इसे दूर करने के लिए सरकार को निरंतर प्रयास करने पड़ रहे हैं। यह सत्य है कि बड़े पैमाने के उद्योग देश में सभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का बोझ पहले से अधिक है जिसे कम किए बिना कृषि उद्योगों में कुशलता नहीं आ सकती है। अतः इतनी विशाल जनसंख्या को काम देने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास किया जाए। भारत में औसतन खेतों का आकार इतना छोटा है कि एक किसान परिवार का पालन–पोषण नहीं हो सकता। भारत के कुछ भागों में जहां एक ही फसल होती है, वहां कृषकों की दशा और भी खराब है। यदि पशुपालन आदि धंधों का सहारा न मिले तो वह अपना गुजारा भी नहीं कर सकते। अतः कृषि के सहायक धंधों के रूप में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है।

लघु एवं कुटीर उद्योगों की एक बड़ी समस्या पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाना है। यदि ये इन्हें मिलता भी है तो बड़ी परेशानी और ऊंचे मूल्य चुकाने के बाद। इससे इनका लागत मूल्य बढ़ जाता है और वे अपने आर्डर का माल समय पर तैयार नहीं कर पाते। दूसरी प्रमुख बाधा वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। लघु उद्योगपतियों की पूंजी सीमित होती है। व्यापारिक दर पर निजी स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए आज यह अत्यंत आवश्यक है कि उत्पादन तकनीकी का आधुनिकीकरण किया जाए। पुराने औजारों एवं प्राचीन विधियों से लघु एवं कुटीर उद्योग नवीन डिजाइन की उत्तम वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। अतः उनकी निर्माण विधि में आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके सस्ती दर पर उत्तम किस्म की वस्तुएं शीघ्रता से उत्पादित की जा सकती हैं। उत्पादित माल के विक्रय के विषय में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट संगठनों की जरूरत है। लघु उद्योगों के साधन इतने सीमित होते हैं कि वे विस्तृत–स्तर पर विज्ञापन व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। जिन वस्तुओं में आधुनिक मशीनी माल से प्रतियोगिता करनी होती है तब उनके विक्रय की व्यवस्था करना और भी कठिन हो जाता है।

> खादी ग्रामोद्योग आयोग के अतिरिक्त इन उद्यमों की मदद के लिए केंद्र सरकार 'बाजार संवर्धन और विकास सहायता' के नाम से एक स्कीम भी चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत मूल लागत के 30 प्रतिशत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह मदद उत्पादक संस्थाओं को चालीस प्रतिशत, विक्रेता संस्थाओं को 20 प्रतिशत और कारीगरों के बीच 40 प्रतिशत तक वितरित की जाती है।

ग्रामीण भारत के समुचित विकास और इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मौजूदा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों की आमदनी के विस्तार के लिए न केवल खेती को आधुनिक बनाया है बल्कि पशुपालन, बागवानी आदि सहायक उद्योगों पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त, ग्रामीण–स्तर पर लघु और सूक्ष्म उद्योगों को विकसित करने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों के विकास का काम देखने वाले एमएसएमई मंत्रालय ने बीते चार वर्ष में ऐसी कई नीतियां बनाई हैं जो ग्रामीण भारत में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में सहायक सिद्ध हो रही हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे 2015–16 के मुताबिक एमएसएमई क्षेत्र में करीब 633.28 लाख इकाइयां कार्यरत हैं। सर्वे के मुताबिक इन इकाइयों ने 1.10 करोड़ रोजगार सृजित किए हैं।

केंद्र सरकार ने इन उद्योगों की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें कर्ज की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए योजनाओं की शुरुआत, गुणवत्ता सुधार और इस क्षेत्र के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सहायता देने जैसे उपाय शामिल हैं। लेकिन इन प्रयासों का प्रतिफल मिलना अभी भी बाकी है। ग्रामीण भारत में लघु व सूक्ष्म उद्योगों के योगदान को देखते हुए सरकार इन पर भी विशेष ध्यान दे रही है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस दिशा में काफी तेजी से काम किया है। आयोग न केवल देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्र द्वारा तैयार वस्तुओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 152 लाख लोगों

को स्थायी रोजगार भी प्रदान करता है। आयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के जरिए अपने लघु व कुटीर उद्योग चला रहे लोगों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास कर उन्हें देश के शहरी बाजारों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व सूक्ष्म उद्योगों के विकास में पूंजी एक बड़ी अड़चन बनी है। इसे देखते हुए ही मौजूदा सरकार ने इन उद्योगों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि की स्थापना की। सूक्ष्म और लघु उद्योगों की सहायता के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपये की समग्र निधि को बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये करने का अनुमोदन किया। इस निधि में पांच हजार करोड़ रुपये की वृद्धि के लिए सरकार ने पूरा अंशदान किया। यही नहीं, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी सूक्ष्म व लघु उद्योगों को दिए जा रहे ऋणों के संवितरण के लिए ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

सरकार इसके अतिरिक्त भी कई अन्य योजनाएं चला रही है जिनमें ग्रामीणों द्वारा चलाए जा रहे लघु व सूक्ष्म उद्योगों में उत्पादित सामान की बिक्री सुनिश्चित करना भी शामिल है। खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अतिरिक्त केंद्र सरकार इन उद्यमों की मदद के लिए 'बाजार संवर्धन और विकास सहायता' के नाम से एक स्कीम भी चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत मूल लागत के 30 प्रतिशत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह मदद उत्पादक संस्थाओं को चालीस प्रतिशत, विक्रेता संस्थाओं को 20 प्रतिशत और कारीगरों के बीच 40 प्रतिशत तक वितरित की जाती है। विपणन सहायता स्कीम के तहत उन उद्यमों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बाजार में सब्सिडी दरों पर विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों व व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। साल 2014 से लेकर 2018 तक की अवधि में 53.16 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। सरकार के इन प्रयासों का नतीजा है कि इस अवधि में 848 प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए लगभग 22,337 उद्यमियों की मदद की गई। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने इन इकाइयों की वित्तीय मदद को ध्यान में रखते हुए वित्त सुविधा केंद्रों (एफएफसी) की स्थापना की है। इन केंद्रों से लघु व सूक्ष्म उद्यमी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जालंधर, गुवाहाटी, लुधियाना, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई और कानपुर में ये केंद्र चल रहे हैं।

सरकार निरंतर आर्थिक विकास की गति को तेज करने के उपाय कर रही है। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जब तक देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सतत् रफ्तार का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इस लक्ष्य को पाना संभव नही हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र की विकास दर उल्लेखनीय रही है। लेकिन एक वर्ष की किसी एक तिमाही में कृषि व अन्य सहायक उद्योगों की तेज विकास दर पूरे वर्ष के आर्थिक विकास का संबल नहीं बन सकती। इसलिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरा बोझ केवल कृषि व उससे जुड़े उद्योगों पर न रहें, बल्कि इस क्षेत्र में लघु व सूक्ष्म अथवा कुटीर उद्योगों के विकास की नीति पर बल दिया जाए। ग्रामीण युवाओं को न केवल स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न उद्यमों की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाए बल्कि वहां उसके अनुकूल पूरा ढांचा तैयार किया जाए ताकि उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय–स्तर पर ही हो जाए। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले अनावश्यक पलायन को भी रोका जा सकेगा।

(लेखक दैनिक जागरण के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय ब्यूरो में ब्यूरो प्रमुख हैं)

ई–मेल : pradhnitin@gmail.com

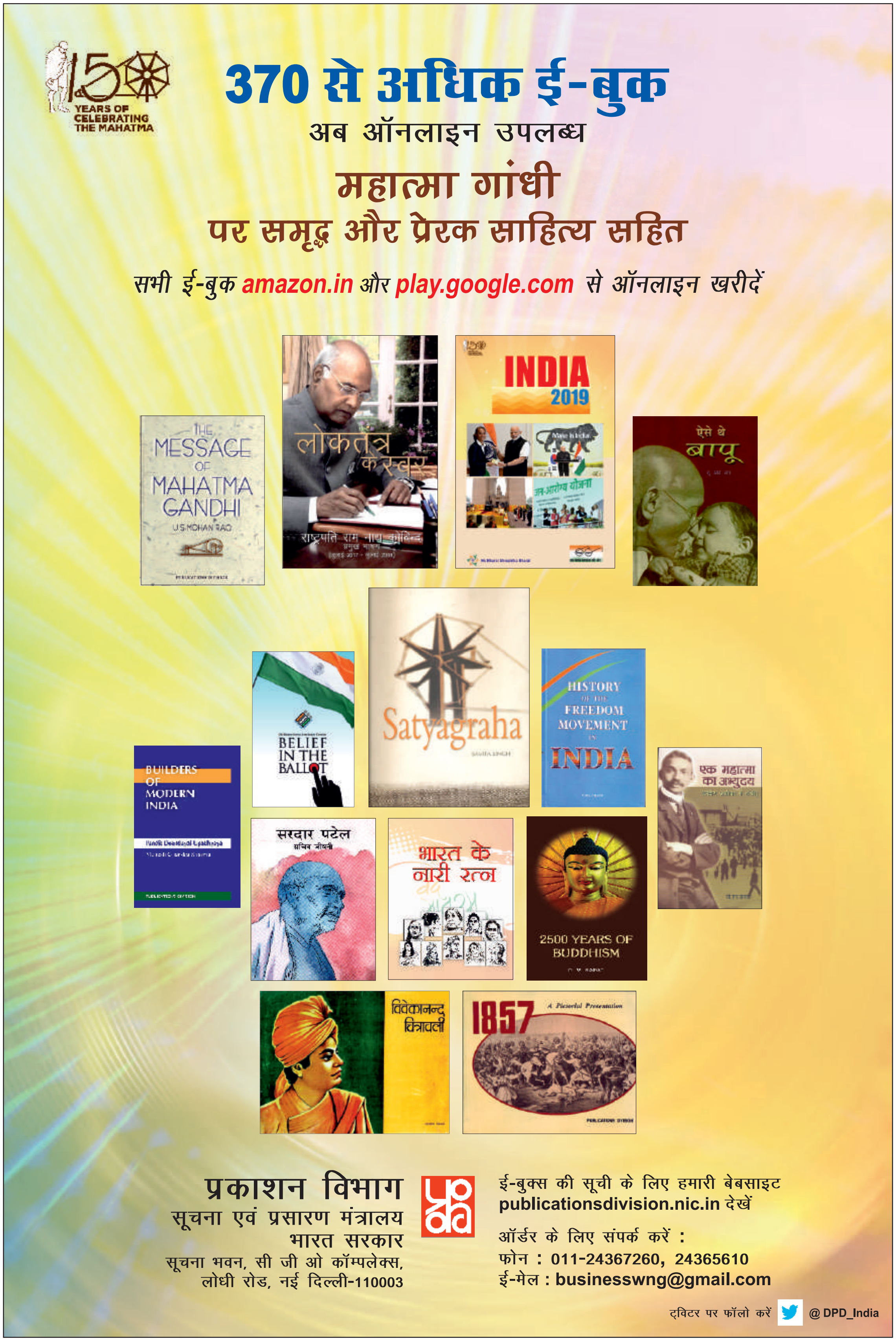

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
370 से अधिक ई-बुक
अब ऑनलाइन उपलब्ध
महात्मा गांधी
पर समृद्ध और प्रेरक साहित्य सहित
सभी ई-बुक amazon.in और play.google.com से ऑनलाइन खरीदें
THE MESSAGE OF MAHATMA GANDHI
U.S. MOHAN RAO
लोकतंत्र के स्वर
INDIA 2019
ऐसे थे बापू
Satyagraha
BELIEF IN THE BALLOT
HISTORY OF THE FREEDOM MOVEMENT IN INDIA
BUILDERS OF MODERN INDIA
एक महात्मा का अभ्युदय
सरदार पटेल
भारत के नारी रत्न
2500 YEARS OF BUDDHISM
विवेकानन्द चित्रावली
1857
A Pictorial Presentation
प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
ई-बुक्स की सूची के लिए हमारी बेबसाइट
publicationsdivision.nic.in देखें
ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260, 24365610
ई-मेल : businesswng@gmail.com
ट्विटर पर फॉलो करें @DPD_India

पूर्वोत्तर भारत की कृषितर गतिविधियों के विविध आयाम

–डॉ. प्रदीप कुमार मुखर्जी

पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार एवं गतिविधियां हथकरघा उद्योग में देखने को मिलती हैं। देश के वस्त्र उद्योग में पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहे हथकरघे अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हथकरघा उद्योग और हस्तशिल्प के अलावा अब ग्रामीण पर्यटन और ईको पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। इसके लिए देशी एवं विदेशी पर्यटकों की पर्यटन संबंधी रुचियों में हाल ही में आया परिवर्तन भी जिम्मेदार है। पर्यटक अब गांवों की जीवनशैली, संस्कृति, कला, शिल्प आदि का साक्षात अनुभव करना चाहते हैं। निसंदेह, सही कार्ययोजना के साथ समुदाय–आधारित ईको पर्यटन कुछ अन्य आमदनी विकल्पों के साथ स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास का व्यवहार्य विकल्प बन सकता है।

पूर्वोत्तर अपनी भौगोलिक और पर्यावरणीय विविधता के कारण आलौकिक सुंदरता वाला क्षेत्र है। चारों तरफ हरे–भरे जंगल, उत्कृष्ट जड़ी–बूटियों का खजाना, तेज प्रवाह में बहते नदी–नाले, शानदार पहाड़ और वर्षा से ढ़की हुई अद्भुत चोटियां इस क्षेत्र को आलौकिक बनाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की कुल संख्या आठ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम के अलावा आने वाले सात राज्य जिन्हें 'सेवन सिस्टर्स' के नाम से भी जाना जाता हैं– असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सूर्योदय का प्रदेश अरुणाचल, सुहानी जलवायु के लिए प्रसिद्ध मिजोरम, मेघों का घर कहलाने वाला मेघालय तथा अनूठी संस्कृति का धनी नगालैंड।

2,62,179 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला आठ राज्यों वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र तरह–तरह के जीव–जंतुओं और पेड़–पौधों के अलावा लोक–संस्कृति तथा कलाओं से भरपूर है। सौ से अधिक जनजातियों एवं उपजातियों का निवास इस क्षेत्र में है। इन सबकी अपनी–अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं सभ्यता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार एवं गतिविधियां हथकरघा उद्योग में देखने को मिलती हैं। देश के वस्त्र उद्योग में पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहे हथकरघे अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2009–10 की तृतीय हथकरघा गणना (थर्ड हैंडलूम सैंसस) के अनुसार, देश भर में 23.77 लाख हथकरघे हैं जिनमें से 16.83 लाख (60.5 प्रतिशत) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं (चौथी हथकरघा गणना अप्रैल 2017 में आरंभ हुई थी लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है)। सबसे अधिक हथकरघे असम (47 प्रतिशत) में हैं जबकि मणिपुर और त्रिपुरा में क्रमशः 8 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत हथकरघे हैं। देश में हथकरघा बुनकरों की संख्या 43 लाख है जिनमें से सबसे अधिक (49.8 प्रतिशत) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। अकेले असम में हथकरघा बुनकरों का प्रतिशत 37.9 है।

अधिकतर हथकरघे ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं। इन हथकरघों पर

अधिकतर महिलाएं ही काम करती हैं। इस प्रकार हथकरघा उद्योग पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुख्य रूप से एक ग्रामीण गतिविधि ही है।

इन हथकरघों में रेशमी और सूती साड़ियों तथा विभिन्न परिधानों के लिए रेशमी एवं सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इन वस्त्रों से सिले–सिलाए परिधान तैयार करने की विनिर्माण इकाइयों ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को काफी बढ़ावा दिया है और इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिले–सिलाए परिधानों के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। हर इकाई में तकरीबन 1200 लोग कार्यरत हैं जिनमें से ज्यादातर महिलाएं है। ये इकाइयां स्थानीय उद्यमियों के स्वामित्व में हैं और विभिन्न एजेंसियों, जैसेकि भारतीय वस्त्र उत्पादक संघ, अरविंद मिल्स और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्–इन इकाइयों को सिले–सिलाए वस्त्रों के लिए ऑर्डर दे रही हैं।

वस्त्र मंत्रालय ने सिले–सिलाए परिधान तैयार करने वाली प्रत्येक इकाई, जिसे 'अपेरल गारमेंट यूनिट (एजीयू) कहते हैं, को कुछ करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई है। इस वित्तीय सहायता को मुहैया कराने के पीछे वस्त्र मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य उत्पादन के कुल मूल्य में वृद्धि करना, तकनीकी उन्नयन, क्षमता में सुधार, घरेलू बाजारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना और इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि घरेलू बाजार के अलावा इन इकाइयों में तैयार किए जाने वाले परिधानों का निर्यात पड़ोसी देशों, जैसेकि बंगला देश और म्यांमार को भी किया जा रहा है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों ने इन देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए हैं।

इन हथकरघों में कुछ बड़े और कुछ छोटे हथकरघे हैं। बड़े हथकरघों को 'फ्लाई राटल लूम', 'थ्रो राटल लूम' या 'पिट लूम' कहते हैं जबकि छोटे हथकरघे 'लॉइन लूम' कहलाते हैं। ये छोटे हथकरघे हल्के पदार्थ, जैसेकि बांस से बने होते हैं और इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखना आसान है। जाड़ों में धूप सेंकने के लिए इन्हें घर के बाहर ले जाया जा सकता है जबकि गर्मियों और बरसात के मौसम में इन्हें अंदर रखकर इनसे काम लिया जाता है। लॉइन लूम में पैडल नहीं होता, इसलिए इनका समस्त परिचालन पैर की जगह हाथ से किया जाता है। सॉइन लूम बेशक छोटे होते हैं, लेकिन इनमें तैयार वस्त्रों में रंग बुनावर यानी टेक्सचर तथा डिजाइन की विविधता देखते ही बनती है। लॉइन लूम में बुनकर मुख्यतया सूती या एक्रिलिक तंतुओं अथवा धागों का इस्तेमाल करते हैं। विशेष रूप से नगालैंड की स्त्रियां लॉइनलूम नामक हथकरघों का इस्तेमाल करती हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हथकरघों में बुने वस्त्रों से परिधानों के अलावा अन्य आकर्षक उपयोगी वस्तुएं भी तैयार की जाती हैं। परिधानों में 'गमहा', 'मेखला चद्दर' (असम की पारंपरिक पोशाक), साड़ियां, कमीज, पैंट, शाल और 'स्टोल' आदि शामिल हैं। अन्य उपयोगी वस्तुओं में बैग, पर्स, फाइल कवर, तौलिए, मेजपोश, कालीन, पर्दे आदि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ परिधान बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में आदि मिशमी और अपतानी जनजातियों द्वारा बुने गए वस्त्र इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। ये वस्त्र अपने ज्यामितीय पैटर्न तथा कोणीय डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। मणिपुर से सूती और रेशमी धागों से बुनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को 'फानेक' कहते हैं। इसे स्त्रियां एक स्कर्ट के रूप में पहनती हैं। इसके निचले हिस्से के चारों ओर काफी अच्छी कढ़ाई का काम होता है। मिजोरम में पुआन नामक पारंपरिक पोशाक, जिसे शर्ट के रूप में पहना जा सकता है, को मुख्य रूप से सफेद और काले तथा अन्य रंगों से बनाया जाता है। लेकिन, मिजोरम में अब इस पोशाक को पहनने का रिवाज धीरे–धीरे कम होता जा रहा है।

नगालैंड अपने ऊनी शालों के लिए मशहूर है। वहां की विभिन्न जनजातियों द्वारा इन्हें लाल और काले ऊनी धागों से बुना जाता है। हर जनजाति द्वारा बुने गए शालों की अपनी विशिष्ट पहचान होती है। कुछ शालों में बाघ, हाथ, इंसानी सिर, मुर्गा तथा भाले आदि भी बुनाई द्वारा उकेरे जाते हैं।

सिक्किम की विभिन्न जनजातियों में लेपचा समुदाय ही हथकरघे पर बुनाई करने की परंपरा के लिए अधिक जाना जाता है। पारंपरिक परिधानों को बनाने के लिए तो लेपचा का उपयोग किया ही जाता है, कंधों पर लटकाने वाले बैगों, नेपकिन, कुशन–कवर, टेबलमैट तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वस्त्रों के आधार या पृष्ठभूमि को तो सूती धागे से बुना जाता है, लेकिन बीच में विभिन्न रूपों और आकारों को उकेरने के लिए ऊनी धागे का इस्तेमाल किया जाता है।

त्रिपुरा में स्कर्ट रूप में पहने जाने वाले परिधान को 'पाहरा' कहते हैं। इसे स्त्रियों द्वारा घुटनों के नीचे तक पहना जाता है। इस परिधान में विचित्र आकृतियां तथा कढ़ाई का काम भी होता है जिसे विभिन्न रंगों के धागों से किया जाता है।

रेशम उत्पादन

पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकतर राज्य रेशम कीट–पालन या रेशम उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल माने जाते हैं। वहां की जलवायु इस काम के लिए बहुत उपयुक्त होती है। हालांकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में रेशम का उत्पादन नहीं होता, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को सभी प्रकार के रेशम के उत्पादन के लिए बहुत 'आदर्श' माना जाता है। अतः अवसर प्रदान किए जाने पर अरुणाचल प्रदेश में भी भविष्य में रेशम का उत्पादन जोर–शोर से हो सकता है।

गौरतलब है पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में चार प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। इन्हें मूगा सिल्क, ओक टसर सिल्क, मल्बरी सिल्क तथा ऐरी (या ऐंडी) कहते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन असम में होता है। दूसरे क्रम पर मेघालय तथा तीसरे क्रम पर नगालैंड आता है। मलबरी सिल्क का सबसे अधिक उत्पादन मणिपुर में होता है। इस मामले में दूसरे क्रम पर

मिजोरम और तीसरे क्रम पर त्रिपुरा आता है।

हमारे देश का शत–प्रतिशत ओक टसर सिल्क का उत्पादन मणिपुर में होता है। देश के 62 प्रतिशत ऐरी सिल्क का उत्पादन असम में होता है। रेशम उत्पादन के मामले में हमारे देश में असम तीसरे क्रम पर आता है। उल्लेखनीय है कि मूगा सिल्क के वैश्विक उत्पादन का करीब 85 प्रतिशत असम में ही होता है। यानी रेशम उत्पादन के मामले में असम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। न केवल अपने देश बल्कि वैश्विक बाजार में भी रेशम उत्पादन के मामले में असम की बड़ी अच्छी साख है। वैसे भी पूर्वोत्तर राज्यों में हथकरघों तथा बुनकरों की संख्या असम में ही सर्वाधिक है। रेशम कीट–पालन तथा रेशम उत्पादन का काम असम में सदियों से हो रहा है। वहां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को यह काम विरासत के रूप में सौंपा जाता है। असम में, मूगा सिल्क का विशेष महत्व है। इसे 'ऐन्थेरिया असमा' नामक रेशम–कीट से प्राप्त किया जाता है। असम में वैदिक काल से यह काम हो रहा है। आहोम वंश के शासनकाल के दौरान हर परिवार के लिए रेशम का बुनना अनिवार्य था। तब केवल राजवंश के लोग ही इस रेशम से बने परिधान को धारण कर सकते थे। लेकिन, अब असमी स्त्रियों के लिए मूगा सिल्क से 'मेखला चद्दर' नामक पारंपरिक पहनावे को तैयार किया जाता है।

मूगा सिल्क कुदरती सुनहरे रंग का होता है, तभी इसे 'गोल्डन फाइबर' भी कहते हैं। इसे घर पर ही धोया जा सकता है। और हर धुलाई में इसका रंग और निखरता है। मूगा सिल्क के अलावा असम में मलबरी सिल्क, जिसे 'पाट' कहते हैं तथा ऐरी (या ऐंडी) सिल्क का उत्पादन भी होता है। 'पाट' सफेद रंग का मलबरी सिल्क होता है। जबकि ऐरी सिल्क गर्म तासीर तथा अपेक्षाकृत छोटे तंतुओं से बना होता है। इसलिए इसके रखरखाव में विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसका थोड़ा दबा हुआ सुनहरा रंग फैशन की दुनिया में इसे बहुत स्पृहणीय बनाता है। पटचित्र कला तथा कांथा कशीदाकारी में ऐरी सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों में हस्तशिल्प

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अधिकतर राज्यों में बांस एवं बेंत बहुतायत से उपलब्ध हैं। बांस जिसे 'ग्रीन गोल्ड' भी कहते हैं, का उत्पादन खासकर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जमकर होता है जबकि असम, सिक्किम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसका अपेक्षाकृत कम उत्पादन होता है। कुल उत्पादन का लगभग दो तिहाई हिस्सा अकेले इन आठ राज्यों से ही आता है। 'थिंकटैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी' के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार देश में बांस की लगभग 58 प्रजातियां पाई जाती हैं (बांस की 1200 से अधिक प्रजातियां विश्वभर में पाई जाती हैं) जिनकी 125 उपजातियां हैं। गौरतलब है कि इनमें से 89 उपजातियां अकेले इन्हीं आठ राज्यों में पाई जाती हैं। बांस की सर्वसुलभता और इसकी महत्ता का अनुमान यहां के लोगों के जीवन, कला एवं संस्कृति में इसके रचे–बसे होने को लेकर लगाया जा सकता है। बांस का उपयोग दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं, भोजन, गृह निर्माण, कागज एवं कुटीर उद्योग में किया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में बांस एवं बेंत के बने अनेक हस्तशिल्प उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। बांस और बेंत से अनेक सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। इनमें बांस की बनी टोकरियां, टोपियां, फूलदान, टेबल लैंप, आभूषण तथा मनभावन डिजाइन वाले फर्नीचर के आइटम शामिल हैं।

बांस और बेंत के अलावा लकड़ी पर नक्काशी द्वारा तैयार हस्तशिल्प उत्पाद भी पूर्वोत्तर राज्यों की विशेषता है। हाथीदांत और पत्थर के खंडों पर नक्काशी द्वारा तैयार होने वाले हस्तशिल्प उत्पाद भी दस्तकारों द्वारा बनाए जाते हैं। खासकर मणिपुर में तो खिलौनों और गुड्डे–गुड़ियां भी हस्तशिल्प उत्पादों के रूप में बनते हैं।

धातुकर्म, जिसमें घंटा–धातु (बैल मैटल) तथा पीतल का इस्तेमाल होता है, असम, मणिपुर और त्रिपुरा आदि राज्यों के हस्तशिल्प का अंग हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो हस्तशिल्प की विविधता देखने को मिलती है। वहां के मुखौटे, रंग–रोगन किए हुए लकड़ी के बर्तन तथा चांदी के आभूषणों का काम बहुत मशहूर है। इसके अलावा, बकरी के बाल, सूकर दंत (बोर टस्क) अमेट और इसी किस्म के अन्य अर्ध–कीमती पत्थरों तथा पीतल और कांच से बने मनकों से अनेक तरह की सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं।

मणिपुर भी अपने विशिष्ट हस्तशिल्प के लिए बहुत मशहूर है। वहां सोने का पानी चढ़े आभूषण अपना विशेष स्थान रखते हैं। पुआव और मिट्टी से बने खिलौने और गुड्डे तो दिल को छू जाते हैं। नगालैंड के हस्तशिल्प की अपनी अलग विशेषता है। यहां बने विभिन्न डिजाइनों वाले आभूषणों के अलावा सीपियों और मनकों, चिड़ियों के पंखों तथा फूलों से बने हस्तशिल्प मन को मुग्ध कर देते हैं।

मेघालय के हस्तशिल्प की विशेषता अजनास के पन्नों से निकाले गए तंतुओं से बनाई गई तरह–तरह की वस्तुएं हैं। इन तंतुओं के प्रयोग से जाल, पर्स तथा बैग आदि बनाए जाते हैं। असम, मेघालय तथा मिजोरम में पारंपरिक बाघ यंत्र, जैसेकि ड्रम, मझीरा, बांसुरी आदि बांस तथा अन्य पदार्थों से बनाए जाते हैं।

जब भांडकर्म (पॉटरी) की बात आती है तो हमें कुम्हार और उसके चाक की याद आती है। लेकिन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों में चाक के बिना भी मिट्टी, टेराकोटा तथा चट्टान व पत्थर के चूरे से बर्तन बनाए जाते हैं। दरअसल, मानव सभ्यता के आदिकाल से ही भांडकर्म का बड़ा महत्व रहा है। चाहे रसोईघर हो, पूजाघर हो या मंदिर, विभिन्न पदार्थों से बने कलश, पात्रों आदि का विशेष महत्व रहा है। साधारण तथा मिट्टी अथवा टेराकोटा से कुम्हार के चाक के द्वारा ही ये बर्तन बनाए जाते हैं। इन्हें फिर धीमी आंच में पकाया जाता है जिससे ये बर्तन कड़े होकर इस्तेमाल के लायक बनते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों की भांडकर्म के मामले में अपनी अलग विशेषता है। अरुणाचल प्रदेश में डाफला जनजाति

की स्त्रियों द्वारा बनाए गए बर्तन अपने डिजाइन और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। सिक्किम के सिरेमिक एवं टेराकोटा से बने बर्तन बहुत मशहूर हैं। धागे की मदद से एक विशेष तकनीक से बर्तनों को डिजाइन किया जाता है। इस प्रकार के भांडकर्म को 'कॉर्ड–इम्प्रैस्ड पॉटरी' कहते हैं। त्रिपुरा में भी मिट्टी और टेराकोटा के बर्तन बनाए जाते हैं। नगालैंड का भांडकर्म अपनी सरलता के लिए जाना जाता है। यहां ज्यादा ध्यान बर्तनों के उपयोग पर दिया जाता है न कि उनकी डिजाइन और सुंदरता पर। नगालैंड में बर्तन बनाने का काम केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। नगालैंड के सेमिन्यू तथा उंगमा गांव भांडकर्म के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। मेघालय के जेंतिया हिल्स जिले में स्थित तररांग एक मध्यम आबादी वाला गांव है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के बरक्स इन गांवों के लोगों का जीवनयापन केवल कृषि कर्म से ही नहीं चलता है। इस गांव की स्त्रियां अपने हस्तकौशल से हाथ से बने बर्तन तैयार करती हैं जिन्हें अन्य उपयोग के साथ–साथ धार्मिक उद्देश्यों के लिए भी काम में लाया जाता है। इस भांडकर्म की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी खांचे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि यहां के लोगों की धारणा है कि खांचे के इस्तेमाल से बर्तन बनाने के काम में तो तेजी आ जाती है लेकिन बर्तनों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस भांडकर्म की दूसरी खासियत यह है कि प्रयुक्त होने वाली मिट्टी काले रंग की होती है। इस मिट्टी को केवल जेंतिया पहाड़ियों में स्थित सुंग घाटी से ही प्राप्त किया जा सकता है।

मेघालय के इस भांडकर्म का न केवल घरेलू या राष्ट्रीय महत्व है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर भी इसे बहुत सराहना मिली है। जापान और कोरिया मेघालय में बने इन बर्तनों का आयात करते हैं जिनका उपयोग अन्य कार्यों के साथ–साथ वे धार्मिक उद्देश्यों के लिए भी करते हैं।

असम में मिट्टी और टेराकोटा के बर्तन बनाए जाते हैं। असम में भांडकर्म से जुड़े दो समुदाय हैं– कुमार और हीरा। कुमार समुदाय के कुम्हार चॉक का इस्तेमाल कर बर्तनों को बनाते हैं जबकि हीरा समुदाय की केवल स्त्रियां ही बिना चॉक की मदद से बर्तनों को बनाती हैं। हीरा समुदाय की कहानी 500–600 ई.पू. से जुड़ी है। तीर्थयात्रा को निकला कोई व्यक्ति अपनी हीरा नामक पत्नी की देखरेख में अपने दो बच्चों को छोड़ गया। रास्ते में ही हीरा के पति की मृत्यु हो गई। जब वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के तट के किनारे भोजन की तलाश में भटक रही थी तो उसे नदी किनारे कुछ चमकदार रेतीली मिट्टी मिली। इस मिट्टी से हीरा ने कुछ बर्तन बनाकर उन्हें निकट के गांव में बेचा। और फिर यह सिलसिला जो शुरु हुआ तो आगे भी चलता रहा। इस मिट्टी को 'हीरामाटी' नाम दिया गया। हीरा समुदाय की केवल स्त्रियां ही बर्तन बनाने का काम करती हैं। मां से फिर पुत्री को विरासत में यह कला मिलती है। पुरुष मिट्टी इकट्ठा करने, भट्टी बनाने, भट्टी के लिए ईंधन जुटाने तथा बने हुए बर्तनों को बाजार में बेचने का काम करते हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाले भांडकर्म में मणिपुर का भांडकर्म सबसे अनोखा है। दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों के बरक्स मणिपुर में पुरुष और स्त्रियां दोनों ही भांडकर्म से जुड़े होते हैं। यहां के कुम्हार चॉक का इस्तेमाल नहीं करते। बर्तन बनाने के लिए वे कुंडलिन विधि (बॉयल्ड मैथड) का इस्तेमाल करते हैं। इन बर्तनों को कुम्हार मिट्टी और चूर्णित पत्थर को अलग कर बनाते हैं। मणिपुर में बर्तन बनाने की इस कला को लॉन्गपी पॉटरी का नाम दिया जाता है। दरअसल लॉन्गपी मणिपुर का एक गांव है। उखरुल जिले के 400 घरों वाले इस गांव के कुम्हार मणिपुर के इन बर्तनों को बनाने का काम करते हैं। लॉन्गपी पॉटरी को 'रॉयल पॉटरी' का नाम भी दिया जाता है क्योंकि पहले केवल राजघराने के तथा धनाढ्य लोग ही

इन्हें रखने की हैसियत रखते थे।

लॉन्गपी पॉटरी बनाने के लिए ब्लैक सरपेंटाइट स्टोन तथा अपक्षीण शैल (वेदर्ड रॉक) के मिश्रण को तीन और एक के अनुपात में लिया जाता है। इस मिश्रण को फिर हाथ से विभिन्न आकारों में ढाला जाता है। फिर भट्टी में पांच से नौ घंटों के लिए इसे 900 डिग्री सेल्सियम के उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। बर्तनों को भट्टी से निकालकर एक जंगली विसर्पी लता (क्रीपर) में लगने वाले लाल–भूरे बीजों से इनकी सतहों को रगड़ा जाता है और फिर उन पर मोम चढ़ाया जाता है। इस प्रकार इन बर्तनों के सतहों की पालिश की जाती है। लॉन्गपी बर्तनों को खाना पकाने और खाद्य–पदार्थों को संग्रहित करने– दोनों ही कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। विवाह समारोह और बच्चे के जन्म आदि के मंगल अवसरों पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन बर्तनों को स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इनको बनाने में न ही कोई रसायन और न ही चॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ये बर्तन काले रंग के और देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं।

ग्रामीण पर्यटन तथा ईको पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां

पूर्वोत्तर राज्यों में हथकरघा उद्योग और हस्तशिल्प के अलावा अब ग्रामीण पर्यटन और ईको पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। इसके लिए देशी एवं विदेशी पर्यटकों की पर्यटन संबंधी रुचियों में हाल ही में आया परिवर्तन भी जिम्मेदार है। पर्यटक अब गांवों की जीवनशैली, संस्कृति, कला, शिल्प आदि का साक्षात अनुभव करना चाहते हैं। अतः होटलों या रिसॉर्ट आदि में न रहकर वे गांवों में ही रात बिताना चाहते हैं तथा वहां के भोजन का लुत्फ भी उठाना चाहते हैं। इससे 'होम स्टे' की संकल्पना सामने आई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण घरों के ही एक हिस्से को मेहमानों के लिए तैयार किया जाता है। घरों के अलावा खेतों, फॉर्मों, फलों के बगीचों और चाय के बागानों को भी इस काम के लिए चुना जा सकता है। इसके साथ ही 'शिल्पग्राम' जैसी पहल भी शुरू की गई है। जहां दस्तकार अपनी कारीगरी और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगा सकते हैं। होम स्टे के साथ शिल्पग्राम की संकल्पना ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में सोने पर सुहागा का काम कर सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों ने होम स्टे और शिल्पग्राम की संकल्पना को स्वीकारा है और स्थानीय या पंचायती–स्तर में भी उन्हें इस दिशा में काफी मदद मिल रही है। भारत सरकार भी इस दिशा में सक्रिय है तथा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ–साथ पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, रहन–सहन, कला और शिल्प तक देशी और विदेशी पर्यटकों की अधिक से अधिक पहुंच कैसे संभव हो, इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में समुदाय–आधारित ईको पर्यटन का चलन भी हाल ही में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस क्षेत्र के लिए फिलहाल यह एक नई संकल्पना है, लेकिन स्थानीय एवं जनजातीय लोगों में अपने–अपने राज्यों की जैव–विविधिता एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण की भावना बलवती होती जा रही है। तभी अपने गांवों एवं पवित्र समझे जाने वाले वनों (सेक्रेड फॉरेस्ट्स) के संरक्षण में ये लोग विशेष रुचि ले रहे हैं। मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं असम में कुछ आदिवासी गांवों का विकास किया गया है। इन गांवों में उनकी परंपरागत संस्कृति व शिल्प, खानपान और रहन–सहन तथा आवास के विभिन्न प्रकारों को प्रदर्शित किया जाता है ताकि पर्यटक इनकी तरफ आकर्षित हों तथा यहां रहकर उनकी परंपरागत संस्कृति एवं सभ्यता से परिचित हो सकें। इस प्रकार ईको पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ इससे पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न समुदायों की दायित्वपूर्ण भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है तथा इन गतिविधियों में समुदायों की रुचि भी बढ़ रही है। ईको पर्यटन की सफलता की दिशा में यह एक स्वागत योग्य कदम है।

नगालैंड में ऐसे ही कुछ ईको परिसर हैं जिनमें 'किसामा विलेज' तथा 'ट्योप्लेमा टूरिस्ट विलेज' का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार मेघालय, जो अपनी रमणिक पहाड़ियों, झरनों तथा विश्व के सर्वाधिक वर्षापात वाले राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, दक्षिणी पठार (चेरापूंजी के पास) के अंचलों, जैसेकि मॉलिंमॉन्ग तथा लैटकिन्सन में भी ऐसे ही ईको या पर्यटक गांवों का विकास किया गया है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि जैव–विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता से ओत–प्रोत पूर्वोत्तर राज्यों में समुदाय–आधारित ईको पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। ग्राम मुखियाओं द्वारा स्थानीय एवं जनजातीय लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने की पहल काफी सराहनीय है। सचमुच, लोगों में अपनी सांस्कृतिक विरासत एवं राज्य के पर्यावरण को संरक्षित किए जाने की रूचि दिखाई पड़ रही है।

निसंदेह, सही कार्ययोजना के साथ समुदाय–आधारित ईको पर्यटन कुछ अन्य आमदनी विकल्पों के साथ स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास का व्यवहार्य विकल्प बन सकता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि परंपरागत कलाओं, हस्तशिल्पों, नृत्य, संगीत, नाटक, खान–पान, रहन–सहन, रीति–रिवाज और उत्सवों का संरक्षण एवं परंपरागत जीवनशैली के कुछ पहलू सीधे समुदाय–आधारित ईको पर्यटन से जोड़े जा सकते हैं।

हालांकि भारत सरकार समुदाय–आधारित ईको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प है, लेकिन इन दिशा में अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय ने कंपनी कानून 2013 की धारा 8 के अंतर्गत 'नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट कौंसिल' का गठन किया है ताकि सरकारी क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र को भी समुदाय–आधारित ईको पर्यटन के विकास कार्य से जोड़ा जा सके।

(लेखक वरिष्ठ विज्ञान लेखक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं।)

ई–मेल : mukherjeepradeep21@gmail.com

राजस्थान में 900 इंजीनियरों को शौचालय टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण की रफ्तार और इसके फायदों को बनाए रखना निश्चय ही बहुत जरूरी है। इस संबंध में जहां एक ओर यह देखना आवश्यक हो जाता है कि स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे का संचालन तथा रखरखाव जारी रहे वहीं व्यवहार परिवर्तन, क्षमता निर्माण और शौचालयों से निकलने वाले अपशिष्ट के प्रबंधन में और मजबूती लाना भी जरूरी है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम–जी) ने ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की शुरुआत की है जिसने भारत में समाज के सबसे निचले–स्तर पर खुले में शौच को लेकर लोगों की आदतों में बदलाव ला दिया है।

राजस्थान के राज्य प्रशासन ने मिशन निदेशक श्री पी.सी. किशन के नेतृत्व में राज्य के 295 ब्लॉकों में से प्रत्येक के तीन–तीन जूनियर इंजीनियरों को शौचालय टेक्नोलॉजी और उनमें रिट्रोफिटिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस तरह करीब 900 जूनियर इंजीनियरों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

रिट्रोफिटिंग के तहत शौचालयों में सुधार और बदलाव किया जाता है और 'वाई जंक्शन' लगाकर उन्हें एक गड्ढे की जगह दो गड्ढों वाला बना दिया जाता है। इसी तरह सोख्ते गड्ढे वाले शौचालयों को सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों में बदल दिया जाता है।

शौचालय टेक्नोलॉजी और रिट्रोफिटिंग प्रशिक्षण के दौरान इन लोगों को करीब एक महीने तक नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे और साइट विज़िट पर ले जाया गया और इस तरह यह प्रशिक्षण 26 अप्रैल, 2019 को संपन्न हो गया। प्रशिक्षण का कार्य जयपुर के गोविंदगढ़, शाहपुरा और जयपुर में किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पहले से बने हुए शौचालयों में दो गड्ढों वाली टेक्नोलॉजी का कारगर इस्तेमाल करना था। इसमें बारी–बारी से दो गड्ढों का उपयोग करने से मानव मल पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित कम्पोस्ट खाद में बदल जाता है। राजस्थान के गांवों में पिछले पांच साल में एकल गड्ढे वाले 77 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। इतनी बड़ी तादाद को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना बड़ा सामयिक कदम है। कुछ समय में एक गड्ढे वाले शौचालय जल–मल से भर जाएंगे और अगर इन्हें इसी तरह से छोड़ दिया जाए तो बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

इतने बड़े पैमाने पर की गई पहल अपने आप में नई है। करीब 900 प्रतिभागियों को तीन अलग–अलग समूहों में विभाजित किया गया और उसके बाद इनके 50–50 के उप–समूह बना दिए गए। उनके लिए चार आवासीय होस्टलों की व्यवस्था की गई और उन्हें 18 स्थानों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण और एक स्थान पर सैद्धांतिक जानकारी देने की व्यवस्था की गई। प्रशिक्षणार्थियों को छह स्थानों का दौरा कराया गया।

यूनीसेफ की सहायता से संचालित इस प्रशिक्षण के दौरान सैद्धांतिक जानकारी देने के लिए कुल प्रशिक्षण अवधि के एक चौथाई का उपयोग किया गया जबकि रिट्रोफिटिंग का क्षेत्रीय और व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में बाकी तीन चौथाई समय लगाया गया। भविष्य में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा और बाकी सभी ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा।

इसके अलावा 50,000 स्वच्छाग्राहियों, राजमिस्त्रियों, सरपंचों और ग्राम सेवकों के लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई गई है जिससे राज्य के सभी लोगों को स्वच्छता सेवाएं चालू हालत में मिलेंगी और कोई भी इनसे वंचित नहीं रहने पाएगा। ❑

उडुपि में ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम

ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन परियोजना के प्रारंभ होने से गांव ज्यादा साफ–सुथरे दिखाई देने लगे हैं क्योंकि लोगों ने सड़क किनारे कूड़े का ढेर लगाना बंद कर दिया है। 90 प्रतिशत से ज्यादा परिवार और वाणिज्यिक संगठन कचरे को जैविक और अन्य कूड़े के रूप में अलग करने लगे हैं।

कर्नाटक के उडुपि जिले की करीब 50 ग्राम पंचायतों में एक–एक ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन केंद्र है। प्रत्येक में विशेष रूप से डिजाईन किया गया तिपहिया या रिक्शानुमा वाहन लगा है जिसका उपयोग स्थानीय स्वयंसहायता समूह घरेलू कूड़े के संग्रह के लिए करते हैं। कूड़े–कचरे को इकट्ठा करने की यह प्रणाली घड़ी की तरह कार्य करती है जिससे गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिलती है।

ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन एक ऐसी विधि है जिससे कूड़ा–कचरा आमदनी का स्रोत बन जाता है और इसके साथ ही, इससे रोजगार के अनेक अवसर भी प्राप्त होते हैं। घरों से इकट्ठा किए गए कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने के लिए इसे ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन केंद्र में लाया जाता है। यह परियोजना स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के तहत खुले में शौच से मुक्ति कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

उद्देश्य : उडुपि जिले के स्वच्छता और आरोग्य सलाहकार श्री सुधीर के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन के जरिए जिले को कूड़े–कचरे, कूड़ेदान और कूड़ा फेंकने के स्थानों से चिरस्थायी रूप से मुक्ति दिलाना है।

सर्वेक्षण : स्वच्छता के तौर–तरीकों, घरों में कूड़े–कचरे के निपटान और अवैज्ञानिक विधियां अपनाने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को समझने के लिए प्रारंभ में एक सर्वेक्षण कराया गया। इसके बाद जिला–स्तर पर 'ठोस कचरा (संसाधन) प्रबंधन उप–विधि' का प्रारूप तैयार कर इसे कारगर तरीके से लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों को भेजा गया। इस उपविधि में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने और एक समग्र कूड़ा संग्रह प्रणाली के जरिए अपशिष्ट प्रबंधन जैसी पहल के जरिए साफ–सफाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई।

जागरूकता पैदा करना : सबसे पहले लोगों को कूड़े–कचरे को अलग करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाया गया और उन्हें बताया गया कि यह कार्य किस तरह से किया जाए। इसके बाद जुलाई 2017 में पहली बार ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया।

परिवारों की जिम्मेदारी : प्रत्येक परिवार को दो डस्टबिन दिए गए–एक हरा और दूसरा लाल ताकि लोग रोजाना इकट्ठा किए जाने वाले सूखे कचरे को गीले कचरे से अलग–अलग रख सकें। दूरदराज परिवारों को एक बोरा दिया गया ताकि वे इसमें ठोस कूड़े को इकट्ठा कर सकें और इस तरह के कूड़े को सप्ताह में एक बार उठाने की व्यवस्था की गई। सेनिटरी नैपकिन और इसी तरह के मेडिकल कचरे को रद्दी अखबार में लपेट कर अलग से रखने के निर्देश भी लोगों को दिए गए। सुरक्षित तरीके से इसके निपटान के लिए लाल और नीले रंग से इसकी पहचान की भी व्यवस्था की गई।

प्रक्रिया : आज उडुपि में कूड़ा एक दिन में दो बार यानी 12 घंटे में एक बार इकट्ठा किया जाता है ताकि जैव कूड़ा सड़कर खराब न हो और आसानी से इसका निपटान किया जा सके। घर–घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने के लिए ट्रकों की बजाय तिपहिया साइकिलों, सामान ढोने वाले वाहनों या ई–रिक्शा का इस्तेमाल किया जाता है। श्री सुधीर का कहना है कि इस परियोजना में श्रमशक्ति महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मनुष्य ही कूड़े–कचरे में अंतर कर उन्हें अलग–अलग श्रेणियों में रख सकते हैं।

जैव अपशिष्ट का प्रबंधन : जैव अपशिष्ट पदार्थों की फिर से छंटाई की जाती है और जो फल तथा सब्जियां सड़ी नहीं हैं, उन्हें अलग करके धो दिया जाता है और जानवरों को दिनभर में दो बार खिलाया जाता है। इसलिए ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन केंद्र के पास ही गौशाला बनाना अच्छा होता है। अन्यथा फल–सब्जियों को पास की किसी गौशाला में भेज दिया जाता है। बाकी कचरे को जानवरों के गोबर के घोल के साथ मिलाकर उससे कम्पोस्ट खाद बनाई जाती है। कचरे में से अंडे के छिलकों को अलग करके उनका पाउडर बनाया जा सकता है। अंडे के छिलकों में बड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है जिससे बने चूरे को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या बेचा जा सकता है। फूलवालों की दुकानों और विवाह मंडपों से बेकार फूल इकट्ठे करके रंगोली पाउडर बनाने वालों को बेचा जा सकता है।

अवजल का निस्तारण : नहाने–धोने और रसोई के कम प्रदूषित अपशिष्ट पानी को कैना के पौधे उगाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधे गंदे पानी को अवशोषित कर लेते हैं और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घरों, पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों आदि में इस तरह के फूलदार पेड़–पौधों को उगाने को बढ़ावा दिया जाता है।

जैव कचरे का प्रबंधन : लाल कूड़ेदान के जैव पदार्थों को ठोस और तरल संसाधन केंद्रों में 17 अलग–अलग श्रेणियों, जैसे प्लास्टिक बोतलें, प्लास्टिक की वस्तुओं, प्लास्टिक कवर, कागज, कार्डबोर्ड, धातु, कांच, ई–वेस्ट आदि में छांट लिया जाता है और मूल्य–सवंर्धित दर से अधिकृत रिसाइकिलर्स को बेच दिया जाता है। जिन वस्तुओं का पुनर्चक्रण संभव नहीं है उन्हें छांट कर अलग रखा जाता है और सुरक्षित निस्तारण के लिए सीमेंट फैक्टरियों को भेज दिया जाता है।

कूड़े की मात्रा : उडुपि जिले के 50 ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन केंद्र एक दिन में औसतन 10 टन कूड़े का संग्रह करते हैं। हर महीने 300 टन कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाता है।

शामिल किए गए गांव : जनवरी 2018 तक उडुपि की 158 ग्राम पंचायतों में से 50 ने ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन केंद्रों की स्थापना कर ली थी। इनमें से 34 केंद्र गीले और सूखे दोनों ही तरह के कचरे का संग्रह कर रहे हैं। 27 केंद्र सप्ताह में एक दिन सूखे कूड़े का संग्रह करते हैं।

बुनियादी ढांचा: जिन ग्राम पंचायतों ने ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन परियोजना शुरू की है उन्होंने इसके लिए नए शेड का निर्माण किया है। कुछ अन्य पंचायतें पुरानी और इस्तेमाल में न आने वाली इमारतों का जीर्णोद्धार कर उनका उपयोग कर रही हैं।

रोजगार के नए अवसर : उडुपि में इस समय करीब 200 लोग ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन परियोजना में काम कर रहे हैं। देखा गया है कि घरों में अक्सर महिलाएं ही कूड़े–कचरे का प्रबंधन करती हैं और इस काम के बारे में दूसरी महिलाओं के साथ अच्छा संवाद स्थापित कर सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने परियोजना की देखरेख की जिम्मेदारी महिला स्वयंसहायता समूहों को सौंपी है। उनकी भागीदारी से उनकी पारिवारिक आमदनी बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त होता है। रिसाइकिल किए जा सकने वाली वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आमदनी और उपभोक्ता शुल्क से प्राप्त धनराशि का उपयोग ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन केंद्रों के संचालन में किया जाता है।

निष्कर्ष : ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन परियोजना के प्रारंभ होने से गांव ज्यादा साफ–सुथरे दिखाई देने लगे हैं क्योंकि लोगों ने सड़क किनारे कूड़े का ढेर लगाना बंद कर दिया है। 90 प्रतिशत से ज्यादा परिवार और वाणिज्यिक संगठन कचरे को जैविक और अन्य कूड़े के रूप में अलग करने लगे हैं। इतना ही नहीं, कूड़े को सार्वजनिक स्थान पर फेंक देने और इसे अवैज्ञानिक तरीके से जला देने या मांस के कचरे को गांव के आस–पास की नदियों में बहा देने जैसी बातें भी अब बहुत कम हो गई हैं।

अपशिष्ट सामान से, जिसे लोग अब तक फेंक देते थे, अब लोगों को आमदनी हो रही है। इतना ही नहीं, सड़कों के किनारे लगे कूड़ेदानों को हटा दिया गया है ताकि स्वच्छता बनी रहे।

पहले लोग कूड़े–कचरे के प्रबंधन के कार्य में दिलचस्पी नहीं लेते थे क्योंकि यह कार्य अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता था और कूड़े से निकलने वाली बदबू और काम के प्रकार की वजह से भी लोग इसे करने से झिझकते थे। लेकिन आज स्वयंसहायता समूहों के सदस्य, युवा और अन्य लोग ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं में काम करने को उत्सुक रहते हैं जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और उन्हें अपनी रोजी–रोटी कमाने के नए मौके मिल रहे हैं। जिले में शुरू हुई इस परियोजना की सफलता ने अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में जनता के नजरिए को बदल कर रख दिया है।

पूरे जिले में ग्रीन प्रोटोकॉल लागू है जिसके तहत एक बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक और डिस्पोजेबल प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाता है और इस बारे में सभी जनसभाओं, समारोहों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों तथा सरकारी कार्यालय आदि में लोगों को प्रेरित किया जाता है। ❑

BYJU'S The Learning App | IAS

INDIA's #1 INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES PREPARATION

आईएएस 2018 में श्रेष्ठ परिणाम

टॉप 50 में 11 चयन | टॉप 100 में 28 चयन | संपूर्ण परिणाम में कुल 183 चयन

BYJU'S का Tablet कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है

वीडियो पाठ्यक्रम
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्यक्रम में उल्लेखित सभी विषयों /अध्यायों /मुद्दों से सुसज्जित 500 से अधिक घंटे के वीडियो व्याख्यान

छात्र पोर्टल
साप्ताहिक वेबिनार ,चर्चित मुद्दे , समसामयिकी पत्र /पत्रिका और प्रैक्टिस सेट का रिकॉर्डेड सत्र उपलब्ध

नियमित टेस्ट
आपके ज्ञान उन्नयन के मूल्यांकन हेतु पाक्षिक टेस्ट सीरीज जिसमें छात्र के प्रदर्शन का विश्लेषण भी सम्मिलित है

समसामयिकी वेबिनार
पुनरीक्षण नोट्स के साथ समसामयिकी पर चर्चा हेतु साप्ताहिक लाइव क्लासेस

विस्तृत पाठ्य सामग्री
भारतीय राजव्यवस्था (लक्ष्मीकांत), भारत का प्राचीन इतिहास (राम शरण शर्मा) आधुनिक भारत का इतिहास (बिपिन चंद्र), नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, एवं अभिवृत्ति (जी सुब्बाराव) तथा 16 अन्य पुस्तकें

नियमित मूल्यांकन
परीक्षा लेखन कौशल और ज्ञान का नियमित मूल्यांकन (वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ), प्रश्न पत्र चर्चा, उत्तर और उत्तर लेखन रणनीति के व्यक्तिगत विश्लेषण द्वारा संवर्धन

मेंटर सपोर्ट
हमारे मेंटर द्वारा व्यक्तिगत सुझाव और निर्देश

पाठ्यक्रम की विशेषताएँ

- द हिन्दू समाचार पत्र पर आधारित दैनिक समाचार विश्लेषण
- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रवीणता हासिल करने हेतु अभ्यास
- मुख्य परीक्षा पश्चात् साक्षात्कार हेतु मार्गदर्शन

आईएएस टेबलेट कार्यक्रम अब हिंदी में भी उपलब्ध

हमारे कोर्स विशेषज्ञ के साथ सतर्क लिए संपर्क करें

9880031619

BYJU'S® The Learning App

ANDROID APP ON Google play | Download on the App Store

उपलब्ध कार्यक्रम: Class 4-12 | JEE | NEET | IAS | CAT

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2018-20
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20
01 जुलाई, 2019 को प्रकाशित एवं 5-6 जुलाई, 2019 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Think IAS... | दृष्टि The Vision | Think Drishti

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा) 19 बुकलेट्स	सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा) 26 बुकलेट्स	इतिहास (वैकल्पिक विषय) 12 बुकलेट्स
सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रारंभिक परीक्षा) 27 बुकलेट्स	सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) 31 बुकलेट्स	दर्शन शास्त्र (वैकल्पिक विषय) 4 बुकलेट्स
सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) 39 बुकलेट्स		हिन्दी साहित्य (वैकल्पिक विषय) 13 बुकलेट्स

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) 33 + 10 बुकलेट्स
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) 33 बुकलेट्स

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) 28 + 8 बुकलेट्स
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) 28 बुकलेट्स

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) 34 बुकलेट्स

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) 25 बुकलेट्स

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) 28 बुकलेट्स
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) 28 + 8 बुकलेट्स

छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. (CGPSC) के लिये
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) 35 बुकलेट्स
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) 35 + 6 बुकलेट्स

प्रयागराज शाखा

हिन्दी साहित्य वैकल्पिक विषय (वीडियो क्लासेज़) द्वारा– डॉ. विकास दिव्यकीर्ति **14** जुलाई, दोपहर 2:30 बजे	**भूगोल** वैकल्पिक विषय द्वारा – श्री वी.के. त्रिवेदी **15** जुलाई, दोपहर 2:30 बजे	**इतिहास** वैकल्पिक विषय द्वारा – श्री अख्तर मलिक **16** जुलाई, दोपहर 2:30 बजे

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

प्रकाशक और मुद्रक: डॉ. साधना राउत, प्रधान महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना